



विशेषांक

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 61

अंक : 12

पृष्ठ : 76

अक्टूबर 2015

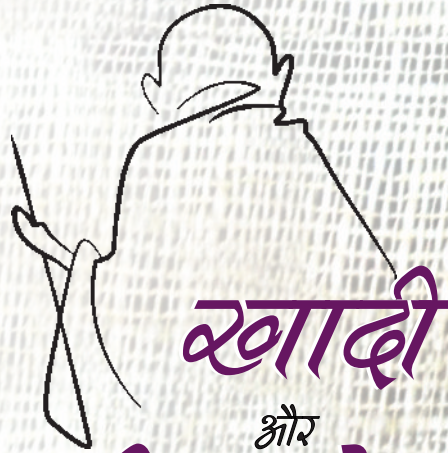
मूल्य: ₹ 20



खादी और महात्मा गांधी

सोलर चरखा दे रहा है
महिलाओं को रोजगार

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना



खादी
और
ग्रामीण रोजगार

डिजिटल हुआ ‘‘द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी’’

‘‘द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी’’ (सीडब्ल्यू एमजी) के 100 खंडों की पुस्तकों का संग्रह अब ई-संस्करण के जरिए दुनियाभर के लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होगा। इस ई-संस्करण का लोकार्पण माननीय सूचना एवं प्रसारण और वित्त तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 8 सितंबर, 2015 को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में किया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) भी उपस्थित थे।

श्री जेटली ने गांधी हेरिटेज पोर्टल पर भी इस संस्करण के अपलिंक का शुभारंभ किया

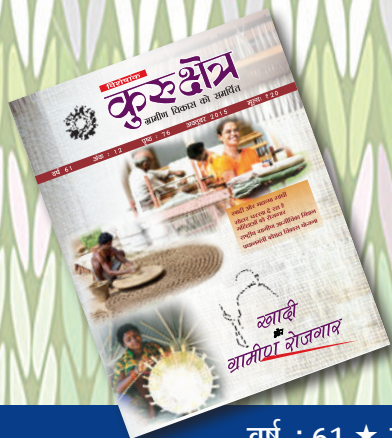
ताकि महात्मा गांधी के बारे में विश्वसनीय चित्र, जानकारी तथा लिखित सामग्री सुगमता से उपलब्ध हो। पोर्टल पर सीडब्ल्यूएमजी पीडीएफ के रूप में निशुल्क उपलब्ध है। पोर्टल का रखरखाव साबरमती आश्रम स्मारक एवं संरक्षण ट्रस्ट द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से किया जा रहा है।

श्री जेटली ने इस अवसर पर कहा कि महात्मा गांधी के संग्रहित कार्यों का डिजिटल संस्करण अमूल्य राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण और मानवता के प्रसार में सहायक होगा। इस परियोजना की विरासत और महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि ई-संस्करण को गांधी जी द्वारा स्थापित और विकसित संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस उल्लेखनीय कार्य के हिंदी संस्करण संपूर्ण गांधी वाङ्मय को भी शीघ्र डिजिटल किया जाएगा।

सीडब्ल्यूएमजी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के सृजन के लिए प्रकाशन विभाग ने सितंबर, 2011 में गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। वरिष्ठ गांधीवादी विद्वानों-गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रो. सुदर्शन अय्यंगर, जानी-मानी गांधीवादी विदुषी सुश्री दीनाबेन पटेल, साबरमती आश्रम संरक्षण एवं स्मारक ट्रस्ट के निदेशक श्री त्रिदीप सुहृद – ने इस परियोजना का पर्यवेक्षण कर सामग्री की प्रामाणिकता सुनिश्चित की है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (जिसे मूल शृंखला के प्रमुख वास्तुकार प्रोफेसर के. स्वामीनाथन के नाम पर CWMG-original –KS edition के नाम से जाना जाता है) को पूरा करने में करीब 38 वर्ष (1956–1994) लगे थे। सीडब्ल्यूएमजी 1884 से 30 जनवरी, 1948 (उनके निधन) तक गांधी जी द्वारा बोले गए और लिखे गए शब्दों का ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस शृंखला में विश्व भर में बिखरे महात्मा गांधी के लिखित दस्तावेजों को कड़े अकादमिक अनुशासन के साथ संग्रहित किया गया है।



माननीय सूचना एवं प्रसारण और वित्त तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने ‘द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी’ के ई-संस्करण का लोकार्पण किया। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा तथा जानी-मानी गांधीवादी विदुषी सुश्री दीनाबेन पटेल भी मौजूद थीं।



कुरुक्षेत्र



वर्ष : 61 ★ मासिक अंक : 12 ★ पृष्ठ : 76 ★ आश्विन-कार्तिक 1937★अक्टूबर 2015

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल

वरिष्ठ संपादक

कैलाश चन्द मीना

संपादक

ललिता खुराना

संपादकीय पत्र-व्यवहार

वरिष्ठ संपादक,

कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष : 24365925

वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक

विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011-24367453

ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण

आशा सक्सेना

सज्जा

आशीष कण्ठवाल

मूल्य एक प्रति : 10 रुपये

वार्षिक शुल्क : 100 रुपये

द्विवार्षिक : 180 रुपये

त्रिवार्षिक : 250 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

सार्क देशों में : 530 रुपये (वार्षिक)

अन्य देशों में : 730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में



खादी में रोजगार की संभावनाएं

ऋषभ कृष्ण सक्सेना

5



महात्मा गांधी और खादी

चंद्रभान यादव

10



जीविकोपार्जन के मिशन पर जुटी सरकार

सुधांशु सिंह

13



ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के लिए
सहभागितापूर्ण संचार

डॉ. अपराजिता सुमन

18



खादी की दुनिया का कार्याकल्प कर सकता है इंटरनेट

बालेन्दु शर्मा दाधीच

23



महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहा सोलर चरखा

संगीता

26



लघु एवं कुटीर उद्योग में रोजगार

जगन्नाथ कुमार कश्यप

30



भारतीय समाज के संदर्भ में गांधी चिंतन

चैतन्य प्रकाश

35



गांधीजी का सपना साकार करेगा स्वच्छ भारत मिशन

संजय श्रीवास्तव

38



स्वच्छता और महात्मा गांधी

डॉ. जॉन चेल्लादुर्गई

42



मैला ढोने की कुप्रथा से मुक्ति की आशा

डॉ. श्रीनाथ सहाय

46



स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम

सुबास चंद्र पाल

47



देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोता खादी ग्रामोद्योग

...

51



अनूठा पारंपरिक हस्तशिल्प टेराकोटा

हेना नक्वी

56



ग्रामीण रोजगार और स्वदेशी की प्रतीक खादी

सुभाष सेतिया

59



ग्रामीण कुटीर उद्योग : बाजार और रोजगार

शिवानन्द द्विवेदी

62



प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-रोजगार को नई दिशा

ललन कुमार महतो

65



अम्बपाली स्वयंसहायता समूह ने दिखाई राह

संदीप कुमार

70



प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से हासिल की मंजिल

बलवंत सिंह मौर्य

72

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर ले। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है।

अक्टूबर 2015

गांधीजी ने खादी के संदर्भ में कहा था— “खादी की अवधारणा और भी बड़े उद्देश्य से साथ विकसित की गई थी और वह है अपने गांवों को भूख से मुक्त करना” इस उक्ति में गांधीजी का ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में खादी के योगदान का उनका सपना झलकता है। “खादी रोजगार जुटाकर तथा स्वदेशी का गौरव जागृत करके भारत के गांवों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है,” इस बात को गांधीजी ने भली-भांति समझ लिया था।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखा चलाकर और सूत कातकर स्वाधीनता की जंग के साथ ही स्वावलंबन की जंग भी जीती। आज भी खादी के रूप में महात्मा गांधी का संदेश हमारे बीच मौजूद है। बदलते परिवेश में भी खादी की धाक बढ़ती जा रही है। यह अलग बात है कि खादी का स्वरूप बदला है। गांधीजी ने कहा था कि खादी एक विचार है। खादी एक संदेश है। खादी एक दर्शन है। इसी दर्शन के दम पर आज खादी के जरिए रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं।

भारत जैसे देश में जहां परंपरागत कौशल एवं उद्योगों का अथाह भंडार है, खादी जैसे उद्योग के विकास एवं उपयोग की काफी संभावनाएं हैं। खादी की पूरी प्रक्रिया ऐसी है जिसे बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के परंपरागत कौशल के आनुवांशिक ज्ञान की सहायता से आगे बढ़ाया जा सकता है। खादी क्षेत्र ‘स्किल इंडिया’ योजना से भी पर्याप्त लाभ उठा सकता है।

रोजगार किसी भी देश के आर्थिक विकास का अनिवार्य कारक है। यही कारण है कि केंद्र सरकार भी रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर सबसे अधिक बल दे रही है। कृषि के बाद गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम एवं लघु तथा कुटीर उद्योगों की इकाइयां ही गांवों में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। कुटीर उद्योग की इकाइयों में सबसे बड़ा भाग खादी इकाइयों का है।

खादी हमारे सामाजिक परिवेश में घरेलू-स्तर की तमाम जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक संभावित उद्योग है। मसलन सूत से निर्मित कपड़ा, फलों से बने पेय उत्पाद, माचिस, चमड़ा उत्पाद, मिट्टी के बर्तन, हथकरघा, हस्तशिल्प इत्यादि। अगर उपयोग के स्तर पर खादी का मूल्यांकन करें तो खादी के क्षेत्र में ऐसी तमाम संभावनाएं नजर आएंगी जो लघु तथा कुटीर उद्योग के रूप में खादी को एक बेहतर विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकती हैं। इसमें बाजार के साथ-साथ रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने और उनके विकास की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, कॉयर् बोर्ड, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू कर रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अक्टूबर, 2014 को अपने रेडियो अभिभाषण ‘मन की बात’ में लोगों से खादी अधिक से अधिक उपयोग करने का निवेदन किया था। और अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि वह चाहते हैं कि खादी का उपयोग बढ़े ताकि देश में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। प्रधानमंत्री की अपील का लोगों ने बड़े खुले दिल से जवाब दिया और एक साल से भी कम समय में खादी की बिक्री में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई।

खादी एवं ग्रामोद्योग की ओर से महिलाओं को रोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत चरखे का भी निरंतर विकास किया जा रहा है। कभी बांस की खपाची से तैयार होने वाला चरखा अब ‘हाइटेक’ हो गया है। केंद्र सरकार की तैयारी है कि देश में बड़े पैमाने पर सोलर ऊर्जा चालित चरखे चलाए जाएं। यह चरखे खासतौर से महिलाओं के लिए हैं। देश में महिलाओं की कुल आबादी के 10 प्रतिशत को इस स्कीम के साथ जोड़कर सरकार की महिला सशक्तीकरण के अभियान को गति देने की भी योजना है। सोलर चरखों से न तो पर्यावरण प्रदूषण होगा और न ही महिलाओं को अधिक श्रम लगाना पड़ेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी।

एमएसएमई मंत्रालय ने खादी की बिक्री को 26 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये तक करने और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में महिलाओं को काफी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। उम्मीद है कि मंत्रालय के इस कदम से पारिश्रमिक एवं उत्पादन में कमी के कारण खादी कार्य छोड़ने वाले कारीगरों की संख्या में कमी आएगी। सोलर चरखा इसके लिए सबसे बेहतर उपाय होगा। यह बुनकरों पर तनाव कम कर उत्पादकता बढ़ाने में मददगार साबित होगा। साथ ही, कारीगरों की आय में भी वृद्धि होगी।

सरकार ने खादी और हथकरघा उद्योग के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रमुख है। इसके तहत ग्रामीण उद्योग लगाने के लिए ऋण में सब्सिडी का प्रावधान है। इसी प्रकार बाजार तैयार करने में सहायता के लिए एमडीए योजना है। हथकरघा कलस्टर के लिए सहायता राशि भी 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। सूक्ष्म और लघु ग्रामीण उद्योगों को सहायता देने में मुद्रा बैंक भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

सरकार खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 800 स्फूर्ति क्लस्टर भी स्थापित करने जा रही है। इन्हें मार्च 2017 तक तैयार कर दिया जाएगा। इसके तहत 4 लाख बुनकरों की मदद की जाएगी। इसमें उत्पादन के उपकरण बदले जाएंगे, सुविधा केंद्र बनेंगे, उत्पादन विकास, गुणवत्ता में सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता विकास में मदद की जाएगी।

सरकार खादी को व्यावहारिक और लोकप्रिय बनाने के लिए देश के नामी फैशन डिजाइनरों के साथ भी बातचीत कर रही है ताकि खादी को युवा वर्ग के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके। युवा वर्ग खादी को एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करा सकता है। यदि खादी की सही ब्रांडिंग की जाए और इसमें खादी डेनिम जैसे नए प्रयोग किए जाएं और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खादी ट्रेडमार्क का उपयोग किया जाए तो इसके लिए बेहतर बाजार तैयार होगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में 20 सितंबर, 2015 को प्रसारित ‘मन की बात’ कार्यक्रम में खादी को फैशन से जोड़ने पर जोर दिया है ताकि युवाओं को इससे जोड़ा जा सके जिससे देश में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि स्वदेशी प्रेम भी जागृत होगा।

खादी में रोजगार की संभावनाएं

—ऋषभ कृष्ण सक्सेना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खादी की सदरी उपहार में दी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भगवद् गीता की खादी चढ़ी प्रति भेंट की तो यह संकेत मिलने लगा था कि आजादी के आंदोलन के साथ चली खादी के दिन फिरने वाले हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने उसके बाद खादी की साख बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की, जिसमें खादी ट्रेडमार्क तैयार करने और खादी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात शामिल है। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी रेडियो पर 'मन की बात' में आम लोगों से खादी पहनने की अपील की। उसके बाद से सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं ला रही है जिनके सार्थक परिणाम अगले कुछ सालों में सामने आने लगेंगे।

महानगरों में खादी की बिक्री 2 अक्टूबर से 30 जनवरी के बीच ज्यादा होती है, जब उस पर अच्छी-खासी छूट मिलती है। उस समय खादी भंडारों पर खूब भीड़ भी दिखती है। लेकिन बाकी समय में हम खादी को लगभग बिसार ही देते हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि भारत के संपन्न कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने वाली ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक आंदोलन की तरह जन्मी खादी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी तादाद में रोजगार देती है।

खादी को भूलते हैं तो हम ग्रामीण उद्योगों को भी भूल जाते हैं, जो कुछ वर्ष पहले तक हमारी रसोई से लेकर शयनकक्ष और स्नानागार तक अपनी पैठ रखते थे। कश्मीरी शॉल, हिमाचली

टोपी, जयपुरी रजाई, राजस्थानी बंधेज, रामपुरी चाकू, अलीगढ़ के ताले, बरेली का बेंट का सामान, लखनऊ की चिकनकारी, मऊ की तांत की साड़ी या भागलपुर की रेशमी साड़ी असल में ग्रामोद्योग या कुटीर उद्योग की ही देन थे। किसी समय गांव के गांव इनसे रोजगार पा रहे थे और किसानों के लिए ये संकटमोचक का काम करते थे। लेकिन यह कहते ही प्रश्न उठता है कि क्या वाकई खादी और ग्रामोद्योग से इतना रोजगार मिलता है? और अगर मिलता है तो खादी अभी तक मध्यवर्ग या अभिजात्य वर्ग की चहेती क्यों नहीं बन पाई है? गांवों में बनने वाले अचार-मुरब्बे हमारी थाली से गायब क्यों हो गए हैं?

इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें कुछ आंकड़ों की पड़ताल करनी होगी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में राज्यसभा को बताया था कि 31 मार्च, 2015 को खादी उद्योग में 10.25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उनमें 8,78,857 कताई करने वाले थे और 1,46,551 बुनकर थे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की रिपोर्ट थी कि इस क्षेत्र ने 2013-14 के दौरान (जनवरी 2014 तक) रोजगार के लगभग 140.29 लाख अवसर पैदा किए, जो पिछले वित्तवर्ष की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा हैं।





वित्तीय योजनाएं : सरकार ने खादी और हथकरघा उद्योग के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रमुख है, जिसमें गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग लगाने के लिए ऋण में सब्सिडी का प्रावधान है। इसी प्रकार बाजार तैयार करने में सहायता के लिए एमडीए योजना आई है और खादी बुनने वाले व्यक्ति को काम करने के लिए शेड तैयार करने और उपकरण खरीदने हेतु वर्क शेड योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी प्रकार हथकरघा क्लस्टर के लिए सहायता राशि भी 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। मुद्रा बैंक तो पहले से ही है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सहायता देने के लिए स्थापित किया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्तवर्ष 2013-14 में 31 जनवरी, 2014 तक खादी उद्योग में 10.89 लाख, जबकि ग्रामीण उद्योगों ने 129.40 लाख रोजगार के मौके सृजित किए। इस लिहाज से खादी ग्रामोद्योग रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। लेकिन हकीकत इससे कुछ अलग है। वास्तव में खादी तैयार करने वाले नियमित कारीगरों की संख्या बहुत कम होती है। अधिकतर वे होते हैं, जो महीने में 10-12 दिन काम करते हैं, लेकिन उन्हें भी नियमित कारीगरों में ही जोड़ दिया जाता है। 2013 के अंत में भी संसद में ऐसी ही रिपोर्ट पेश हुई थी। उसके अनुसार 2012-13 में खादी से 10.71 लाख लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन 2013 में केंद्र सरकार ने जो खादी कारीगर समूह बीमा योजना शुरू की थी, रिपोर्ट के अनुसार उसमें केवल 2.81 लाख कारीगरों ने ही पंजीकरण कराया। इसका अर्थ है कि नियमित कारीगरों की संख्या इसके आसपास ही होगी। अगर हम खादी आयोग के आंकड़ों की बात करें तो किसी कतिन और बुनकर ने यदि 15 दिन, दो महीने या छह महीने भी काम किया तो उसे आंकड़ों में शामिल कर लिया गया और बताया गया कि उसे खादी से रोजगार मिला है। लेकिन जब संगठित और स्थायी रोजगार की बात आई तो उसे हटाना पड़ा और खादी में रोजगार घटता दिखा।

वास्तव में खादी और ग्रामोद्योग रोजगार के बेहतर साधन हो सकते हैं क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। खादी की कताई के लिए तो लकड़ी के चरखे और कपास के अलावा केवल मानव श्रम की ही आवश्यकता होती है। पावरलूम या कपड़ों की छोटी इकाई लगाने में यदि 10 लाख रुपये खर्च होते हैं तो खादी की इकाई महज 20,000 रुपये में लगाई जा सकती है। ग्रामोद्योगों में जो भी छोटे-मोटे लेकिन आवश्यक उत्पाद बनते हैं, उनके लिए कच्चा माल सस्ता होता है

और आमतौर पर गांवों में ही मिल जाता है। लेकिन फसल बिगड़ने की स्थिति में किसानों के लिए आजीविका का सर्वश्रेष्ठ साधन माने जाने वाले इन उद्योगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ गई हैं, जिनके कारण लोगों का इनसे मोहभंग हो रहा है।

कम आय

आय अच्छी हो तो कोई भी उद्योग रोजगार का बड़ा स्रोत बन जाएगा। लेकिन खादी पारिश्रमिक के मामले में शेष कपड़ा उद्योग से बहुत पिछड़ी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि खादी बुनकरों की औसत न्यूनतम मासिक कमाई अभी केवल 3,000 रुपये है, जो मनरेगा के मानदंड से भी बहुत नीचे है। कुछ अध्ययन तो कमाई का औसत आंकड़ा 2,000 रुपये प्रतिमाह से भी नीचे बताते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में नियमित खादी बुनकरों की संख्या लगातार कम हुई है। गुजरात में ही संख्या 60,000 से घटकर 10,000 रह जाने की खबरें पिछले दिनों आई हैं। बुनकरों का घटना अचरज की बात भी नहीं है क्योंकि मामूली दिहाड़ी मजदूर से भी कम पारिश्रमिक पाकर कोई इसके उत्पादन में क्यों लगा रहेगा?

कच्चे माल की समस्या

खादी और ग्रामीण उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलना तो आसान है, लेकिन यदि व्यक्तिगत अथवा दो-चार लोगों के समूहों में उत्पादन किया जाए तब ही माल आसानी से मिलता है। यदि बड़ा समूह माल का भंडारण करना चाहे तो उनकी पूंजी और भंडारण क्षमता कम पड़ जाती है। इस कारण वे थोक में कच्चा माल नहीं ले पाते, जो उन्हें सस्ता पड़ सकता था। कई बार इसी वजह से उनके माल की गुणवत्ता में भी फर्क आ जाता है। चूंकि बड़े उत्पादकों को वही माल सस्ता पड़ता है, इसलिए ग्रामीण उद्योगों से तैयार उत्पाद के मुकाबले उनके उत्पाद सस्ते पड़ते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव ग्रामोद्योगों पर ही पड़ता है।

पूंजी का संकट

गांवों में उद्योग लगाने वालों के सामने पूंजी सबसे बड़ी दिक्कत है। उन्हें आसानी से सस्ता ऋण नहीं मिल पाता। केवीआईसी और दूसरी सरकारी एजेंसियां वित्तीय सहायता का दावा तो करती हैं और उन्होंने कुछ योजनाएं भी चलाई हैं, लेकिन अक्सर गांवों में चलने वाले छोटे कुटीर उद्योग उनके पैमाने पर खरे नहीं उतर पाते। खरे उतर भी गए तो कागजों का इतना मोटा पुलिंदा उनसे मांगा जाता है कि उद्यमी हार मानकर घर पर बैठ जाता है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मोटी रकम डूबने के बाद भी बैंक कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये के ऋण देते हैं, लेकिन कुटीर उद्योग के नाम पर कुछ लाख रुपये देने के लिए भी चक्कर पर चक्कर कटवाए जाते हैं।



बाजार की कमी

ये उद्योग सामान्यतया गांवों में ही होते हैं, जहां बुनियादी ढांचे की हालत आज भी लचर है। सड़क, परिवहन और संचार के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण इन उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए सही बाजार नहीं मिल पाते। ऐसे में या तो उनका समुचित विकास नहीं हो पाता या बिचौलियों के हाथों उन्हें औने-पौने दाम पर अपना माल बेचना पड़ता है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगमंत्री कलराज मिश्र ने भी पिछले साल राज्यसभा में स्वीकार किया था कि इन उद्यमियों को बाजार में पैठ बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है।

बड़ी कंपनियों से मुकाबला

पिछले कुछ समय में देखा गया है कि बड़ी रिटेल कंपनियों ने भी अपने लेबल के साथ वैसा छोटा-मोटा सामान बेचना शुरू कर दिया है, जिस पर अभी तक ग्रामोद्योग या कुटीर उद्योग का ही एकाधिकार था। ये कंपनियां सामान ठेके पर बनवाती हैं और अक्सर बेहद कम लागत में उनका सामान बन जाता है, जिस पर अपना लेबल चिपकाकर वे शहरी रिटेल स्टोर्स में बेचने लगती हैं। बड़े रिटेल स्टोर्स में इस तरह के पापड़, अचार, मुरब्बे, नमकीन से लेकर अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र, खिलौने, कैंची, चाकू और झाड़ू, टोकरी, रस्सी तक तमाम सामान मिल जाएगा, जो गांव-देहात में ही बनाया जाता रहा है। कंपनियां जितनी बेहतर पैकेजिंग और जितनी कम कीमत के साथ इन्हें बेच सकती हैं, वह छोटे उद्यमी नहीं कर सकते। नतीजा सामने है। कंपनी का ब्रांड और कम कीमत देखकर ग्राहक उसी सामान को तरजीह देते हैं, जिसकी सीधी मार छोटे उद्यमियों और खासतौर पर गांव के उद्योग मंडलों पर पड़ती है।

ब्रांडिंग की कमी

खादी की अलग ही विशेषताएं हैं। पूरी तरह प्राकृतिक और पर्यावरण तथा त्वचा के पूरी तरह अनुकूल यह कपड़ा सर्दियों में गर्मी देता है और गर्मियों में ठंडा रहता है। इसके अलावा यह खासा सस्ता भी है। ऐसे में इस बात पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि युवा पीढ़ी इसे अपना क्यों नहीं रही है? दरअसल खादी में ब्रांडिंग की कमी साफ नजर आती है, जिसके कारण युवा वर्ग इसकी ओर आकर्षित नहीं होता। सरकार की नियमित सब्सिडी के कारण भी यह नामी परिधान ब्रांडों की तरह अभिजात्य वर्ग की पसंदीदा नहीं बन पाती। यही कारण है कि इसे असंगठित क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है और निम्नतर उत्पाद समझ लिया जाता



है। यदि खादी की ठीक तरह से ब्रांडिंग की जाती है, इसमें खादी डेनिम जैसे नए प्रयोग किए जाते हैं और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खादी ट्रेडमार्क का उपयोग किया जाता है तो इसके लिए बेहतर बाजार तैयार होगा।

कैसे बड़े सार्थक रोजगार

ऊपर के तथ्यों से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि खादी और ग्रामोद्योग में रोजगार की प्रचुर संभावना मौजूद हैं। यदि इनसे पर्याप्त संख्या में रोजगार नहीं मिला है तो कमी इन उद्योगों की नहीं बल्कि सरकारी नीतियों की है और जो नीतियां अच्छी हैं, उन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया है। यदि सरकार इन समस्याओं को समझकर अपनी नीतियों को दुरुस्त करती है तो इन दोनों उद्योगों का कार्याकल्प होने में अधिक समय नहीं लगेगा। इसके लिए सरकार को सबसे पहले खादी और ग्रामोद्योग को अलग-अलग विभाग के हाथ में देना होगा क्योंकि अक्सर

स्फूर्ति : सरकार खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए 850 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 800 स्फूर्ति क्लस्टर भी स्थापित करने जा रही है। इन्हें मार्च 2017 तक तैयार कर दिया जाएगा। असल में 2005 में एमएसएमई मंत्रालय ने क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कीम ऑफ फंड फोर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (स्फूर्ति) को लांच किया था। इसी के तहत 4 लाख बुनकरों की मदद की जाएगी। इसमें उत्पादन के उपकरण बदले जाएंगे, साझा सुविधा केंद्र बनेंगे, उत्पाद विकास, गुणवत्ता में सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता विकास में मदद की जाएगी।

खादी के कारण ग्रामीण उद्योगों को अनदेखा कर दिया जाता है। इसका प्रमाण स्वयं से यह पूछने पर ही मिल जाता है कि खादी भंडार में खादी के कपड़ों के अलावा और क्या मिलता है? 90 प्रतिशत लोगों को निश्चित रूप से इसकी जानकारी नहीं होगी। इसीलिए यदि दोनों को अलग कर दिया जाता है तो ग्रामीण उद्योग भी अच्छी तरह से पनपेंगे और खादी को भी समुचित बढ़ावा मिलेगा।

दूसरी सबसे बड़ी जरूरत पारिश्रमिक में सुधार करना है, जिसके लिए बड़ा बाजार खड़ा करना होगा। खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री में सालाना 10-12 प्रतिशत वृद्धि होती रही है। लेकिन देसी कपड़ा उद्योग में खादी की हिस्सेदारी केवल 0.5 प्रतिशत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में खादी का उत्पादन करने वाली लगभग 2,200 संस्थाएं केवीआईसी के पास पंजीकृत हैं। 2012-13 में उनकी कुल बिक्री 800 करोड़ रुपये से भी कम रही। स्वाभाविक तौर पर इस बाजार में अभी बहुत अधिक गुंजाइश है।

खादी का बड़ा बाजार तो स्वयं सरकार के पास मौजूद है। सेना, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की वर्दियां भी उससे बन सकती हैं। इसी तरह स्कूलों में खादी की यूनिफॉर्म बनाई जा सकती हैं। रेलवे और सरकारी अस्पतालों में भी खादी के कपड़ों का नियम बनाया जा सकता है। इतने भर से ही इसके बाजार में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा भी सरकार को खादी को सब्सिडी या छूट देने के बजाय खादी भंडारों का कार्याकल्प करना चाहिए ताकि वे आधुनिक फैशन रिटेल स्टोर्स को कड़ी टक्कर दे सकें। ऐसे में गुणवत्ता भरे उत्पाद होने पर युवा और संपन्न वर्ग भी खादी को ब्रांड मानकर उसकी तरफ खिंचेगा और बाजार में अच्छा-खासा इजाफा होगा। देसी कपड़ा उद्योग में खादी की हिस्सेदारी मौजूदा 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर



अगले पांच साल में 5 प्रतिशत करने का लक्ष्य भी इससे प्राप्त हो जाएगा।

इस मामले में सरकार को निजी क्षेत्र का रास्ता पकड़ना चाहिए, जो अपने ब्रांड की ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। लेवाइस ने पिछले साल अगस्त में खादी जींस उतार डालीं ताकि युवा ग्राहकों को भी लपका जा सके। कई नामी डिजाइनर भी अपने कलेक्शनों में अब खादी के परिधानों का इस्तेमाल करने लगे हैं। भारत सरकार को भी डिजाइनरों की मदद से खादी को नया जामा पहनाना चाहिए।

ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सरकार को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर खासा ध्यान देना चाहिए। अचार, मुरब्बे, पापड़, जूस, वड़ियां जैसे उत्पादों की छोटे-बड़े सभी शहरों में अच्छी-खासी मांग रहती है। व्यस्त जीवनशैली के बीच इन्हें घरों पर तैयार करने का प्रचलन लगभग खत्म हो गया है। यदि सरकार इस पर ध्यान देती है तो बड़ा बाजार सामने आ सकता है। भारत के विनिर्माण उद्योग में खाद्य प्रसंस्करण की अभी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी भी नहीं है। इसी से अनुमान लग जाता है कि इस बाजार में कितनी संभावनाएं हैं। इस उद्योग की विशेषता यह है कि गांव-देहात में इसके लिए कच्चा माल बेहद कम लागत पर बेहद आसानी से उपलब्ध होता है। यदि सरकार समुचित वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, उपकरण और बाजार की सुविधा मुहैया

सोलर चरखों से होगा कार्याकल्प

खादी कारीगरों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर चरखे देने की घोषणा की। वास्तव में ये चरखे क्रांति के वाहक होंगे। यूं तो बिजली से चलने वाले चरखे पहले ही आ गए थे, जिनसे एक कताई कारीगर या बुनकर छह लोगों के बराबर काम करने में सक्षम हो गया था। लेकिन जिन क्षेत्रों में बिजली की जबर्दस्त किल्लत है, वहां सोलर चरखे कार्याकल्प करके रख देंगे। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि इन चरखों के इस्तेमाल से प्रत्येक कारीगर को हर महीने 5,000 से 8,000 रुपये मिलने लगेगे।



कराती है तो खाद्य प्रसंस्करण सबसे बड़ा ग्रामोद्योग बनकर उभर सकता है और ग्रामीण महिलाओं को सबसे अधिक रोजगार दे सकता है।

सरकार को प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण पर भी पूरा ध्यान देना होगा। खादी के साथ-साथ ग्रामीण उद्योगों में भी कम खर्च और कम समय में बेहतर उत्पादन कराने के लिए संगठित एवं समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। प्रशिक्षण केंद्र भी गांव-गांव में खोलना उचित रहेगा या चार गांवों के बीच एक कौशल विकास केंद्र खोल दिया जाए ताकि कामगारों को सीखने के लिए दूर नहीं जाना पड़े क्योंकि उनमें अधिकतर महिलाएं होती हैं। ग्रामीण उद्योगों में पुरानी मशीनरी के बजाय उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ सके। इसके लिए सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज आदि में छात्रों के बीच प्रतियोगिता करा सकती है, जिससे बेहतर से बेहतर तकनीक और कम से कम दाम वाले उपकरण सामने आ सकें। उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सरकार को ऑनलाइन पोर्टल और प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए, जिससे दूरदराज के इलाकों में भी बाजार खड़ा हो सके।

संदर्भ

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट
- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट
- पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट
- दि इकोनॉमिक टाइम्स, (http://articles-economictimes-indiatimes-com/2014&10&25/news/55422068_1_brand&khadi&khadi&products&village&industries&commission)
- दि इकोनॉमिक टाइम्स (http://articles-economictimes-indiatimes-com/2015&06&19/news/63616959_1_khadi&products&kvic&khadi&village&industries&commission)
- इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 11 अप्रैल 2015 (<http://www-epw-in/commentary/khadi&production&india-html>)
- <http://www-smetimes-in/smetimes/news/top&stories/2014/Jul/23/lack&of&eUposure&to&khadi&village&industries631321.html#sthash-658d704n-dpuf>

(लेखक आर्थिक दैनिक 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में पत्रकार हैं। इससे पहले संवाद समिति 'यूनीवार्ता' में कार्यरत थे। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध मीडिया संस्थानों में अध्यापन कर चुके हैं। इनके लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं।)

ई-मेल: rishabhakrishna@gmail.com

प्रविष्टियों हेतु आमंत्रण

छठवाँ राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव एवं प्रतियोगिता

6th National Science Film Festival & Competition

9 से 13 फरवरी 2016

स्थान: नेहरू विज्ञान केन्द्र, मुंबई

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विषयों पर फिल्मों आमंत्रित हैं

₹1 लाख तक के गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ बीवर अवॉर्ड्स

फिल्मों की श्रेणियाँ

- ए** सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों/मीडिया चैनलों द्वारा निर्मित फिल्में
- बी** व्यक्ति/स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्में
- सी** किसी विषय में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों द्वारा निर्मित फिल्में
- डी** कक्षा VI से XII में पढ़ाई कर रहे छात्रों द्वारा निर्मित फिल्में
- ई** विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से और/या अन्य देशों के प्रोडक्शन केन्द्रों द्वारा निर्मित विज्ञान फिल्में

तकनीकी उत्कृष्टता हेतु अवॉर्ड्स

- ☐ ग्राफिक्स/एनीमेशन/स्पेशल इफेक्ट्स
- ☐ साउंड रिकॉर्डिंग और डिज़ाइन
- ☐ सिनेमैटोग्राफी
- ☐ एडिटिंग

स्पेशल ज्यूरी अवॉर्ड्स

- ☐ वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली फिल्म
- ☐ नवसृजन पर फिल्म

प्रविष्टियों को जमा करने की अंतिम तिथि : 30 नवंबर, 2015

अधिक जानकारी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया देखें: www.vigyanprasar.gov.in

विज्ञान प्रसार,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था
ए-50, सैक्टर-62, नोएडा - 201 309 (उ.प्र.)
फोन: +91 120 240 4430, 240 4435, ईमेल: nsff2016@gmail.com

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार,
33, ब्लॉक जी.एन., सैक्टर V,
विधान नगर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 091

महात्मा गांधी और खादी

— चंद्रभान यादव

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखा चलाकर और सूत कातकर स्वाधीनता की जंग के साथ ही स्वावलंबन की जंग भी जीती। महात्मा गांधी की ओर से शुरू किया गया खादी का अभियान सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह तो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने भारतीयों की दीनता देखी और तय किया कि सिर्फ एक खादी की धोती ही धारण करेंगे। आज भी खादी के रूप में महात्मा गांधी का संदेश हमारे बीच मौजूद है। बदलते परिवेश में भी खादी की धाक बढ़ती जा रही है। यह अलग बात है कि खादी का स्वरूप बदला है। गांधीजी ने कहा था कि खादी एक विचार है। खादी एक संदेश है। खादी एक दर्शन है। इसी दर्शन के दम पर आज खादी के जरिए रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं।

खादी की चमक सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व मानचित्र पर कायम है। आजादी की लड़ाई के वक्त खादी हमारी ढाल भी बनी। यही वजह है कि सियासी फलक पर आज भी खादी को समाजसेवा का प्रतीक माना जाता है। वास्तव में खादी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक विचारधारा है। खादी और चरखा, यह दो ऐसे प्रतीक हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में पूरे देश को संगठित किया। खादी विदेशी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गई। यही वजह है कि खादी के शस्त्र से ऐसा हमला हुआ कि अंग्रेजों के पैर उखड़ गए और वे भारत छोड़ने के लिए विवश हो गए। बदलते परिवेश में भी खादी की धाक बढ़ती जा रही है। यह अलग बात है कि खादी का स्वरूप बदला है। महात्मा गांधी के काल की खादी अब आधुनिक खादी के रूप में युवाओं को लुभा रही है। जो खादी आजादी के आंदोलन के वक्त साम्राज्यवाद की खिलाफत का प्रतीक बनी वह अब युवाओं के लिए पैशन और फैशन भी

बनती जा रही है। भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर के लोगों पर खादी अपना प्रभाव डाल रही है। यही वजह है कि अब खादी के वस्त्रों को लेकर बाकायदा फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं पिछले दिनों इस दिशा में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ गुजरात सरकार ने नई कपड़ा नीति तैयार की है जो बुनकरों के जीवन में नया आनंद और समृद्धि लाएगी। खादी और ग्रामोद्योग दोनों अलग-अलग हैं। यह अलग बात है कि दोनों एक-दूसरे के सहायक हैं। गांधीजी ने भी कहा था कि खादी एक विचार है। खादी एक संदेश है। खादी एक दर्शन है। जहां तक खादी में उत्पादन और रोजगार घटने का सवाल है तो उत्तर भारत में परंपरागत खादी का उत्पादन होता रहा है।

वास्तव में 1910 के आसपास चरखा अथवा करघा नहीं दिखाई पड़ता था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हिन्द स्वराज में यह माना था कि चरखे के जरिये हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन् 1915 में दक्षिण अफ्रीका से हिन्दुस्तान वापस आया, तब भी चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे, हममें कोई कारीगर नहीं था। इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। कोटियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया।



उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया। परन्तु मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही। इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम में एक के बाद एक नये-नये बुनने वाले तैयार हुए। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे। इसलिए आश्रमवासियों ने मिल के कपड़े पहनना बन्द किया और यह निश्चय किया कि वे हथकरघे पर देशी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। महात्मा गांधी की यह आत्मकथा चरखे के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।

अगर हम खादी की बात करें तो जब 1920 के दशक में भारत में हाथ से बने खादी वस्त्रों की शुरुआत हुई तो यह विचारधारा के रूप में आगे बढ़ने लगी। इसके सबसे बड़े प्रशंसक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने सूती को भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। इसके पीछे कोई एक नहीं हजारों वजह थी। उस समय खादी को हाथ से तैयार किया जाता था। तमाम भारतीय महिला-पुरुष खादी के साथ जुड़कर जीविकोपार्जन करने लगे। यह एक ऐसे विकल्प के रूप में सामने आया, जो कपड़ा भारतीय मौसम के लिए सबसे दुरुस्त था। यह गर्मी के मौसम में लोगों के लिए आरामदायक साबित होता। इसे पहनने के बाद पसीने और गर्मी दोनों से राहत मिलने लगी। हालांकि सूती वस्त्र बनाने का काम बहुत मेहनत का होता है। लेकिन तब से लेकर अब तक खादी बनाने की प्रक्रिया में बहुत कम ही बदलाव हुआ है। इसी तरह महात्मा गांधी और चरखे की अवधारणा को समझने के लिए उनकी आत्मकथा के तमाम बिंदुओं को समझने की जरूरत है। उनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि जब वह अफ्रीका से लौटे उस समय देश के बुनकरों का जीवन-स्तर सुधारने की जरूरत महसूस की गई। इसी के तहत सूत बुनाई का अभियान चला। देशी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा नहीं मिल पाता था। उस समय बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिले सूत कातती नहीं थी। दूसरा बड़ा संकट यह था कि न कहीं चरखा मिलता था और न कहीं चरखे को चलाने वाला मिलता था।

महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सन् 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ोच शिक्षा परिषद में घसीट ले गये थे। वहां महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढ़ी-लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। इससे स्पष्ट है कि खादी अभियान के जरिए महात्मा गांधी ने महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई थी। अब इसे विस्तारित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से महात्मा

गांधी की विचारधारा को नए फलक पर चमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत केंद्र सरकार की ओर से खादी के विस्तार के लिए तमाम योजनाएं बनाई गई हैं। केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए हर सप्ताह नहीं तो कम से कम महीने में एक दिन खादी के ही परिधान पहनने को अनिवार्य करने की योजना पर भी विचार चल रहा है। कपड़ा मंत्रालय की भी योजना भारतीय कच्चे माल से निर्मित परिधान को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य कराने की है। इस मंत्रालय की सोच है कि अगर सरकारी उपक्रमों, आइटी कंपनियों आदि में लोगों को यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाले भत्ते को टैक्स छूट से जोड़ दिया जाए तो लोगों का रुझान भारतीय परिधान की ओर बढ़ेगा। दूसरी तरफ सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सहमति पर खादी को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने का काम शुरू कर दिया है। अब तक खादी को सरकार लागत मूल्य तक ही सीमित रखती थी, लेकिन खादी ग्रामोद्योग आयोग अब लागत तक सीमित नहीं है। अगर कोई उत्पाद लागत मूल्य से ज्यादा में बाजार में बिक सकता है तो उसे बेचने के स्तर पर भी काम किया जा रहा है।

चंपारण से प्रभावित महात्मा गांधी पहनते थे खादी

दरअसल महात्मा गांधी का समूचा जीवन सादगी का प्रतीक भी है। उन्होंने कभी भी महंगे वस्त्र पसंद नहीं किए। खादी के वस्त्र पहन कर पूरा जीवन गुजार दिया। बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह शुरू होने से पहले ही महात्मा गांधी वहां पहुंच गए। बताया जाता है कि प्रार्थना सभा में जुटने वाली महिलाओं की बड़ी हीन दशा थी। उनके पास पहनने तक के पर्याप्त कपड़े नहीं थे। इस बात से गांधीजी को बहुत आघात पहुंचा। गांधीजी ने महिलाओं से बात की तो पता चला कि उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक सेट कपड़ा ही है। कई लोगों के पास तो फटी हुई साड़ियां थी, जिससे तन ढकने में काफी दिक्कतें होती थी। इस बात ने भी महात्मा गांधी को बहुत परेशान किया। इसके बाद उन्होंने तय किया कि महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि वे अपने हाथ से बनाई साड़ी पहन सकें। इसके बाद से ही गांधीजी सूत कातने और खादी पहनने की बात को प्राथमिकता देने लगे। दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 'स्वराज' नाम से एक संगठन तैयार किया। इसमें अनुशासन की निगरानी के लिए पदसोपान समिति बनाई गई। कुछ समय बाद महात्मा गांधीजी ने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। उनका कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा



बनाए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहनें। गांधीजी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग देने के लिए पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन खादी के लिए सूत कातने में समय बिताने के लिए कहा। यह अनुशासन और समर्पण लाने की ऐसी नीति थी जिससे अनिच्छा और महत्वाकांक्षा को दूर किया जा सके। इसके बाद तो सूत कातना इस आंदोलन से जुड़े लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गया। महात्मा गांधी ने जो एक बार इसकी शुरुआत की तो फिर पूरा कारवां ही इस दिशा में चल पड़ा। इसके बाद तो उनके साथ चलने वाले ज्यादातर लोग खादी ही धारण करने लगे।

खादी का बाजार

भारत के खादी उद्योग के मुताबिक पूरे देश में इस उद्योग में 10 लाख से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। इसकी व्यापक लोकप्रियता से खादी में बदलाव हो रहा है और इससे जुड़े लाखों कारीगरों की जिंदगी में भी बदलाव दिखने लगा है। इस उद्योग को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकारी-स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी भारतीय कपड़ा बाजार में खादी की हिस्सेदारी करीब दो फीसदी के आसपास है, लेकिन इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से युवाओं का रुझान बढ़ा है, उससे यह हिस्सेदारी भी बड़े रूप में सामने आएगी। खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने 2,200 सक्रिय संस्थाओं में से 300 को इस काम के लिए चुना है। सुधार के एजेंडे के तहत इन संस्थाओं को लागत के साथ-साथ मुनाफे का चार्ट बनाने को कहा गया है। आधुनिक तकनीक के चरखे बनवाए हैं जिसे नवंबर तक 10,000 कामगारों तक पहुंचाने की कोशिश है। खादी की गुणवत्ता के मद्देनजर सरकार नामचीन डिजाइनरों को जोड़ने जा रही है। गुणवत्ता पर फोकस करने के लिए खरीददार-विक्रेता के लिए व्यापार मेले जैसा आयोजन भी योजना में है। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय के 2014-15 के कुल बजट 3,702.08 करोड़ रुपये में अकेले केवीआईसी का बजट 1,932 करोड़ रुपये है।

गांवों के मोटे वस्त्र से फैशन शो तक पहुंची खादी

जिस खादी को महात्मा गांधी ने स्वदेशी का प्रतीक मानते हुए स्वराज का आधार स्तंभ बनाया था उस खादी ने बीते 100 बरसों में कई रंग देखे और दिनोंदिन उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। आज खादी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिजाइनर स्वरूप में अपनी छटा बिखेर रही है। एक जमाना वह भी था जब खादी वस्त्रों को गांव का पहनावा माना गया, लेकिन इसका प्रभाव धीरे-धीरे



बढ़ता ही गया। अब स्थिति यह है कि महानगरों में खादी पर 'फैशन शो' का आयोजन किया जा रहा है। हाल के दिनों में देश के शीर्ष फैशन डिजाइनर खादी वस्त्रों को आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में खादी का एक फैशन शो आयोजित किया। तमाम फैशन डिजाइनरों के पास खादी वस्त्रों का एक बड़ा कलेक्शन है। बाजार की मांग को देखते हुए इसके अलग-अलग डिजाइन और सूत तैयार कराए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम देखें तो भारत के संतुलित आर्थिक विकास में खादी ग्रामोद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर हाथ को काम दिया जा सकता है। अगर इस पर सरकार ध्यान दे तो यह न केवल भारत के संतुलित विकास में सहभागी बनेगी, बल्कि भारत की बेरोजगारी भी दूर करेगी। सरकार अगर ग्रामोद्योग पर ध्यान देगी तो न केवल गांवों का संतुलित आर्थिक विकास होगा, बल्कि लोगों का गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी रुकेगा। इससे शहर अनावश्यक बोझ से बच जाएंगे। खादी संस्थाओं के पास कितना वर्किंग फंड हो, इसकी नियमित तौर पर समीक्षा हो और उन्हें योजनाबद्ध ढंग से पुनर्जीवित करने की जरूरत है।

स्रोत

- 'सत्य के प्रयोग' और 'आत्मकथा' पुस्तक से साभार
- 'महात्मा गांधी मेरे पितामह' पुस्तक से साभार
- गद्यकोष में खादी पर प्रकाशित रिपोर्ट से साभार
- बीबीसी पर खादी से संबंधित प्रकाशित रिपोर्ट से साभार
- विभिन्न समाचार-पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित रिपोर्ट

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमर उजाला, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका सहित विभिन्न समाचार-पत्रों में समसामयिक विषयों पर फीचर, संपादकीय लेख प्रकाशित। समसामयिक विषयों पर नियमित लेखन।)

ई-मेल: ychandrabhan@yahoo.com

जीविकोपार्जन के मिशन पर जुटी सरकार

—सुधांशु सिंह

केंद्र सरकार की ओर से लोगों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर हाथ को काम मिले और व्यक्ति को सम्मान मिले। इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस मिशन के जरिए गरीबी मिटाने का मिशन चल रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की तकदीर बदल दी है। गांवों से युवाओं का पलायन भी रुका है। सरकारी नौकरी की बेताबी कम हुई है और लघु उद्योग से जुड़ने का मौका मिला है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को नया रास्ता दिखा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हर वर्ग को लगातार संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत समय-समय पर विभिन्न योजनाओं को संगठित करने, उन्हें विस्तारित करके लोगों के फायदे योग्य बनाने की दिशा में भी प्रयास किया जाता है। ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करने की दिशा में ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर हम इसके इतिहास पर गौर करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को पुनर्गठित किया गया और वित्तीय वर्ष 2010-11 के बाद से

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रदर्शित किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए प्रो. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। एसजीएसवाई के तहत ऋण से संबंधित मुद्दों पर गठित समिति ने बाकायदा पड़ताल की। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि हमें नए तरीके से एक कार्यक्रम लागू करने की जरूरत है जिसमें कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्वयंसहायता समूहों और उनके महासंघों में सभी गरीब परिवारों को जुटाने, बैंक ऋण और अन्य वित्तीय, तकनीकी और विपणन सेवाओं के लिए उनके उपयोग को बढ़ाने आदि पर जोर देना होगा।



सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और गरीबी कम करने के लिए अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने और गति प्रदान करने और 2015 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में एसजीएसवाई का पुनर्गठन किया। एनआरएलएम के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क 9 दिसंबर, 2010 को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया और मिशन औपचारिक रूप से 3 जून, 2011 को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना

है। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है। मिशन के आंकड़ों के मुताबिक एनआरएलएम ने स्वसहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और छह लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों (बीपीएल) को दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया है। इसके जरिए गरीब लोगों में अपनी गरीबी मिटाने की मजबूत इच्छाशक्ति पैदा कर उनकी भरपूर क्षमता पैदा करना है।

गरीब लोगों की सहज क्षमताओं को उबारने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता के साथ-साथ सशक्त संस्थाएं बनाना बहुत जरूरी है। सामाजिक एकजुटता लाने, सशक्त संस्थाओं के निर्माण और सशक्तीकरण प्रक्रिया के लिए एक बाह्य समर्पित और संवेदनशील सहायक संरचना की जरूरत है। इसकी निगरानी के लिए भी बाकायदा योजना बनाई गई। एनआरएलएम परामर्श समिति (एनआरएलएमएसी) बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे। नीति निर्माता इकाई के तौर पर यह एनआरएलएम का विज्ञान, दिशा और प्राथमिकताएं तय करेगी और पूरी प्रगति की समीक्षा करेगी। ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में एनआरएलएम की समन्वय समिति समय पर मिशन के उद्देश्यों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए इस पर नजर रखेगी। एनआरएलएम की अधिकार प्राप्त समिति राज्य के नजरिए और क्रियान्वयन वाली योजनाओं तथा वार्षिक कार्ययोजनाओं की समीक्षा करेगी। ये समिति योजनाओं को मंजूरी देती है और एसआरएलएम को धन जारी करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में एनआरएलएम के संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव मिशन निदेशक के तौर पर मिशन की अगुवाई करते हैं। इसी तरह जिला-स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन इकाई (डीएमएमयू) जिले में निगरानी रखती है। यह डीआरडीए के साथ बेहतर तालमेल रखते हुए संबंधित क्षेत्र की संरचनाओं की सहयोगी इकाई के तौर पर काम करती है। डीएमएमयू का प्रमुख जिला मिशन प्रबंधक (डीएमएम) है। इसमें सामाजिक समावेश, वित्तीय समावेश, आजीविका, क्षमता निर्माण, कार्यक्रम प्रबंधन, कार्यक्रम सहयोग आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, साथ ही आवश्यकतानुसार सहयोगी स्टाफ होता है। इन विशेषज्ञों तथा स्टाफ सदस्यों की जरूरत के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कांट्रैक्ट पर या प्रतिनियुक्ति की जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार ने गहन निवेश शुरू करने के लिए उच्च गरीबी वाले राज्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जुलाई 2011 में आईडीए ने विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद राष्ट्रीय

ग्रामीण आजीविका परियोजना को करीब 4500 करोड़ रुपये से पुनर्गठित किया गया है।

कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के तमाम प्रयास

कुटीर उद्योग के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय में सरकार के पास श्रम गहन तकनीक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग सहित सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के विकास के लिए बहुत-सी योजनाएं हैं। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय में सरकार संपूर्ण देश में परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को संगठित करके उनकी अर्जन क्षमता बढ़ाने के अलावा, उनका पलायन रोकने में सहायता कर कुटीर उद्योगों सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राष्ट्रीय-स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। स्कीम को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, बैंकों की भागीदारी के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अ.जा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों/महिलाओं/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक विकलांगों/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे विशेष श्रेणियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम को देश के पिछड़े क्षेत्र सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्जिन मनी का लक्ष्य आबंटित करते समय पिछड़ेपन के घटक को भी ध्यान में रखा जाना है। विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी राज्यवार मार्जिन मनी सब्सिडी जिसे लक्ष्य तथा कृषि ग्रामीण उद्योग सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी के संदर्भ में उपलब्धि माना जाता है, इसे अनुबंध में दिया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) दो योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया है। वर्ष 2008 से पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार



सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) अलग-अलग योजनाएं थीं, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय की सिफारिश पर 14 अगस्त, 2008 को पीएमईजीपी के तहत इसका एकीकरण कर दिया गया। राष्ट्रीय-स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की ओर से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को एकमात्र नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्र भी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सहयोगी बनाए गए। इससे पहले सरकार की ओर से पीएमआरवाई के तहत वर्ष 1996 – 97 में 115 करोड़, 2001–02 में 193 करोड़, 2004–05 में 218 करोड़, 2006 –07 में 252 करोड़ एवं 2007–08 में 320 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। इसके लिए 15 से 35 फीसदी के अनुदान की व्यवस्था की गई। इस योजना के तहत, लाभार्थी को परियोजना की लागत के 10 प्रतिशत का निवेश स्वयं के योगदान के रूप में करना होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों से लाभार्थी के लिए यह योगदान परियोजना की कुल लागत का 5 प्रतिशत होता है। शेष 90 या 95 प्रतिशत (जो भी उपयुक्त हो), इस योजना के तहत निर्दिष्ट बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है।

इस योजना के तहत लाभार्थी को ऋण की एक निश्चित रकम वापस दी जाती है। इसमें सामान्य के लिए 25 फीसदी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए 35 फीसदी का प्रावधान किया गया है, जोकि ऋण प्राप्त करने की तिथि के दो वर्षों के बाद उसके खाते में आती है। इसके तहत 4735 करोड़ रुपये की योजना लागत है। ग्यारहवीं योजना में 2008–09 से लेकर 2011–12 के दौरान इसके तहत 38 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने का अनुमान है। कार्यक्रम के तहत सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक के सूक्ष्म उद्यम तथा विनिर्माण के क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक के उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए नई परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी, लेकिन पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्यों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, प्रदेश के सभी जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह ऋण राशि की संस्तुति सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों, ग्रामीण बैंक, सिडबी, सहकारी भूमि विकास बैंक, राज्य के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र के बैंक कर सकते हैं।



प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की दो श्रेणी तय की गई हैं। पहली श्रेणी यानी सामान्य श्रेणी में परियोजना लागत का 10 फीसदी लाभार्थी को लगाना पड़ता है। यदि लाभार्थी शहरी क्षेत्र का है तो उसे परियोजना लागत का 15 फीसदी और यदि ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसे 25 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह दूसरी श्रेणी यानी विशेष श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला (सभी वर्गों की), पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग, सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस श्रेणी के लाभार्थी को अंशदान परियोजना लागत का सिर्फ पांच फीसदी लगाना होता है और शहरी क्षेत्र के लाभार्थी को परियोजना लागत की 25 फीसदी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी को 35 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। बैंक से पहली किस्त जारी होने के बाद लाभार्थी संबंधित बैंक के जरिए मार्जिन मनी का दावा 15 दिन में नोडल शाखा में करता है। नोडल शाखा ऋण लेने वाली बैंक शाखा को 15 दिन में मार्जिन मनी जारी कर देती है। इस संबंध में उद्योग केंद्र को सूचित करने के बाद लाभार्थी के नाम मार्जिन मनी को टीडीआर में रखा जाता है। टीडीआर में कोई ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे ही परियोजना स्थापित करने के बारे में भौतिक सत्यापन पूरा हो जाता है यह मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। भौतिक सत्यापन 24 माह के अंदर ही किया जाता है।

भारत में पारंपरिक उद्योगों की एक समृद्ध परंपरा है। पारंपरिक उद्योगों के पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की महान क्षमता न केवल उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करती है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में



रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। वास्तव में स्फूर्ति परंपरागत उद्योगों के सृजन हेतु निधि की योजना है। आयोग खादी के साथ-साथ ग्रामोद्योगी उत्पादों के लिए क्लस्टर विकास के संवर्धन हेतु नोडल अभिकरण है। कार्यक्रम के परिणाम ने कारीगरों की मजदूरी तथा कार्यान्वयन अभिकरण के उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने में बहुत प्रोत्साहित दिया था। स्फूर्ति क्लस्टरों हेतु संचालित मूल्यांकन अध्ययन ने कार्यक्रम को नियत किया, जिससे कार्यक्रम को पूर्णतया सफलता मिली। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना में निश्चित संशोधन कर इसकी प्रोन्नति हेतु विस्तृत रूप में बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया। पहले चरण में देश में 71 संकुलों का विकास किया जाएगा जिसमें 149.44 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अनुसार 12वीं योजना अवधि में 800 संकुलों का प्रस्ताव है जिसके लिए धन सरकार व एशियाई विकास बैंक से जुटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोला उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय ने यह योजना 2005 में शुरू की थी। सरकार ने कुल 97.25 करोड़ रुपये के योजना व्यय के साथ खादी, ग्राम व नारियल रेशा क्षेत्रों के विकास के लिए 100 क्लस्टर विकसित करने की स्फूर्ति योजना पेश की थी। इस योजना के तहत उत्पादन उपकरणों को बदलने के लिए मदद, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, उत्पाद विकास,

गुणवत्ता सुधार, विपणन में सुधार, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण शामिल हैं।

मधुमक्खी पालन

मधुमक्खी पालन के उत्पाद के रूप में शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारत में मधुमक्खियों की चार प्रजातियां पायी जाती हैं। पहाड़ी मधुमक्खी, छोटी मधुमक्खी, भारतीय मधुमक्खी। शहद निकालने के लिए मधुमक्खियों को धुआं दिखाकर अलग कर दिया जाता है। शहद को अमूमन अक्तूबर-नवंबर और फरवरी-जून के बीच ही एकत्र किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में फूल ज्यादा खिलते हैं। पूरी तरह भरा हुआ छत्ता हल्के रंग का होता है। इसके दोनों ओर के आधे से अधिक कोष्ठ मोम से बंद होते हैं। मधुमक्खी पालन में कम समय, कम लागत और कम ढांचागत पूंजी निवेश की जरूरत होती है। कम उपज वाले खेत से भी शहद और मधुमक्खी के मोम का उत्पादन किया जा सकता है। मधुमक्खियां खेती के किसी अन्य उद्यम से कोई ढांचागत प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। मधुमक्खी पालन का पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मधुमक्खियां कई फूल वाले पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह वे सूर्यमुखी और विभिन्न फलों की उत्पादन मात्रा बढ़ाने में सहायक होती हैं। मधुमक्खी पालन के लिए छत्ता

तैयार किया जाता है। यह एक साधारण लंबा बक्सा होता है, जिसे ऊपर से ढका जाता है। बक्से का आकार 100 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। बक्सा दो सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए और उसके भीतर छत्ते को चिपका कर एक सेंटीमीटर के छेद का प्रवेशद्वार बनाया जाना चाहिए। दूसरा बक्सा स्मोकर है। यह दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे छोटे टिन से बनाया जा सकता है। हम धुआं फेंकने वाले का उपयोग खुद को मधुमक्खियों के डंक से बचाने और उन पर नियंत्रण पाने के लिए करते हैं।

डेयरी विकास योजना

देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक-आर्थिक विकास में पशुपालन और डेयरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लघु एवं सीमांत किसान इसके जरिए स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और केरल दुग्ध उत्पादन की दिशा में अग्रसर हैं। ये 14 प्रदेश कुल दुग्ध उत्पादन का करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन देते हैं। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही डेयरी उद्यमिता विकास योजना का



संचालन भी शुरू किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 25 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को 33 प्रतिशत की सहायता केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदान की जाती है। दुनिया के सर्वाधिक पशुधन की संख्या भारत में है। यह दुनिया भर में भैंसों की जनसंख्या का करीब 57.3 प्रतिशत और पशु जनसंख्या का 14.7 है। वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 290 ग्राम प्रतिदिन रही, जबकि विश्व का स्तर 284 ग्राम प्रतिदिन है। भारतीय डेयरी क्षेत्र ने नौवीं योजना से काफी बेहतर स्थिति हासिल कर ली है। भारत प्रतिवर्ष करीब 130 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। मार्च 2012 तक करीब 14.78 मिलियन किसानों को 1,48,965 ग्राम स्तर की डेयरी सहकारी समितियों के दायरे में लाया जा चुका है। राष्ट्रीय डेयरी योजना 2016-17 तक 150 मिलियन टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।



पोल्ट्री का विकास

केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए पोल्ट्री उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता प्रति वर्ष 55 अंडे हैं। जबकि करीब 66.45 बिलियन अंडों का उत्पादन होता है। पोल्ट्री मांस उत्पादन करीब 2.5 मिलियन टन है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में करीब 457.82 करोड़ रुपये के पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात हुआ था।

एमू पालन

भारत में इन दिनों एमू पालन का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसके जरिए कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके मांस, अंडे, तेल, त्वचा तथा पंखों की अच्छी कीमत मिलती है। ये पक्षी कई तरह की मौसमी दशाओं के लिए अनुकूलित होते हैं। भले ही एमू और शतुरमुर्ग भारत के लिए नए हैं, पर एमू पालन को यहां महत्व मिल रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा चीन एमू के प्रमुख पालक देश हैं। एमू पक्षी भारतीय मौसम के प्रति अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। एमू की गर्दन लंबी होती है, उसका सिर अपेक्षाकृत छोटा होता है, तीन अंगुलियां होती हैं और शरीर पंखों से ढका रहता है। एमू के प्राकृतिक भोजन में शामिल हैं— कीट, पौधों के कोमल पत्ते तथा चारा। ये विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा फल खाते हैं, जैसे गाजर, खीरा और पपीता इत्यादि। मादा एमू नर से कुछ ऊंची होती हैं, खास कर प्रजनन काल में जब नर भूखा भी रह सकता

है। मादा एमू नर से अधिक प्रभावी होती है। एमू 30 सालों तक जीवित रहता है। इन पक्षियों को जोड़े में या झुंडों में पाला जा सकता है। भारत में एमू तथा शतुरमुर्ग का मांस उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है, जिसमें कम चर्बी, कम कॉलेस्ट्रॉल होते हैं, और ये अच्छे स्वाद वाला होता है।

बकरी पालन

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की ओर से भारत की विभिन्न जलवायु की उन्नत नस्लें जैसे ब्लैक बंगला, बारबरी, जमनापारी, सिरोही, मारबारी, मालावारी, गंजम आदि के संरक्षण एवं विकास से संबंधित योजनाएं चलायी जा रही हैं। इसमें ब्लैक बंगला प्रजाति की बकरियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तरी उड़ीसा एवं बंगाल में पायी जाती हैं। इसके शरीर पर काला, भूरा तथा सफेद रंग का छोटा रोंआ पाया जाता है। अधिकांश (करीब 80 प्रतिशत) बकरियों में काला रोंआ होता है। जमुनापारी प्रजाति की बकरी सबसे ऊंची तथा लम्बी होती है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले एवं गंगा, यमुना तथा चम्बल नदियों से घिरे क्षेत्र में पायी जाती हैं। इसी तरह बीटल नस्ल पंजाब प्रांत में पाली जाती है। बकरी पालन सभी जलवायु में कम लागत, साधारण आवास, सामान्य रखरखाव तथा पालन-पोषण के साथ संभव है। इसके उत्पाद की बिक्री हेतु बाजार सर्वत्र उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से पशुधन में बकरी का एक विशेष स्थान है। गरीब किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के जीविकोपार्जन का एक साधन भी है बकरी पालन। बकरी पालन स्वरोजगार का एक प्रबल साधन बन रहा है। मांस, दूध एवं रोंआ के लिए बकरी पालन किया जाता है।

(लेखक जयपुर स्थित प्रबंध संस्थान से जुड़े हैं। ग्रामीण विकास व कृषि अर्थव्यवस्था एवं समसामयिक मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते रहते हैं।)

ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के लिए सहभागितापूर्ण संचार

—डॉ. अपराजिता सुमन

एनआरएलएम और उससे पहले के गरीबी उन्मूलन उपायों के बीच महत्वपूर्ण अंतर गरीबों के बारे में ठोस विश्वास और इस विश्वास का कार्यान्वयन में उपयोग है। इससे पहले, गरीबों को अक्षम समझा जाता था तथा यह माना जाता था कि उन्हें संरक्षण और खैरात की जरूरत है, लेकिन एनआरएलएम का मुख्य विश्वास यह है कि गरीब बेहद सक्षम हैं और सरकार का काम अपनी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों को व्यवस्थित करके और योग्य बनाकर उनकी समस्त सम्भावनाओं को सामने लाना है। ग्रामीण महिलाओं को लक्षित करते हुए यह कार्य बहुत प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

वैश्विक स्तर पर, विकासशील देशों में रहने वाले लगभग 75 प्रतिशत गरीब ग्रामीण इलाकों में बसते हैं और 2020 में, जबकि विश्व की बहुसंख्य आबादी के शहरी क्षेत्रों में बसने का अनुमान है, तब भी करीब 60 प्रतिशत गरीब ग्रामीण ही होंगे। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण उत्थान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिशन “गरीबी उन्मूलन के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि, ग्रामीण भारत में प्रगति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने और बहुआयामी रणनीति के

जरिए ग्रामीण भारत की सतत और समावेशी वृद्धि करना है।” मंत्रालय ने उत्पादकता और जीवन की स्थितियों में सुधार और गरीबी में कमी लाकर ग्रामीण आजीविका की स्थिति में बदलाव लाने के लिए ग्रामीण आबादी की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

एनआरएलएम कार्यान्वयन में गरीब लाभार्थी नहीं बल्कि सहभागी : एनआरएलएम और उससे पहले वाले गरीबी उन्मूलन उपायों के बीच महत्वपूर्ण अंतर गरीबों के बारे में ठोस विश्वास

और इस विश्वास का कार्यान्वयन में उपयोग है। इससे पहले, गरीबों को अक्षम समझा जाता था तथा यह माना जाता था कि उन्हें संरक्षण और खैरात की जरूरत है, लेकिन एनआरएलएम का मुख्य विश्वास यह है कि गरीब बेहद सक्षम हैं और सरकार का काम अपनी संस्थाओं के माध्यम से गरीबों को व्यवस्थित करके और योग्य बनाकर उनकी समस्त सम्भावनाओं को सामने लाना है। ग्रामीण महिलाओं को लक्षित करते हुए यह कार्य बहुत प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विलक्षण पहलू यह है कि इस प्रक्रिया का बेहतरीन प्रबंधन एवं उन्हें अपनाने का कार्य सरकार के मिशन अथवा गैर-सरकारी संगठनों जैसी ‘बाहरी इकाइयों’ द्वारा नहीं बल्कि ‘परिवर्तित एवं सशक्त’ महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। बाहरी



इकाईयां, चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हों, वे इन आंतरिक महिला चैम्पियंस की जगह नहीं ले सकतीं। इन बाहरी इकाईयों की प्रमुख भूमिका इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना और सामुदायिक चैम्पियंस को गरीबी से बाहर आने और इस प्रक्रिया की कमान थामने में सक्षम बनाना है। इसलिए यह मिशन 'क्रियान्वयक' की नहीं बल्कि 'सहायक' की भूमिका निभाता है।

सामुदायिक चैम्पियन : प्रायोगिक ज्ञान के संरक्षक

एनआरएलएम के वास्तविक पथप्रदर्शक ये सामुदायिक चैम्पियंस हैं, जिन्हें प्रेमपूर्वक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति अथवा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) कहा जाता है। एनआरएलएम का विश्वास है कि 'परिवर्तित और सशक्त' महिलाएं 'बाहरी एजेंट्स' की तुलना में ज्यादा बेहतर ढंग से कार्यक्रम का प्रबंधन कर सकती हैं और उसे अपना सकती हैं। सामुदायिक प्रोफेशनल प्रायोगिक ज्ञान के संरक्षक होने के नाते, इस कार्यक्रम के 'ज्ञान प्रबंधक' अथवा 'प्रमुख संचारक' के रूप में आगे बढ़ते हैं।

ज्ञान प्रबंधक

- पूर्णतया विकसित स्वसहायता समूहों के सदस्य कार्यक्रम की सफलता के जीवंत प्रमाण हैं।
- अपने समूहों के सदस्यों की तरह उनमें संचार का अच्छा कौशल और उपयुक्त अनुभव है और वे अपने जीवन-स्तर को बेहतर बना चुके हैं।
- समूहों के प्रबंधन में ज्ञान और अनुभव हासिल कर चुके हैं और सामुदायिक गतिविधियों की भूमिका और कार्य के बारे में स्पष्टता है।
- व्यक्तिगत अनुभवों और उत्कृष्ट पद्धतियों से सबक लेते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने की योग्यता है।
- नवीन सूचना और संचार के उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों (कहावतों सहित) को प्रशिक्षण एवं सुगमता से उपयोग में लाने की योग्यता है।
- मामलों के अध्ययन (केस स्टडीज) और सदस्यों के बेहतरीन तौर-तरीकों का प्रलेखन करने और उनका इस्तेमाल प्रशिक्षण सामग्री के रूप में करने में सक्षम हैं।

सुविधाओं से वंचित किसी ग्रामीण गरीब महिला को सामुदायिक नेता-नेतृत्व के गुणों के विकास, प्रशिक्षण के कौशलों, अन्य गरीब महिलाओं को गरीबी से बाहर निकलने में सहायता देने के जुनून के साथ परिवर्तन के माध्यम के रूप में परिवर्तित होते हुए देखना अद्भुत है। यह समुदाय की 'उत्कृष्ट व्यवसायी' न सिर्फ 'युक्तिसम्पन्न ज्ञान प्रबंधन' के सबसे प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करती हैं, बल्कि 'व्यवहार में परिवर्तन लाने संबंधी संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम' भी बन जाती

हैं। तभी एनआरएलएम— 'गरीब के लिए कार्यक्रम', 'गरीब का कार्यक्रम' और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 'गरीब द्वारा कार्यक्रम' बन जाता है।

सहभागितापूर्ण संचार से सहभागितापूर्ण विकास की ओर

जनता, समुदाय और स्थानीय संस्थानों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए सरकार के संचार के प्रयास नए नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर उद्देश्यों की पूर्ति करने के योग्य नहीं बन सके। संचार, विशेषकर विकास संबंधी संचार को ग्रामीण समाज के जटिल ढांचे के अनुरूप बनाने के लिए निरंतर सुसंगत बनाने की आवश्यकता है— स्थानीय जरूरतों और अवसरों के मुताबिक नवीन कार्यनीतियों का अनुप्रयोग।

सहभागितापूर्ण संचार आगे बढ़ने का उत्कृष्ट रास्ता

संचार के बिना किसी वास्तविक और ऊर्जावान समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। एनआरएलएम का मुख्य आधार समुदाय का विकास होने के नाते सहभागितापूर्ण विकास की कार्यनीति आगे बढ़ने का उत्कृष्ट रास्ता है।

लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ज्ञान का प्रबंधन

ज्ञान (प्रौद्योगिकी सहित) को वित्तीय एवं मानव संसाधनों के समान और विशिष्ट महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। चुनौती एक शिक्षण संगठन बनाने की दिशा में रही है—जो समुदायों से, कार्यान्वयन से जुड़े अपने स्वयं के अनुभवों से सीखें और कार्यक्रम के निष्कर्षों में सुधार लाने के लिए इस सीख को निरंतर उपयोग में लाएं।

ज्ञान को संसाधन के रूप में मान्यता देना

एनआरएलएम स्वीकार करता है कि जनता का अनुभव ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसे इस्तेमाल में लाने के तंत्र विकसित किए जाने चाहिए। कार्यक्रम यह सिद्ध करता है कि सतत विकास के लिए जन-भागीदारी, प्रभुत्व, संपर्क और सशक्तीकरण महत्वपूर्ण हैं और निश्चित करता है कि समुदाय सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया की अगुवाई स्वयं करेंगे बजाए इसके कि वे विशेषज्ञों के फैसलों के 'निष्क्रिय लाभार्थी' बनें।

- 'विकासवाद' के विचार पर सहमति व्यक्त नहीं की गई है,
- 'सामुदायिक दृष्टिकोण' की पेशकश की गई है, जो सूचना प्रदान करने की जगह, सार्वजनिक मामलों पर विचार-विमर्श और भागीदारी करता है।
- व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तरों, दोनों जगह 'विकास' को परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके माध्यम से समुदाय सशक्त होते हैं।



- आर्थिक प्रगति के संदर्भ में विकास को अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं देखा गया है। ज्ञान और क्रियाशीलता के स्थानीय स्वरूपों को बढ़ावा दिया गया है और सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरक के रूप में बढ़ावा दिया गया है।

एनआरएलएम में, ज्ञान का प्रबंधन कार्यनीतिक प्रारूप के रूप में अंतर्निहित है, जिसके माध्यम से ग्रामीण गरीबों द्वारा अपनी आजीविका बढ़ाने और सशक्त बनने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कार्य किए जा सकते हैं।

ग्रामीण आजीविका बढ़ाना

एनआरएलएम ग्रामीण गरीब महिलाओं तक पहुंच बनाता है और गरीबों के लिए सतत आजीविका की दिशा में समूहों को प्रोत्साहन और समर्थन देते हुए उन्हें गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने में सहायता करता है। ऐसा गरीबों के मौजूदा आजीविका वर्ग को मजबूती एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हुए और 'आजीविका बढ़ाने' के साथ 'असुरक्षा घटाने' पर ध्यान केंद्रित करते हुए किया जाता है।

कार्यक्रम का विश्वास है कि आईसीटी आधारित नवाचार गरीबी से निकलने का अलग रास्ता दिखाते हुए सीखने पर लगने वाले समय में कमी ला सकते हैं। जिन नवाचारों में सीमित संसाधनों के साथ अत्यधिक प्रभाव का सामर्थ्य होता है, उन्हें ज्ञान के प्रसार और प्रभावपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिकता और समर्थन प्रदान किया जाता है।

वीडियो आधारित शिक्षण के माध्यम से कृषि में निचले से उच्च-स्तर तक नवाचार को सुगम बनाना

समुदाय में, समुदाय द्वारा सूचना के प्रसार के लिए डिजिटल ग्रीन (डीजी) को संलग्न किया गया है। यह एक आईसीटी सक्षम दृष्टिकोण के जरिये उनकी कारगरता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ मौजूदा, जन-आधारित विस्तार प्रणालियों के साथ कार्य करता है। डीजी हस्तक्षेप इस महत्वपूर्ण उद्देश्य पर आधारित है कि स्थानीय भाषा और स्थानीय संदर्भ विशेष से जुड़ा संचार सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है।

सामुदायिक सदस्यों (वीडियो संसाधन कर्मी-वीआरपी) को समूह सहायक, वीडियोग्राफी और बुनियादी वीडियो निर्माण में प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि और संबद्ध कार्यों के मॉड्यूल तैयार करते हुए हर महीने 8-10 मिनट के खंड वाले 10-15 वीडियो तैयार किए जाते हैं। इन वीडियो में उत्पादन की बेहतर तकनीकों, बाजार सम्पर्क और सरकारी योजनाओं के प्रमाण एवं प्रदर्शन सहित विषयों के संबंध में स्थानीय किसानों को दर्शाया जाता है।

इन वीडियो के साप्ताहिक प्रदर्शन में 10-20 किसानों के छोटे-छोटे समूह (स्वसहायता समूह के सदस्य अथवा उनके

परिवार के सदस्य) भाग लेते हैं। ये प्रदर्शन समुदाय के सेवा प्रदाताओं (वीआरपी) की मध्यस्थता से संवादात्मक, विचारपूर्ण मंच के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है। सामान्य चर्चा के दौरान, वीआरपी पूर्व सत्रों और साथ ही साथ जिस पद्धति पर चर्चा की गई हो, उससे संबंधित संदेहों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। प्रसार के बाद, वीआरपी वीडियो में प्रदर्शित पद्धति दोहराने के इच्छुक समुदाय के सदस्यों से सूचना एकत्र करते हैं।

इस प्रकार डिजिटल विषयवस्तु, आंतरिक और बाह्य पद्धतियों, दोनों के हाइलाइट्स तैयार करती है। गांव के स्तर पर संग्रहित वीडियो (और यू ट्यूब पर भी अपलोड किए गए) स्थानीय और ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करते हैं। ये पुस्तकालय देश भर के ग्रामीण समुदायों में संचार एवं शिक्षण के विविध बिंदु तैयार करने के लिए संस्थागत मंच को डिजिटल ज्ञान मंच के साथ जोड़ते हैं। डिजिटल ग्रीन की वेबसाइट कार्यक्षेत्र में तैयार किए गए वीडियो को संस्थागत रूप से साझा करने का मंच प्रदान करती है और प्रत्येक वीडियो की पहुंच, फीडबैक और प्रदर्शित पद्धतियों और तकनीकों को अपनाए जाने पर नजर रखती है।

अकेली सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से ही हाशिये पर मौजूद किसानों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने की अपेक्षा रखने वाली कुछ प्रणालियों के विपरीत, यह मॉडल मौजूदा, जन-आधारित विस्तृत प्रणालियों के साथ काम करता है और अपनी कार्यसाधकता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। "टीवी पर दिखने" का रोमांच किसानों को प्रेरित करता है। डिजिटल ग्रीन तकनीक ने विशिष्ट 'प्रशिक्षण एवं दौरे पर आधारित' (टी एंड वी) व्यापक दृष्टिकोण के साथ कृषि की कुछ पद्धतियों को अपनाने की दर में कई गुना वृद्धि की है। भारत में ग्रामीण-स्तर के वीडियो प्रदर्शन में छोटे और हाशिए पर मौजूद किसानों के पर्याप्त संख्या में भाग लेने के साथ, ग्रामीण डिजिटल पुस्तकालय आजीविका संबंधी जानकारी शीघ्र और ज्यादा सुगम तरीके से साझा करने और भौगोलिक रूप से फैले समुदायों तक पहुंचाने के समाधान प्रस्तुत करते हैं।

आजीविका के रूप में संस्कृति : बांग्ला नाटक डॉट कॉम -कला आधारित संचार

सामाजिक तौर पर अलग, गैर-कृषि क्षेत्र (परम्परागत कला एवं शिल्प में निपुण) के लिए एक अन्य दिलचस्प नवाचार, आजीविका के सतत अवसरों का सृजन करना और सांस्कृतिक उद्यमों के विकास को सुगम बनाते हुए उन्हें विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना है। बुनियादी स्तर पर ये उद्यम आर्थिक संसाधन और सार्थक संबंध जुटाते हैं, उनके कौशलों को मान्यता देते हैं तथा विशाल समुदाय को अच्छा जीवन बिताने की अभिलाषा प्रदान करते हैं।

कार्यनीति द्विआयामी है : कला के विविध रूपों के लिए नए बाजारों की तलाश और स्थापना तथा विकास संचारक के रूप में कलाकारों का क्षमता निर्माण। मध्यवर्ती राज्य में मौजूद प्रदर्शन कला के लोकप्रिय रूपों की ग्रामीण परम्परागत लोक कलाकारों के साथ पहचान की गई है। इन कलाकारों के लिए प्रचार और दौरो, श्रव्य-दृश्य प्रलेखन के जरिए लोक धरोहर को संजोने, प्रखंड-स्तर पर सांस्कृतिक उद्यम/संस्थाएं बनाने और जरूरत पर आधारित क्षमता निर्माण के माध्यम से बाजार के सम्पर्क सृजित किए गए हैं।

10-20 सदस्यों वाले समान हित समूहों (सीआईजी) के गठन के लिए कलाकारों को साथ जोड़ा गया है और कलाकारों को बुनियादी प्रशिक्षण मुहैया कराया गया है। विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ कारीगर के कौशल का स्तर और पुख्ता बनाया गया है। लोककला के विविध रूपों पर प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है और इस विशिष्ट प्रशिक्षण का लक्ष्य कलाकारों को संवेदनशील और क्षमतावान बनाने के साथ ही साथ व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कला के नाट्य संबंधी पहलू को भी विकसित करना है। जनजातीय गीत एवं नृत्य शैली में कलाकारों को नृत्य की नई भंगिमाओं के साथ नृत्यकला और संयोजन पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। पेंटिंग के प्रशिक्षण में कहानी पर आधारित पेंटिंग, प्राकृतिक रंगों के निर्माण, भित्ति चित्र और विविध प्रकार के उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रदर्शन कलाओं के कलाकार प्रस्तुति, संगीतमय तालमेल, संगति, आवाज और वाणी के उतार-चढ़ाव आदि में प्रशिक्षित हैं। इन निर्माता समूहों को उपकरण और पोशाकें प्रदान की जाती हैं। विपणन और प्रचार के अंग के तहत, ब्रोशर्स बनाए गए हैं और सरकारी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/निजी संगठनों/कार्यक्रम के प्रबंधकों/उत्सव के अन्य आयोजकों के बीच वितरित किए गए हैं। सम्पर्क जोड़ने के लिए सांस्कृतिक उत्सव राष्ट्रीय और क्षेत्रीय-स्तर पर मनाए जाते हैं।

इस हस्तक्षेप ने उनकी सामाजिक स्थिति को 'लाभार्थी' से ऊपर उठाते हुए 'कलाकार' बना दिया है और यह 'गुरु-शिष्य परम्परा' में परम्परागत ज्ञान/विवेक के हस्तांतरण और प्रबंधन में सहायता देता है। कलाकार (महिलाओं सहित हाशिए पर मौजूद अधिकांश समूह) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय-स्तर, दोनों जगहों पर अवसर मिलने के प्रति आश्वस्त हैं। यह बढ़ा हुआ विश्वास और अवसर उन्हें कला के प्रस्तुतिकरण के विविध रूपों को जानने, नए स्थानों की यात्रा करने तथा और ज्यादा पहचान बनाने की जद्दोजहद के लिए प्रेरित करता है।

ग्रामवाणी-संचार के क्षेत्र में नवाचार

ग्रामवाणी का प्रारम्भ 2009 में किया गया था। इसका लक्ष्य सूचना के प्रवाह को पलटना यानी 'ऊपर से नीचे' के स्थान पर

'नीचे से ऊपर' की ओर पहुंचाना था। साधन डिजाइन करने के लिए सरल तकनीकों और सामाजिक संदर्भों का इस्तेमाल कर, हस्तक्षेप ज्ञान के प्रवाह का प्रभाव ग्रामीण समुदायों तक पहुंचाता है। ग्रामवाणी प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने के लिए उन्नत मोबाइल और आईवीआर समाधान उपलब्ध कराती है और कार्यक्षेत्र में बेहतरीन पद्धतियों को लागू करती है।

स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) को सदस्यों के बीच निरंतर संचार, प्रशिक्षण एवं मंचों की आवश्यकता होती है, ताकि उन्हें आमदनी के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। ग्रामवाणी एसएचजी सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए किफायती, इस्तेमाल योग्य तंत्रों की पेशकश करती है। यह नवीन, समुदाय पर केंद्रित, 'रेडियो ओवर टेलीफोनी' मंच उपलब्ध कराता है, जो उनकी जरूरतों के सर्वथा उपयुक्त है।

सदस्य एक टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके अपनी कहानी सुना सकते हैं, प्रशिक्षण मॉड्यूल्स तक पहुंच बना सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। सुनायी गई कहानियों को प्रशिक्षित सम्पादक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और विचारपूर्ण बनाया जाएगा। अन्य लोग टोल-फ्री नम्बर पर कॉल करके इन प्रमाणित कहानियों को सुन सकते हैं। प्रमाणित कहानियां वेब डैशबोर्ड पर भी प्रकाशित की जाएंगी। संग्रहित सूचना से प्राप्त आंकड़े और रिपोर्ट्स डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उपरोक्त सूचना भी उसी टोल फ्री नम्बर पर उपलब्ध होगी।

मोबाइल वाणी की विषयवस्तु के 90 प्रतिशत अंश का स्रोत समुदाय है। इस विषय-वस्तु में स्थानीय समाचार, साक्षात्कार और सूचना सेवाएं, सामयिक मामलों पर राय, निर्देशित चर्चाएं और प्रचार, सरकारी योजनाओं के संबंध में शिकायतें और फीडबैक, लोकगीत और कविताओं आदि सहित सांस्कृतिक कलाकृतियां शामिल हैं। आभासी मंच (आईवीआरएस आधारित मोबाइल स्टेशन द्वारा समर्थित) समुदाय के सदस्यों को अपने अनुभव, बेहतरीन तौर-तरीके, मामले और समस्याएं साझा करने में सहायता करता है।

कृषि चैनल

एसएचजी सदस्य टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर सकते हैं और जवाब में आईवीआरएस सिस्टम उनके नम्बर पर कॉल करेगा और विविध प्रकार की सूचना सेवाओं की पेशकश करेगा। इस चैनल में, विषय-वस्तु समुदाय के अनुभव पर केंद्रित है। उत्तर सीएम, सीआरपी और अन्य सामुदायिक कैंडर की सहायता से सामुदायिक सदस्यों की आवाज में रिकॉर्ड होते हैं। यह मंच इस संदर्भ में अनूठा है, जहां निर्माता और उपभोक्ता समुदाय से संबद्ध होते हैं।



एसएचजी महिलाओं के साथ संवाद के दौरान यह पाया गया है कि महिलाएं इन चैनलों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं और कार्यक्रमों का उत्सुकता से पालन करती हैं। वे संबंध जोड़ती हैं और समर्थ रूप से अपनी बात रखती हैं। वे अपनी आवाज को मिलने वाली पहचान और इस प्रक्रिया की बहुत सराहना करती हैं। यह चैनल उन्हें स्थानीय मामलों के बारे में सूचना प्रदान करता है और उनके प्रभुत्व का स्तर बढ़ता होता है, जो वांछित व्यवहार परिवर्तन की दिशा में अग्रसर करता है।

सामुदायिक रेडियो : बेआवाज़ को आवाज़ प्रदान करना

सामुदायिक रेडियो पहले से ही गरीब समुदायों के साथ कार्य करते आए हैं और उन्हें प्रोग्रामिंग में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता रहा है। ऐसे में कार्यक्रम के कुछ पायलट्स में उनका उपयोग—सामाजिक संघटन, वित्तीय समावेशन, एकीकृत सामाजिक कार्रवाई, संस्था के निर्माण और आजीविका को प्रोत्साहन जैसे एनआरएलएम के विषयों के इर्द-गिर्द रेडियो कार्यक्रम तैयार करने में किया गया है।

महिलाओं और महिलाओं के मामलों पर केंद्रित ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन समाज की बेहतरी के लिए परिवर्तन की एजेंट के रूप में महिलाओं का कैंडल तैयार कर रहे हैं। रेडियो के माध्यम से संचार, न सिर्फ ग्रामीण संचार के लिए संवादात्मक माध्यम का द्वार खोलता है, बल्कि आजीविका का एक अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराता है। पूरे रेडियो कार्यक्रम में समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि कार्यक्रमों की परिकल्पना, रिपोर्ट और निर्माण स्वयं सामुदायिक सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। रेडियो स्टेशन एकमात्र ऐसा माध्यम है, जहां समुदाय की आवाज़ सुनी जा सकती है।

धारावाहिक निम्नलिखित पर केंद्रित हैं—

- स्वसहायता समूहों में सशक्त महिलाओं की सामुदायिक कहानियां।
- परियोजना में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) की अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल्स के रूप में प्रस्तुति।
- सामूहिकता की धारणा पर जोर, जो महिलाओं को एक साथ लाती है और सामुदायिक नेता तैयार करती है।
- गरीबी के चंगुल से मुक्ति पाने और सामाजिक पूंजी तैयार करने वाली महिलाओं की कहानियों को प्रकाश में लाना।
- यह दर्शाना कि किस प्रकार समुदाय आधारित मीडिया प्रभावी ढंग से इन महिलाओं के कामकाज को मजबूती प्रदान कर सकता है।
- सफल ग्राम-स्तरीय संगठनों की कहानियों को कवर

करना : सामाजिक कार्रवाई, बैंक से संबंध, सेकेंडरी बैंक के रूप में भूमिका आदि।

सामुदायिक रेडियो के जरिए लोककला को लोकप्रिय बनाना

आजीविका के साधन के रूप में संस्कृति के पहलुओं को विकसित करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाओं की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। कार्यक्रम में सामाजिक महत्व के मामलों से संबंधित सूचना का प्रसार करने के लिए अनुसूचित जाति और हाशिये पर मौजूद अन्य वर्गों से संबद्ध गायकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रशिक्षित सामुदायिक रेडियो के संचारक 'संवादसमूहों' के निर्माण में भी सहायक होते हैं : अच्छे वोकल कम्युनिकेशन से युक्त चुनिंदा सामुदायिक सदस्य सूचना के प्रसार और विविध मामलों पर जागरूकता फैलाने के लिए तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी समूह तैयार करते हैं।

सामुदायिक रेडियो लोक कलाकारों को 'उनका अपना मंच' प्रदान करते हैं। इन रेडियो स्टेशनों की प्रस्तुतियां स्थानीय कलाकारों को निरंतर और बेहतर आजीविका प्रदान करने के लिए अन्य कमर्शियल चैनलों (ए/वी स्टेशनों) पर प्रस्तुति देने के लिए तैयार करती हैं। इन कलाकारों की प्रतिभा का कारगर उपयोग जागरूकता फैलाने और विशेषकर स्थानीय संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना का प्रसार करने में भी होता है।

निष्कर्ष

एनआरएलएम में, 'ग्रामीण गरीब महिलाएं' गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने के लिए ज्ञान के सृजन, प्रबंधन एवं प्रसार का स्वयं एक प्रमुख और उत्कृष्ट माध्यम हैं। प्रारम्भ में बाहरी सहायक द्वारा उत्प्रेरित 'समावेशी विकास' की प्रक्रिया अब आत्मप्रेरित बन चुकी है। सम्पूर्ण कार्यक्रम यह भी प्रदर्शित करता है कि जिस स्थानीय विश्वास के तहत संस्कृति को परिवर्तन के बाधक के रूप में देखा गया, वे 'सामुदायिक संचारक' के हाथों में सशक्त माध्यम साबित हो सकते हैं। बेहतर ढंग से संरक्षित एवं प्रचारित 'परम्परागत ज्ञान' ग्रामीण आजीविका को विपणन योग्य सेवाओं और उत्पादों के रूप में बढ़ाने में सहायक हो सकता है। इस दृष्टिकोण का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि सतत आजीविका के सृजन के लिए संचार की शृंखला और 'सामुदायिक विवेक' के व्यावसायिक इस्तेमाल में कोई कमी नहीं है। यहां सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि क्षमता निर्माण और मौजूदा संभावनाओं के मूल्यवर्धन के लिए महज आधुनिक अथवा नई प्रौद्योगिकियों द्वारा निर्देशित होने की ही नहीं, बल्कि लोगों की परिसम्पत्तियों और ज्ञान के उपलब्ध आधार को इस्तेमाल करने की जरूरत है।

(डॉ. अपराजिता सुमन ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कंसल्टेंट के पद पर काम किया है।)
(अनुवाद: शीता कपूर)

खादी की दुनिया का कायाकल्प कर सकता है इंटरनेट

—बालेन्दु शर्मा दाधीच

एक बार गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच जाने से हर आमोखास ग्रामीण को दुनिया में उभरते नए अवसरों से जोड़ा जा सकेगा। खादी के क्षेत्र में कार्य करने वाले बुनकर और कारीगर भी इनमें शामिल हैं। इंटरनेट से जुड़कर वे बेहतर तकनीकों को सीख सकते हैं, अपने कामकाज को नए रुझानों और पैटर्न के अनुरूप ढाल सकते हैं, नए ग्राहकों से जुड़ सकते हैं, अपने माल और परिश्रम का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और बहुत-सी कष्टसाध्य प्रक्रियाओं को सरलता से अंजाम दे सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट खादी और ग्रामोद्योग को विश्व बाजार में स्थापित करने की दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान लोगों को खादी पहनने की सलाह दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि देश में ई-कॉमर्स की लोकप्रियता का दौर चल रहा है और इसका फायदा खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को भी उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जहां देश में खादी की मांग में तेज वृद्धि हुई है वहीं दूसरी तरफ उनकी सलाह पर अमल का सिलसिला भी काफी आगे बढ़ चुका है। सूचना तकनीक, खासकर इंटरनेट और ई-कॉमर्स के दौर में भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी उन अनंत कारोबारी संभावनाओं से अनछुआ नहीं रह सकता जो सूचना के महामार्ग (इन्फॉर्मेशन सुपरहाइवे) से जुड़ने पर अनायास ही प्राप्त हो

सकती हैं। खादी, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग की हमारे देश में लंबी परंपरा है, लेकिन आखिर क्यों ये पारंपरिक उत्पाद आधुनिकता और अवसरों से दूर रह जाएं? आखिर क्यों उन्हें इंटरनेट से जनित आभासी विश्वग्राम पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करानी चाहिए और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कारोबारी अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहिए?

ऐसे समय पर, जबकि खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को लोकप्रिय बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, तकनीकी माध्यमों के प्रयोग की अनिवार्यता से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर खादी उत्पादों को नई पीढ़ी और आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाना है तो सूचना और दूरसंचार सुविधाओं को अपनाना बेहद जरूरी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। आयोग के उत्पादों को देश के जाने-माने ई-कॉमर्स पोर्टलों पर लाने की महत्वाकांक्षी परियोजना हाथ में ली गई है। अगर आपने हाल-फिलहाल में फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजॉन जैसे ई-कॉमर्स पोर्टलों पर ध्यान दिया हो तो वहां 'खादी' ब्रांड के उत्पादों पर जरूर नजर गई होगी। ये उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन की श्रेणी के हैं—क्रीम, साबुन, शैम्पू, फेस पैक, तेल आदि, जो 'खादी' ब्रांड के तहत बिकते हैं। लेकिन जल्दी ही खादी के कपड़े भी ई-कॉमर्स साइटों पर बिकने लगेंगे। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजॉन जैसी वेबसाइटें खादी के उत्पादों को करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकती हैं। कारोबार बढ़ेगा तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुनाफा तो बढ़ेगा ही, गांव-देहात में कड़ी मेहनत करके कताई-बुनाई करने वाले कारीगरों को भी लाभ होगा। आयोग का इरादा है कि उनकी



दैनिक आमदनी 225 रुपये से बढ़कर 400 रुपये तक पहुंच जाए। याद रहे, खादी ग्रामोद्योग आयोग देश में करीब दस लाख लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है।

ऐसा लगता है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग में खुलेपन की बयार आ रही है। अब उसे अपने निजी बिक्री भंडारों से आगे बढ़ने में कोई झिझक नहीं है, यहां तक कि वह ऐसी कंपनियों से भी जुड़ने के लिए तैयार है जिनका खादी के वस्त्रों या उनकी बिक्री से कोई संबंध नहीं है। मिसाल के तौर पर रेमंड जिसे आयोग का पहला फ्रेंचाइज भागीदार बनाया गया है। दोनों के बीच हुए अनुबंध के तहत रेमंड खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्कृष्ट (प्रीमियम) श्रेणी के खादी वस्त्रों की बिक्री अपने 7000 भंडारों के जरिए करेगा। रेमंड कोई अकेला भागीदार नहीं है। आयोग दूसरे बड़े ब्रांडों के साथ जुड़ने के लिए भी तैयार है।

भले ही ई-कॉमर्स पोर्टल हों या फिर रेमंड जैसे ब्रांडों के शोरूम, आयोग को एक बड़ा लाभ यह होता है कि वह अपना विशाल वितरण नेटवर्क बनाए बिना ही बहुत बड़े पैमाने पर अपने बाजार का विस्तार कर सकता है। इंटरनेट के लोकप्रिय पोर्टलों पर जाने का फैसला करने से पहले आयोग ने अपने अलग ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू करने का इरादा बनाया था लेकिन भारी खर्च करके देशव्यापी वितरण नेटवर्क खड़ा करना चुनौती का काम है और बहुत खर्चीला भी। फिलकपार्ट और स्नैपडील जैसे पोर्टलों के पास पहले से ही लाखों वफादार ग्राहक मौजूद हैं। उनके साथ अनुबंध का अर्थ है—बरसों मेहनत करके अपने ग्राहक तैयार करने की लंबी प्रक्रिया से आजादी। सो आयोग ने फिलहाल अपना निजी ई-कॉमर्स नेटवर्क खड़ा करने की बजाए पहले से मौजूद पोर्टलों की सेवाएं लेना बेहतर समझा है। आधुनिकता से तालमेल का क्रम यहीं तक सीमित नहीं है। फैशन के क्षेत्र में खादी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए खादी ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (एनआईएफटी) और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) के साथ भी अनुबंध किया है। वे खादी उत्पादों को लुभावना और आधुनिक रूप देने में मदद करेंगे ताकि वह आज के युवक-युवतियों को ज्यादा पसंद आ सकें।

नई तकनीकों का प्रयोग न सिर्फ आयोग के लिए बल्कि खादी उत्पादों की प्रक्रिया के सबसे निचले स्तर पर मौजूद कपास किसानों और बुनकरों के लिए भी लाभप्रद हो सकता है। कपास की अधिक पैदावार देने वाली और बेहतर गुणवत्ता की किस्मों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट लाभदायक माध्यम हो सकता है। आम अहम जानकारीयां, जैसे—दुनिया के दूसरे हिस्सों में कपास उपजाने वाले किसान कौन-सी तकनीकें अपना रहे हैं, कैसे बीजों का प्रयोग होता है, कौन-से कीटनाशक अधिक प्रभावशाली तथा सुरक्षित हैं और कपास से रुई और



बिनौले अलग करने के लिए कौन-से नए उपकरण बाजार में आ रहे हैं। अगर किसान थोड़े नवोन्मेषी हैं तो रंगीन रुई उपजाने वाले बीजों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और दूसरे दिलचस्प प्रयोगों से भी अद्यतन रह सकते हैं। रुई को अधिक नरम बनाने और रेशों को ज्यादा लंबे तथा मजबूत बनाने पर भी काफी अनुसंधान हुआ है। बीटी कॉटन का जिक्र आपने सुना होगा। इस तरह की जटिल अवधारणाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर आराम से समझा जा सकता है। अनेक देशों में कपास उत्पादक किसानों के संगठनों के साथ-साथ कपास पर शोध करने वाले संगठनों ने ऐसी बहुत-सी उपयोगी जानकारी इंटरनेट पर मुहैया कराई हुई है। कॉटन ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही एक संगठन है जिसकी वेबसाइट पर कपास उगाने वाले किसानों के उपयोग की बहुत-सी सामग्री उपलब्ध है।

इंटरनेट बुनकरों के लिए भी कम उपयोगी नहीं है। जब से फैशन की दुनिया में खादी की अहमियत और लोकप्रियता बढ़ी है, कपास को दूसरी किस्म के धागों के साथ मिलाकर बुनने का दिलचस्प सिलसिला शुरू हुआ है। मिसाल के तौर पर डेनिम और खादी का मेल, जिसे खादी डेनिम कहा जाता है। बहुत से फैशन डिजाइनर खादी के साथ प्रयोग करने में जुटे हैं। रोहित बाल (दिल्ली), सव्यसांची (मुंबई), गौरव जय गुप्ता (दिल्ली), शानी हिमांशु (दिल्ली), पारोमिता बनर्जी (कोलकाता), वैशाली शदांगुले (मुंबई), मेटाफर रिचा (बंगलुरु) आदि ऐसे ही डिजाइनर हैं। खादी के डिजाइनर कपड़े लैंक्मे इंडिया फैशन वीक तक में प्रदर्शित किए जा चुके हैं और डिजाइनरों के स्टूडियो की रौनक बन रहे हैं। जहां खादी का आम परिधान 500 रुपये से 1000-1200 रुपये तक में बिकता है वहीं ये डिजाइनर परिधान 2000 रुपये से लेकर 25000 रुपये तक में बिक सकते हैं। अगर बुनकर फैशन डिजाइनरों की जरूरतों के लिहाज से माल तैयार करके दे सकें तो उनका मुनाफा काफी बढ़ सकता है। सवाल उठता है कि वे

इस वर्ग तक पहुंचे कैसे? जवाब है— इंटरनेट के जरिए! इंडिया मार्ट से लेकर अखबारों की वेबसाइटों तक और गूगल जैसे सर्च इंजन से लेकर फेसबुक तक के माध्यम से नए रुझानों, नए तौर-तरीकों और नए बाजारों की जानकारी हासिल की जा सकती है।

यह मांग सिर्फ भारत से उभर रही हो, ऐसा नहीं है। विदेशों में भी खादी की मांग है। वहां भी फैशन डिजाइनरों को नए प्रयोग करने हैं, नए वस्त्रों को आजमाना है। खादी की विशेषता है उसका पर्यावरण अनुकूल होना और उसी के अनुरूप स्वास्थ्य के अनुकूल होना। ऐसे वस्त्रों की मांग हर कहीं है। बुनकर चाहें तो खुद या फिर समूह बनाकर देशी-विदेशी बाजारों से उभरने वाली मांग पूरी कर सकते हैं। इंडिया मार्ट एक ऐसी ही वेबसाइट है जो ग्राहकों और सप्लायरों को एक जगह पर लाती है। फेसबुक और व्हाट्सएप का आजकल जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत से छोटे दुकानदार और सप्लायर इनके माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। बुनकरों के लिए भी यह सुविधा सहज ही उपलब्ध है। स्काइप और गूगल हैंगआउट्स जैसी इंटरनेट वीडियो कॉल सुविधाएं बड़े काम की सिद्ध हो सकती हैं जिन पर वे अपने माल का ग्राहकों को सजीव प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इन सुविधाओं का प्रयोग निःशुल्क किया जा सकता है और टेलीफोन तथा संचार पर खर्च बचाया जा सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की अहमियत जगजाहिर है। लेकिन जब बात गांवों में रहने वाले बुनकरों और किसानों की हो तो कई तरह के सवाल उठते हैं। मिसाल के तौर पर यह कि उन्हें कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन कहां से उपलब्ध होंगे? इंटरनेट के इस्तेमाल की शिक्षा कहां से आएगी? लेकिन इन सवालों

के जवाब भी उपलब्ध हैं। इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए अब न तो कंप्यूटर की अनिवार्यता रह गई है और न ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की। एक अदद स्मार्टफोन, जो चार हजार रुपये या उससे अधिक में उपलब्ध हो जाता है, पर्याप्त है। साथ में एक अदद डाटा प्लान, जो आपके मोबाइल फोन कनेक्शन के साथ लिया जा सकता है। हालांकि कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने की अपनी उपयोगिता है लेकिन काम चलाने के लिए स्मार्टफोन और उसमें मौजूद इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बुरी नहीं है।

सुखद बात यह है कि केंद्र सरकार अपने 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा का व्यापक प्रसार करने जा रही है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के माध्यम से हम ढाई लाख ग्राम पंचायतों को इस सुविधा से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा। एक बार गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच जाने से हर आमोखास ग्रामीण को दुनिया में उभरते नए अवसरों से जोड़ा जा सकेगा। खादी के क्षेत्र में कार्य करने वाले बुनकर और कारीगर भी इनमें शामिल हैं। इंटरनेट से जुड़कर वे बेहतर तकनीकों को सीख सकते हैं, अपने कामकाज को नए रुझानों और पैटर्न के अनुरूप ढाल सकते हैं, नए ग्राहकों से जुड़ सकते हैं, अपने माल और परिश्रम का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और बहुत-सी कष्टसाध्य प्रक्रियाओं को सरलता से अंजाम दे सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट खादी और ग्रामोद्योग को विश्व बाजार में स्थापित करने की दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं।

(लेखक सूचना प्रौद्योगिकी विषय के विशेषज्ञ हैं।)

ई-मेल: balendudhadhich@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक दिनांक संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पता

..... पिन

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003

महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहा सोलर चरखा

—संगीता

खादी एवं ग्रामोद्योग की ओर से महिलाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में चरखे का भी निरंतर विकास किया जा रहा है। कभी बांस की खपाची से तैयार होने वाला चरखा अब 'हाइटेक' हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को सोलरचालित चरखा उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उन्हें कम श्रम में अधिक लाभ मिल सके। वे आसानी से अधिक से अधिक सूत उत्पादन कर सकें, इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले मंत्रालय की ओर से घोषणा की जा चुकी है। सूरत, लुधियाना सहित विभिन्न स्थानों पर सोलर चरखा तैयार भी किया जा रहा है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खादी को देश में प्रचलित करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि खादी देशवासियों के रोजगार का साधन बने। 3 अक्टूबर, 2014 को अपने रेडियो अभिभाषण 'मन की बात' में लोगों से खादी का अधिक से अधिक उपयोग करने का निवेदन करते हुए उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की कि वह चाहते हैं कि खादी का उपयोग बढ़े ताकि देश की महिलाओं को रोजगार का बड़ा साधन मिल सके। सरकार की तैयारी है कि देश में बड़े पैमाने पर सोलर ऊर्जा चालित चरखे चलाए जाएं। यह चरखे खासतौर से महिलाओं के लिए होंगे। देश में महिलाओं की कुल आबादी के 10 प्रतिशत को इस स्कीम के साथ जोड़कर सरकार

महिला सशक्तिकरण के अभियान को गति देगी। सोलर चरखे से ना तो पर्यावरण प्रदूषण होगा और न ही महिलाओं को अधिक श्रम लगाना पड़ेगा। इसके जरिए महिलाएं 5000 से 7000 रुपये घर बैठे ही कमा सकती हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को खादी के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार नए-नए प्रयास किए जा रहे हैं। सोलर चरखे से महिलाओं में खादी के प्रति लगाव बढ़ा है। हालांकि पहले भी खादी महिलाओं की रोजी-रोटी का साधन हुआ करती थी। हर गांव में सूत कटाई में बड़ी संख्या में महिलाएं लगी होती थीं। ये महिलाएं घर का कामकाज निबटाने के बाद सूत कातती थीं। ऐसी स्थिति में उन्हें रोजगार भी मिल जाता था और अपना घरेलू काम भी निबटाती रहती थीं। महिलाओं में खादी के प्रति बढ़े रुझान को देखते हुए सरकार की ओर से सोलर चरखे का इंतजाम किया गया है।

दरअसल सूक्ष्म, लघु एवं मझोला उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय खादी निर्माण में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ना चाहता है। मंत्रालय का मानना है कि सोलर चरखा खादी निर्माण के साथ महिलाओं को रोजगार दिलाने के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम होगा। एमएसएमई मंत्रालय ने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। खादी ग्रामोद्योग एमएसएमई मंत्रालय के अधीन काम करता है। मंत्रालय ने खादी की बिक्री को 26,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये





तक करने का भी लक्ष्य तय किया है। मंत्रालय का मानना है कि इससे पारिश्रमिक एवं उत्पादन में कमी के कारण खादी कार्य छोड़ने वाले कारीगरों की संख्या में कमी आएगी। एमएसएमई मंत्रालय के मुताबिक बुनकरों पर तनाव कम कर उत्पादकता बढ़ाने के लिए सोलर चरखे की शुरुआत की योजना है जिससे प्रत्येक कारीगर की आय में प्रतिमाह 5,000 रुपये से 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। मंत्रालय के मुताबिक सोलर चरखे के इस्तेमाल से निर्माण की लागत में भी कमी आएगी और इससे रोजगार के अवसर भी अधिक निकलेंगे।

पारिश्रमिक एवं उत्पादन में कमी के कारण खादी कार्य को छोड़ने वाले ऐसे कारीगरों की संख्या में कमी आएगी। सोलर चरखा इसके लिए सबसे बेहतर उपाय होगा। यह बुनकरों पर तनाव कम कर उत्पादकता बढ़ाने में मददगार साबित होगा। साथ ही कारीगर की आय में वृद्धि होगी।

चरखा विकास में लगातार नए प्रयास

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रिय रहा चरखा अब हाथ से नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा से चलेगा। इस नई तकनीकी से न सिर्फ खादी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण-स्तर पर सूत के उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकेगा। ताप्ती नदी के तट पर बसे सूरत शहर ने इस तकनीकी का उपहार पूरे देश को दिया है। सूरत की टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एसोसिएशन को इस तकनीक को विकसित करने में सफलता मिली है। केंद्र सरकार इस तकनीकी की मदद से ग्रामीण इलाकों में खादी कपड़ा निर्माण को और विकसित करने की सोच रही है। एसोसिएशन के प्रमुख हेतलभाई मेहता के अनुसार, इस तकनीक से बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। इससे न केवल सूत कातने की गति में बढ़ोतरी होगी, बल्कि देश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में भी सफलता मिल सकती है। साथ ही सूरत शहर भी देश में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में नए मानक स्थापित करने में कामयाब हो सकता है। संस्था के अध्यक्ष भाई हेतल मेहता ने बताया कि सर्वप्रथम उन्होंने अंबर चरखे का अध्ययन कर उसमें और विकास की संभावना तलाशी। उपाध्यक्ष राजेंद्र कल्याणी को इसे तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

हाथ से चलने वाले चरखे की गति अमूमन हजार से डेढ़ हजार आरपीएम, जबकि अंबर चरखे की गति चार हजार से साढ़े चार हजार आरपीएम होती है। सोलर चरखे की गति 11 हजार से 12 हजार आरपीएम करने के लिए इसमें स्पीलंडर की संख्या अंबर चरखे से चार गुना बढ़ाकर 32 की गई। धागे की गुणवत्ता के लिए यार्न पाथ डिजाइन तैयार किया गया। शुरुआत में इस चरखे की लागत करीब एक लाख रुपये रखने की कोशिश की



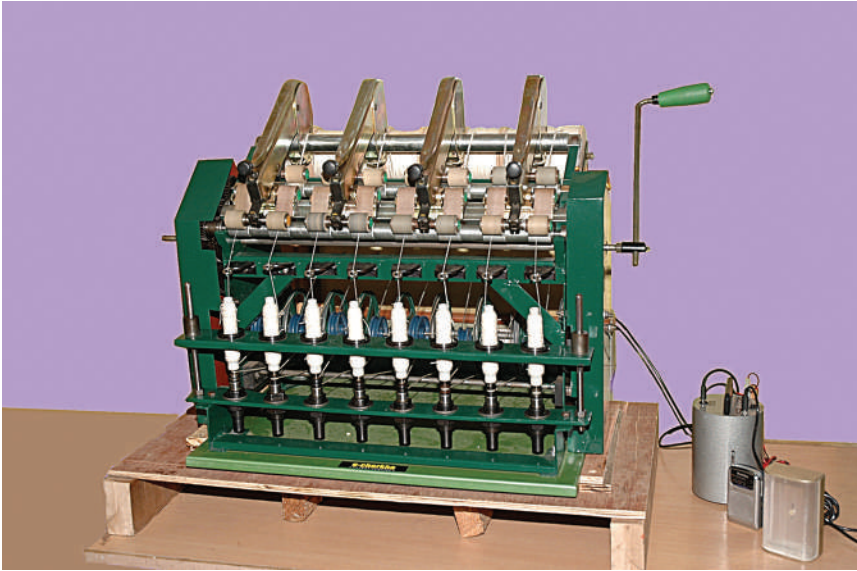
गई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की सब्सिडी दिए जाने की भी योजना है। चरखा 150 एम्पीयर की बैटरी से चलेगा, जिसे सात से आठ घंटे में रेडिएशन आधारित चार्ज किया जा सकेगा। स्पेयर बैटरी से इसका इस्तेमाल रात-दिन किया जा सकेगा।

बैटरी से भी चलेगा चरखा

अंबर चरखा सिर्फ 4500 आरपीएम (रिवॉल्यूशन प्रति मिनट), हाथ चरखा 1500 आरपीएम और सोलर चरखा 12000 आरपीएम की गति से चल सकता है। जबकि अंबर चरखा में 8 और सोलर चरखा में 32 स्पिंडल होते हैं। इसलिए सोलर एनर्जी से 150 एंपीयर की बैटरी को चार्ज करके उसका उपयोग चरखे में किया जाएगा। इस बैटरी का उपयोग लगभग सात घंटे तक किया जा सकता है और अगर अधिक समय चरखा चलाना हो तो अतिरिक्त बैट्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। चरखे की कीमत लगभग एक लाख रुपये होगी।

झारखंड में रेशा विकास कार्यक्रम

सूत विकास की दिशा में तमाम राज्य भले आगे निकल गए हो, लेकिन झारखंड में इसका अपना अलग इतिहास रहा है। यहां सबसे पहले रीलिंग मशीन गढ़ी गई और बाद में उसे सोलर उपकरणों से जोड़कर ऐसा बनाया गया कि गरीब महिलाएं बहुत कम खर्च में इसका इस्तेमाल कर सकें। वहां सीएसटीआरआई, बेंगलुरु द्वारा तैयार स्पिनिंग और रीलिंग मशीन का इस्तेमाल काफी समय से हो रहा है। मगर उस मशीन की उत्पादकता काफी कम थी और एक महिला दिन भर काम करने के बाद बमुश्किल 50 रुपये कमा पाती थी। फिर हिंद मशीनरी, भागलपुर द्वारा तैयार स्पिनिंग मशीन ने ज्यादा बेहतर नतीजे दिए। फिर वहां सोलर कंपनी से गठजोड़ करके नई मशीन आई।



झारक्राफ्ट ने सेंट्रल सिल्क बोर्ड और एनर्जी रिसोर्सेज नामक दिल्ली की एक सोलर कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इस साझा प्रयास के जरिए सोलर पावर्ड कॉम्पैक्ट रीलिंग मशीन— समृद्धि को तैयार किया। बाद में 'समृद्धि' के नाम से झारक्राफ्ट और सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने इसका पेटेंट भी कराया। इस मशीन की सहायता से महिलाएं एक दिन में 200 ग्राम तसर धागा तैयार कर सकती हैं।

झारक्राफ्ट की ओर से सबसे पहले खरसावां में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया। वहां की महिलाओं ने इसका सफलतापूर्वक संचालन कर साबित कर दिया कि यह मशीन उनकी किस्मत को बदल सकती है। अब झारखंड में करीब 4000 मशीनें काम कर रही हैं। इस मशीन में एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी जोड़ा गया है ताकि महिलाएं अपना मोबाइल चार्ज कर सकें। साथ ही एक बल्ब भी लगाया गया है जिससे वे रात में भी धागा तैयार कर सकती हैं। इन मशीनों के लगने से यहां की 30 महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। 2009 से लेकर अब तक इस इकाई ने 121.56 लाख रुपये का रेशम धागा उत्पादित कर कुल 26.18 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है। इस मशीन की कीमत 26 हजार रुपये के आसपास पड़ती है। जबकि सेंट्रल सिल्क बोर्ड की रीलिंग मशीन 22 हजार रुपये में आती थी। अधिकांश महिलाएं सुबह 6 से 8 काम करती हैं फिर घर जाकर घर का काम निबटाती हैं और फिर से 12 से 4 बजे तक काम करती हैं। इसके बाद 5 से 6 बजे तक एक घंटा काम कर लेती हैं।

चरखे का इतिहास एक नजर

चरखे के जरिए सूत तैयार किया जाता है। आजादी की लड़ाई के दौरान यह आर्थिक स्वावलम्बन का प्रतीक बन गया

था। सन 1916 में साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी ने चरखा कातने की शुरुआत की। यह लकड़ी का बना होता था। चरखे का व्यास 12 इंच से 24 इंच तक और तकुओं की लंबाई 19 इंच तक होती है। उस समय चरखा बनाने के लिए आंध्र प्रदेश का चिकाकौल गांव प्रसिद्ध था। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के समय कांग्रेस महासमिति ने 20 लाख नए चरखे बनाए। फिर सन 1923 में काकीनाडा कांग्रेस के समय अखिल भारत खादीमंडल की स्थापना हुई। इसके बाद 22 सितंबर, 1925 को अखिल भारत चरखा संघ की स्थापना हुई। 29 जुलाई, 1929 को चरखा संघ की ओर से महात्मा गांधी ने चरखा बनाने वालों को एक लाख रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। लेकिन इसके निर्माण की

कई शर्तें भी थीं। किलोस्कर बंधुओं द्वारा एक चरखा बनाया गया था, लेकिन वह भी शर्त पूरी न होने के कारण असफल ही रहा। सतीशचंद्र दासगुप्त ने खड़े चरखे के ही ढंग का बांस का चरखा बनाया। इसके बाद चरखे में कई तरह के बदलाव हुए और अब सोलर चरखे का चलन आ गया है।

महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास

केंद्र सरकार की ओर से खादी उद्योग को महिला रोजगार से जोड़ने की लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं की इसमें सहभागिता हो सके इसके लिए राज्य सरकारों से भी अपील की गई है। खादी एक ऐसा उद्योग है जहां पुरुष और महिला की समान सहभागिता है। इस उद्योग का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें स्पीनिंग मुख्यतः महिलाओं द्वारा होती है जबकि विविंग पुरुषों द्वारा की जाती है। इसी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने की योजना है।

कपड़ा मिल में एक स्पिंडल की लागत 60 लाख रुपये है। वहीं सोलर चरखे की लागत मात्र 60,000 से 70,000 रुपये होगी। मंत्रालय खादी को व्यावहारिक और लोकप्रिय बनाने के लिए देश के नामी फैशन डिजाइनरों के साथ भी बातचीत कर रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोला उद्यम मंत्री के अनुसार केन्द्र की सोलर चरखे के जरिए प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने की योजना है। साथ ही खादी की बिक्री को 26,000 करोड़ से बढ़ाकर 1.00 लाख करोड़ करने की कोशिश की जा रही है।

सरकार मानती है कि इससे महिलाओं की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, वे अपने पैरों पर खड़ी होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार भी मिलेगा। सरकार इसे महिला सशक्तीकरण से भी जोड़कर देख रही है। बड़े उद्योग तो पूंजी प्रधान हैं लेकिन खादी श्रम प्रधान है। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र में यह उपयोगी साबित हो सकता है। खादी ग्रामोद्योग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर सरकार गांव में रोजगार के अवसर सृजित करना चाहती है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण बेरोजगारी दूर होगी। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में खादी व्यापक रूप में फैली है। अब बिहार में भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधन के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़कर बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी है। ऐसे में खादी ग्रामोद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक व महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

महिला उद्यमियों के लिए समग्र विकास कार्यक्रम

सूक्ष्म, लघु और मझोला उद्यम मंत्रालय महिला उद्यमियों को व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता एवं विकास योजना क्रियान्वित कर चुका है। इस योजना में महिला उद्यमियों के आर्थिक सशक्तीकरण के मद्देनजर उनके उत्पादों, कारोबार और सेवाओं इत्यादि के लिए प्रशिक्षण, जानकारी एवं सलाह प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से उन्हें वित्तीय ऋण और सरकार की ओर से अनुदान राशि दी जाती है जो अधिकतम 30 लाख रुपये है और उसकी दर 30 प्रतिशत है। यह ऋण महिला उद्यमियों को उनके क्षमता निर्माण और गैर-कृषि कार्यों में स्वतः रोजगार उपक्रमों के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मंत्रालय महिला उद्यमियों के वेतन, रोजगार और आमदनी बढ़ाने की दिशा में उनके कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। महिला कॉयर योजना के अंतर्गत

लुधियाना में बना पहला 16 स्पिंडल वाला सोलर चरखा

लुधियाना में देश का पहला 16 स्पिंडल वाला सोलर चरखा तैयार हो चुका है। इसे एसएस बेदी की अगुवाई में लोटे और भूपा ने बनाया है। सूरज की रोशनी से चलने वाला यह चरखा 8 घंटे में 3 किलो धागा बनाता है। इस चरखे की एक्यूरेसी कंप्यूटराइज्ड मशीन के बराबर है। इसमें ऐक्रेलिक, पोलिस्टर, कॉटन, विस्कोस जैसे कई तरह के और हर काउंट के धागे बनाए जा सकते हैं। इसे हाथ से भी चला सकते हैं। दोनों भाइयों के नाम इंडिया की पहली फैंसी यार्न मशीनरी बनाने का भी रिकॉर्ड है जो रूस जैसे देश में 90 के दशक में हिट हुई थी। साथ ही, जूट मशीनरी और पेडल लूम जैसी कई खोजें की हैं। छोटे और कुटीर उद्योग इंडस्ट्री के लिए यह कारगर प्रोजेक्ट है।

महिला उद्यमियों को कॉयरयार्न की बुनाई के लिए, बुनाई मशीनों की खरीद के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसमें मशीनीकृत राट्स की खरीद की अधिकतम सीमा 7500 रुपये और पारंपरिक मशीनीकृत राट्स की खरीद की अधिकतम सीमा 3200 रुपये पर 75 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शेष 25 प्रतिशत राशि लाभार्थियों द्वारा स्वयं जुटाई जाती है।

स्रोत

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट।
- संसद में लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री की ओर से दिए गए सवाल के जवाब।
- विभिन्न समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित रिपोर्ट।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं;
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन कार्य में सक्रिय।)
ई-मेल : sangeetayadav@gmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक/लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला/पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की बयार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई-मेल तथा मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, आप हमें लेख ई-मेल भी कर सकते हैं।

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

लघु एवं कुटीर उद्योग में रोजगार

—जगन्नाथ कुमार कश्यप

—नेहा सिंह

लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से हम भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में रोजगार सृजित कर सकते हैं, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य को भी साध सकते हैं एवं अंततः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकते हैं। गांव-गांव तक लघु उद्योगों के प्रसार से हमारे अनुपयुक्त संसाधनों का भी अनुकूलतम उपयोग संभव हो जाएगा। अतः हमें आवश्यकता है कि विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संबंधित उद्योग को ही विकसित किया जाए तथा हाल के दिनों में सरकार द्वारा चलाई गई “स्किल इंडिया” मुहिम को इससे जोड़ा जाए ताकि आवश्यक मानव संसाधन तैयार हों एवं अपने गृह क्षेत्र में ही लोगों को रोजगार भी मिल जाए।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के पश्चात् कहा था “कुटीर और लघु उद्योग भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास पूंजी की कमी है परंतु मानवशक्ति की नहीं, और हमें इसी मानवशक्ति का उपयोग देश की संपत्ति को बढ़ाने एवं देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए करना चाहिए।” आज भी जब सरकार जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए आवश्यकता है राष्ट्र की विशाल मानव शक्ति को मानव संसाधन में परिणत कर उन्हें रोजगार प्रदान करने की और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कोई है तो वह है लघु उद्योग। ऐसा क्यों है और लघु एवं कुटीर उद्योग में कितनी अपार संभावनाएं हैं। इसको भी हम आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले,

लघु उद्योग से संबंधित मूल बातों को जानने की आवश्यकता है।

भारत में लघु उद्योग की पुरानी परंपरा रही है। हमारे यहां खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प, शिल्प उत्पादन, कोंयर जैसे परंपरागत लघु उद्योग रहे हैं। हमारे हथकरघा निर्मित वस्त्रों एवं सिल्क के कपड़ों का तो पूरा विश्व मुरीद रहा है। बदलते वक्त ने कुछ आधुनिक उद्योगों को भी लघु उद्योग की श्रेणी में जोड़ा है जैसे बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित हो रहे उत्पादों में प्रयोग होने वाले छोटे कलपुर्जे, इंजीनियरिंग प्रॉडक्ट्स, रेडियो, टी.वी. में लगने वाले सामान एवं अन्य प्रकार की इलैक्ट्रानिक्स वस्तुएं। इस प्रकार हम देखें तो परंपरागत एवं नये दोनों को मिलाकर लघु उद्योग का व्यापक क्षेत्र है। यदि तकनीकी तौर पर परिभाषा को



देखें तो नई परिभाषा में लघु उद्योग के अंतर्गत निर्माण एवं सेवाएं दोनों ही आ सकते हैं। परंतु निवेश में सीमा के आधार पर इनमें भिन्नताएं हैं। जहां निर्माण के क्षेत्र में संयंत्रों एवं मशीन में निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपये तक है वहीं सेवा क्षेत्रक में निवेश की सीमा 2 करोड़ रुपये तक है।

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक सशक्तिकरण में छोटे-छोटे स्तर पर संचालित इन घरेलू लघु एवं कुटीर उद्योगों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इसे जानने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम पड़ोसी देश चीन का उदाहरण ले सकते हैं। चीन का विनिर्माण के क्षेत्र में मजबूत होना एवं वहाँ के विभिन्न उत्पादों का भारत सहित विश्व के कई बाजारों में अच्छी-खासी दखल होने की एक प्रमुख वजह है वहां के लघु उद्योगों का सशक्त होना।

भारत में लघु उद्योग की स्थिति एवं संभावनाएं

भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हमारे यहां लघु उद्योगों में उत्तरोत्तर संवृद्धि हुई। इकाईयों की संख्या, उत्पादन एवं इससे सृजित रोजगार के आंकड़ों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश के आर्थिक-सामाजिक विकास में यह एक अहम भूमिका निभा रहा है।

यदि आंकड़ों को देखा जाए तो वर्ष 1994-95 में लघु उद्योग की इकाईयों की अनुमानित संख्या 79.6 लाख थी जबकि वर्ष 2001-02 में हुई लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार यह संख्या 105.21 लाख हो गई। इसी प्रकार अनुमानित रोजगार की संख्या वर्ष 1994-95 हेतु 191.40 लाख से वर्ष 2001-02 के लिए 249.33 लाख पाई गई थी। यह आंकड़े लघु उद्योगों की बढ़ती संख्या एवं इनके द्वारा रोजगार सृजन की संभावनाओं के तरफ इंगित करते हैं। अब अगर वर्ष 2006-07 में हुई सूक्ष्म, लघु, और मझोले उद्योग की चौथी अखिल भारतीय गणना की रिपोर्ट को देखें तो वर्ष 2006-07 के लिए अनुमानित उद्योगों की संख्या 361.76 लाख बताई गई है एवं अनुमानित रोजगार सृजन की संख्या 805.24 लाख। आंकड़ों को दो अलग भागों में रखने का कारण यह है कि वर्ष 2006-07 में मंत्रालय का नाम लघु उद्योग से बदलकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोला उद्योग मंत्रालय रखा गया जिसके कारण परिभाषा में परिवर्तन आ गया तथा अब निर्माण के साथ-साथ सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए यह आंकड़े सीधे-सीधे 2001-02 से तुलनीय नहीं हैं। परंतु मंत्रालय की वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट यह कहती है कि यदि सख्ती से तुलना की जाए तो वर्ष 2001-02 से वर्ष 2006-07 तक के दौरान उद्यमों की अनुमानित संख्या के लिए विकास दर 15.30 प्रतिशत एवं रोजगार के लिए विकास दर 15.02 प्रतिशत रही।

भारत जैसे देश में लघु उद्योगों के विस्तार व सशक्त होने से मुख्यतः दो प्रकार के महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे—

- रोजगार सृजन
- संतुलित क्षेत्रीय विकास

आइए, हम समझने का प्रयास करें कि कैसे एवं क्यों हम लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजित करने के साथ-साथ भारत के संतुलित क्षेत्रीय विकास (जोकि हमारे समावेशी विकास के राह की सबसे बड़ी बाधा है) को संभव बना सकते हैं।

रोजगार सृजन : आज जब भारत की जनसंख्या का 62 प्रतिशत हिस्सा 15-59 वर्ष के आयु वर्ग का है एवं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2020 तक भारत की औसत आयु 29 वर्ष की हो जाएगी। ऐसे में वृहद् पैमाने पर स्थायी रोजगार के सृजन की आवश्यकता है और रोजगार के सृजन हेतु विनिर्माण क्षेत्रक की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है या फिर यूं कहें कि स्थायी विकास दर को एक सशक्त विनिर्माण क्षेत्रक के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे देश में विनिर्माण क्षेत्रक के विषय में सबसे बड़ी बाधा है पूंजी निवेश का अभाव। वित्तीय घाटे की समस्या से जूझ रही हमारी सरकार अपने पूंजीगत व्यय को एक सीमा से अधिक बढ़ा नहीं सकती। वहीं निजी क्षेत्र से निवेश उन्हीं उद्योगों में हो सकता है जहां लाभ की पूर्ण संभावना है। देश के भीतर पूंजी की कमी के कारण ही हमें विदेशी निवेश पर भी निर्भरता रखनी पड़ती है। परंतु जो समस्या बड़े उद्यमों की स्थापना में है वह लघु उद्योगों में नहीं है। लघु उद्योग में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो हमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः पूंजी की कमी की समस्या का विकल्प श्रम केंद्रित लघु उद्योग ही है। इसके साथ ही लघु उद्योगों की परियोजना पूरी होने की अवधि भी कम होती है जिसके कारण जोखिम की आशंका भी कम रहती है। ये दोनों ही तत्व लोगों के निवेश हेतु उत्प्रेरक तत्व साबित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में ज्यादातर लोग कम शिक्षित तथा अकुशल हैं जबकि बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों में रोजगार पाने के लिए उच्च शिक्षा, दक्षता इत्यादि की आवश्यकता होती है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश के कार्यबल का 93 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। इसका मुख्य कारण अशिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा का अभाव तथा प्रमाणित रूप से कौशल या हुनर आदि का ज्ञान न होना है। ऐसी स्थिति में निस्संदेह लघु उद्योगों के माध्यम से ही ऐसे लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

महिला रोजगार : महिला उद्यमिता हमारी आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बिना महिलाओं को स्वावलंबी बनाए हम महिला सशक्तीकरण के स्वप्न को भी साकार नहीं कर सकते हैं। लघु उद्योग महिला उद्यमिता को विकसित करने में

महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जहां महिलाएं पर्याप्त रूप से शिक्षित व कुशल नहीं हैं। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश के कारण उनके घरों से ज्यादा दूर जाने पर भी बंदिशें होती हैं। ऐसे में कुटीर उद्योग एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देकर ही महिलाओं को उनके घरों के आसपास ही रोजगार प्राप्त हो सकता है। हमारे यहां कई सफल महिला, उद्यमों के उदाहरण भी हैं परंतु ये संख्या बेहद कम है। यदि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले मंत्रालय की वर्ष 2010-11 की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि महिलाओं द्वारा प्रबंधन किए जाने वाले अथवा महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम महज 13.72 प्रतिशत ही हैं। उसमें भी अन्य आंकड़े देखे तो भारत में महिलाओं द्वारा चलाई जा रही सभी लघु उद्योग इकाईयों में दक्षिण के चार राज्यों और महाराष्ट्र की महिला उद्यमी 50 प्रतिशत से अधिक हैं। अतः स्थिति स्पष्ट है कि एक तो महिला उद्यमियों की संख्या कम है और जो है वह भी अधिकांशतः कुछ राज्यों तक ही सीमित हैं। इसलिए हमें दोनों ही दिशाओं में कार्य करना होगा। महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए उत्प्रेरित करना होगा एवं इसके साथ ही भारत के सभी राज्यों में समान रूप से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले, इस दिशा में भी सभी आवश्यक कदम उठाने पर ध्यान देना होगा।

रोजगार सृजन एवं महिला उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु सरकार की पहल : हमारी सरकार भी इस क्षेत्र से रोजगार सृजन एवं महिलाओं को स्वावलंबन प्रदान करने हेतु प्रयासरत है। वर्ष 2008 में 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' नामक एक राष्ट्र-स्तरीय ऋण संबंधी सब्सिडी स्कीम शुरू की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक की लागत वाले सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह वित्तीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी सब्सिडी (कमजोर वर्गों सहित विशेष श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 15 प्रतिशत (कमजोर वर्गों सहित विशेष श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत सामान्य लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 10 प्रतिशत है एवं ऋण के रूप में बैंक वित्तपोषण परियोजना लागत का 90 प्रतिशत है। इसके अलावा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला उद्यमिता के संवर्धन के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान एनआई हैदराबाद, आई.आई.ई.ई. गुवाहाटी, एनएसआईसी इत्यादि संस्थाओं ने विभिन्न

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 87437 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। यह संख्या कितनी बड़ी है यह बहस का मुद्दा हो सकता है परंतु यह कम से कम इतना तो इंगित करता ही है कि इस क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं हैं उसे समझ रही हैं तथा भविष्य में सुदृढ़ प्रयास के माध्यम से और बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसी क्रम में महिलाओं को ही समर्पित एक और योजना है 'महिला कॉयर योजना'। इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण देने के बाद महिला कारीगरों को कॉयर यार्न की कताई के लिए मोटरयुक्त रट के वितरण का प्रावधान है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भी महिला उद्यमियों हेतु अतिरिक्त लाभ की व्यवस्था है। शहरी महिला लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर पर है। इतना ही नहीं महिला उद्यमियों के मामले में लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है जबकि अन्य के मामले में लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 10 प्रतिशत है और महिलाओं के लिए ऋण के रूप में बैंक से प्राप्त होने वाला वित्तपोषण भी परियोजना लागत का 95 प्रतिशत है। ये सारे प्रयास यही इंगित करते हैं कि सरकार भी यह स्वीकार करती है कि रोजगार सृजन व विशेषकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का उत्तम माध्यम लघु उद्योग हो सकते हैं।

देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास एवं उत्तर-पूर्व राज्यों में व्याप्त संभावनाएं : भारत के सर्वांगीण एवं समावेशी विकास में एक बड़ी बाधा है संतुलित क्षेत्रीय विकास का अभाव। औद्योगीकरण का बड़े-बड़े महानगरों एवं कुछ नगरों तक केंद्रित रह जाने के कारण आज हमारे नगरों पर दबाव बढ़ रहे हैं। बड़े स्तर के उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक अवसरचना के अभाव में हमारे देश का संतुलित विकास नहीं हो पाया। जिसके कारण रोजगार, शिक्षार्जन आदि के कारण बड़ी संख्या में लोग गांवों से





पलायन कर शहरों की तरफ आ रहे हैं। फलतः एक तरफ शहरों पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गांवों के संसाधनों का उपयोग भी नहीं हो पा रहा। हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर देश के संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं।

गांधीजी ने सशक्त भारत के लिए गांवों को सशक्त बनाने की बात की थी और यह तभी संभव है जब गांव आर्थिक रूप से सशक्त बनें। चूंकि लघु उद्योगों के लिए बड़ी आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकताएं नहीं हैं अतः यह सुदूर गांवों में भी स्थापित हो सकता है। क्षेत्र की विविधता के अनुरूप एवं वहां उपलब्ध संसाधनों के प्रकार के अनुरूप उस क्षेत्र विशेष में वैसे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि वहां के लोग शिल्पकला में निपुण हों तो हस्तशिल्प। यदि वहां कृषि अच्छी है फल-सब्जियों आदि की अच्छी उपज हो तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इससे पलायन रुकेगा तथा क्षेत्र के संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग भी होगा एवं असंतुलित विकास की समस्या धीरे-धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगी। लघु उद्योगों को लेकर हमारे उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी विराट संभावनाएं हैं।

आज जब हमारे प्रधानमंत्री समग्र भारत के विकास को उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के माध्यम से परिपूर्ण करने की बात कर रहे हैं ऐसे में यह आवश्यक है कि हम वहां व्याप्त संभावनाओं को देखें। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात भारत के इस हिस्से में किन्हीं भौगोलिक कारणों से बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई, परन्तु यहां लघु उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र की जलवायु कृषि अनुकूल है एवं विशेषकर फलों एवं सब्जियों की पैदावार प्राकृतिक तरीके से यहां बड़े पैमाने पर हो सकती है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडीज, एक्साइज, आयकर एवं पूंजी निवेश में विशेष लाभ यहां एक बेहतर व्यापार एवं उद्योग अनुकूल स्थिति का निर्माण करते हैं। अतः उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि संबंधित उद्योगों की असीम संभावनाएं हैं। यहां वर्तमान में भी लघु-स्तर पर इस प्रकार के उद्योग चल रहे हैं पर वे संख्या में बहुत कम हैं। वर्ष 2009 में यहां 85 इकाइयों को फूड प्रॉडक्ट ऑर्डर (एफ पी ओ) के तहत लाइसेंस प्राप्त हुआ और इनमें महज 32 ही कार्यरत हैं। एमएसएमई



2009 की उत्तर-पूर्व में हुए औद्योगिक विकास से संबंधित एक शोध रिपोर्ट कहती है कि यदि सामान्य मूल्यवर्धन जैसेकि खाद्य पदार्थों की सफाई कर उन्हें अच्छी तरह पैक करने आदि से ही कृषकों की आय 42.8 प्रतिशत प्रति किलोग्राम तक बढ़ सकती है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इन उत्पादों के निर्यात की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में हम उत्तर-पूर्व के राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देकर न सिर्फ उस क्षेत्र में रोजगार सृजित कर पाएंगे बल्कि निर्यात करने से हमारे “भुगतान का संतुलन” भी सुधरेगा एवं सरकार के ‘चालू खाते के घाटे’ को नियंत्रित करने की योजना में भी लाभ होगा। इसके अलावा हथकरघा उद्योग में भी उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं। अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर ग्रामीण लोगों के बीच हथकरघा उद्योग उनके सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण निभाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूरे देश की तुलना में हथकरघा उद्योग का संकेद्रण सर्वाधिक है।

लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि यहां का अधिकांश उत्पादन अवाणिज्यिक अथवा स्व उपयोग के कार्य में आता है। अब जरा इसे आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। उत्तर-पूर्व के पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा मिलकर घरेलू लूमेज का 82 प्रतिशत हिस्सा उत्पादित करते हैं, जबकि वाणिज्यिक रूप से इन राज्यों का हिस्सा महज 13.4 प्रतिशत पर सिमट जाता है। दूसरी समस्या है इन क्षेत्रों में बनाए जा रहे वस्त्रों की बनावट एवं प्रकार के कारण इस क्षेत्र के परिधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर के परिधानों से मेल नहीं खाते जिसके कारण इनका पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर बाजार नहीं हैं। अगर हमने इन समस्याओं को हल कर लिया तथा इनके उत्पाद को



बाजार की मांग के अनुरूप ढालने में सक्षम हो गए तो यह पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था को बहुत बल दे सकता है।

लघु उद्योग के विकास में आने वाली प्रमुख चुनौतियां

हमारे देश में लघु उद्योग के विस्तार एवं विकास में कई बाधाएं भी हैं, जिनमें सबसे अहम है वित्त की समस्या। देश में वित्तीय समावेशन के अभाव में दूरस्थ गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की पहुंच बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों तक नहीं है। अतः निवेश के लिए धनराशि एक बड़ी समस्या है। दूसरी, उनके पास इतनी परिसंपत्तियां भी नहीं होती हैं जिसे वो कॉलेटरल के रूप में बैंकों में जमा कर ऋण ले सकें। फलतः उन्हें निजी साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है जिसके ब्याज के बोझ तले वह दब से जाते हैं और यदि प्रारंभिक दिनों में कम लाभ हुआ जिसके कारण ऋण अदायगी न हो पायी तो यह उनके लिए अत्यंत मुश्किल पैदा कर सकता है और कई बार उन्हें अपनी इकाई बंद करनी पड़ती है।

वित्तीय समस्या के अतिरिक्त कच्चे माल की समस्या, तकनीकी समस्या, विपणन (मार्केटिंग) में कठिनाई एवं अवसंरचना का अभाव जैसी अनेक समस्याओं से इन लघु उद्यमियों को दो-चार होना पड़ता है।

सरकार की पहलें

सरकार इन समस्याओं के निदान हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने से संबंधित योजना के साथ ही वित्तीय समस्या से निपटने हेतु सरकार वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यक्रम चला रही है जिससे देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवा पहुंच सके। इसके अतिरिक्त सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह भी बढ़ाया है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ऋण वृद्धि क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत रही है। इसके अलावा सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए “ऋण गारंटी निधि” की स्थापना की है। इसके माध्यम से उन लोगों की गारंटी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जो ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्रतिज्ञा पूर्ण करने में असमर्थ हैं।

कच्चे माल की समस्या से निपटने के लिए हथकरघा जैसे उद्योग जहां बुनकरों को अच्छे यार्न नहीं मिल पाते सरकार “मिल रेट प्राइस स्कीम” चला रही है जिसके तहत मिल प्राइस पर ही बुनकरों को यार्न उपलब्ध कराये जाते हैं।



इसके अलावा परंपरागत उद्योगों के पुनः सृजन के लिए निधि स्कीम ‘स्फूर्ति’ चलाई जा रही है। यह स्कीम उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने तथा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के विचार से खादी, ग्रामोद्योग और कोंयर क्षेत्रों में पहचाने गए उद्योगों के पुनःसृजन के लिए है।

लघु उद्योगों के विभिन्न आयामों को देखकर यह स्पष्ट है कि इनके माध्यम से हम भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में रोजगार सृजित कर सकते हैं, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य को भी साध सकते हैं एवं अंततः प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकते हैं। गांव-गांव तक लघु उद्योगों के प्रसार से हमारे अनुपयुक्त संसाधनों का भी अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाएगा। अतः हमें आवश्यकता है कि विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं वहाँ उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संबंधित उद्योग को ही विकसित किया जाए तथा हाल के दिनों में सरकार द्वारा चलाई गई ‘स्किल इंडिया’ मुहिम को इससे जोड़ा जाए ताकि आवश्यक मानव संसाधन तैयार हों एवं लोगों को अपने गृह क्षेत्र के आसपास ही रोजगार भी मिल जाए। हमें एक और मिथ को दूर करने की आवश्यकता है कि लघु उद्योग और बड़े उद्योग एक-दूसरे के लिए नुकसानदेह हैं। वास्तव में हमें लघु उद्योगों को इस प्रकार विकसित करना चाहिए कि वह वृहदस्तरीय उद्योग हेतु सहायक सिद्ध हो क्योंकि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास हेतु दोनों आवश्यक हैं।

(जगन्नाथ कुमार कश्यप आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर स्वतंत्र लेखन कार्य करते हैं और सम्बद्ध विषयों पर परिचर्चाओं में भी हिस्सा लेते रहे हैं। नेहा सिंह जामिया मिलिया इस्लामिया से अर्थशास्त्र में एम. ए. है और विकासवादी और सूक्ष्म आर्थिक मुद्दों पर स्वतंत्र लेखन कार्य में संलग्न हैं)

ई-मेल: jagannathkashyap@gmail.com

भारतीय समाज के संदर्भ में गांधी चिंतन

—चैतन्य प्रकाश

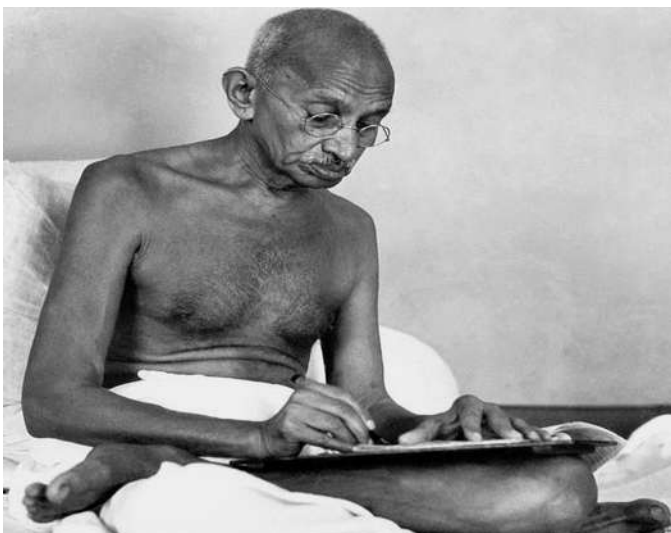
‘भारत में जहां अस्सी फीसदी आबादी खेती करने वाली है और दूसरी दस फीसदी उद्योगों में काम करने वाली है—शिक्षा को निरी साहित्यिक बना देना और लड़कों और लड़कियों को उत्तर-जीवन में हाथ के काम के लिए अयोग्य बना देना गुनाह है। मेरी तो राय है कि चूंकि हमारा अधिकांश समय अपनी रोजी कमाने में लगता है, इसलिए हमारे बच्चों को शुरू से ही श्रम का गौरव सीखना चाहिए। हमारे बालकों की पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिससे वे मेहनत का तिरस्कार करने लगें। कोई कारण नहीं कि एक किसान का बेटा स्कूल में जाने के बाद खेती के मजदूर के रूप में आजकल की तरह निकम्मा बन जाए। यह अफसोस की बात है कि हमारी पाठशालाओं के लड़के शारीरिक श्रम को तिरस्कार की दृष्टि से न सही, पर नापसंदगी की नजर से जरूर देखते हैं’।

भारत के स्वाधीनता संग्राम को राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण के सहज अवसर की भांति जानकर गांधीजी ने भारत के सामाजिक जीवन की न्यूनताओं और दुर्बलताओं के बारे में देश के भीतर एक खुली बहस उत्पन्न करने का प्रयत्न अपने विविध लेखों, भाषणों आदि के माध्यम से किया था। अपनी न्यूनताओं को चुनौती की भांति लेकर उनसे जूझने के मार्ग के बारे में स्पष्ट और निर्मल विचार करने वाला समाज प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ने की सामर्थ्य पाने का हकदार हो जाता है। भारत का वर्तमान सामाजिक जीवन व्याधिग्रस्त दिखाई देता है। दुनिया की सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला यह समाज अनेक दुर्बलताओं का शिकार है। किसी भी तरह के हीनता बोध से मुक्त होकर यदि कर्मचेतना के संदर्भ में भारतीय समाज की दुर्बलताओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाए तो निम्न बिन्दु उभरते हैं—

- **कार्य संस्कृति का अभाव :** समूचा भारतीय समाज कार्य-संस्कृति के अभाव से जूझ रहा है। कर्मचेतना के प्रति अनन्य

निष्ठा के अनेक प्रेरक प्रसंग और संदेश भारत के इतिहास और दर्शन की थाती है। मगर कर्मशीलता अब यहां एक उपदेश, उदाहरण या किसी प्रेरक समाचार की विषय-वस्तु के रूप में कभी-कभार पाई जाती है। यह हमारा सहज सामाजिक आचरण नहीं है। कर्मठता वर्तमान भारतीय सामाजिक चरित्र का सहज लक्षण नहीं है। कर्म के प्रति हमारा आग्रह बहिर्जगत के दबावों से उत्पन्न होता है। यह हमारी अंतरचेतना का स्वाभाविक स्वर नहीं है। अपने कार्य में व्यस्त रहने वाले व्यक्तियों के उदाहरणों के बारे में सुनकर या पढ़कर बहुत सारे लोगों के मन में अनुकरणकामी प्रभाव उत्पन्न होता है, वह सुबह-सवेरे नन्हीं घास पर पड़ी ओस की बूंदों के ठहरने जितनी देर भी टिक नहीं पाता है। कर्मठता या कार्यशीलता भारतीय समाज में एक सामान्य व्यवहार नहीं है, बल्कि यह निरंतर एक असाधारण आग्रह की भांति प्रकट, प्रस्तुत, प्रचारित किया जाने वाला दुर्लभ पहलू बनता जा रहा है।

- **श्रमन्यूनता और विलास का गौरव—** सर्व-साधारण भारतीय जन अपने आप को अभिजन (Elite) के रूप में देखने की आकांक्षा से ग्रस्त नजर आता है और भारतीय अभिजन की पहचान सत्ता या संपत्ति के बूते पर विलास और विश्राम की अनुकूलता को गौरव की तरह जीने के सामंती व्यवहार से सीधे तौर पर संबद्ध है। भारत का समृद्ध वर्ग अपनी विलासिता, श्रमन्यूनता या विश्रामप्रियता का सार्वजनिक प्रदर्शन कर सामान्य जन को सुविधाभोगी जीवन की ओर आकर्षित करता आया है। यहां सामान्यतया कर्मठता या कर्मशीलता एक विवशता है, एक परिस्थितिजन्य प्रतिकूलता है, एक हीनता बोध है, क्षुद्र और तुच्छ जीवन का एक रूप है, और बहुत हद तक दुर्भाग्य जैसा है। परंतु श्रमन्यून, सुविधाभोगी और





विलासी जीवन एक उच्चता बोध है, एक उच्चतम जीवन शैली है, जीवन-स्तर की श्रेष्ठता है, एक अनुकूलता है, प्रकट,प्रत्यक्ष सौभाग्य है।

- **उत्पादकता से दूर होता समाज** — शासकीय और राजनैतिक पराधीनता के प्रभाव में अपने शिल्प और कर्मकौशल से कटता गया यह समाज शायद अपनी उत्पादक वृत्ति से दूर होता जा रहा है। सफेद कॉलर वाली नौकरियों की तलाश में, जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की फिक्र में, प्रदर्शनकारिता की झोंक में निरंतर अपनी उत्पादनशीलता से विमुख हो रहा समाज का बड़ा वर्ग सरकार और बाजार पर आश्रित जीवन जीने के लिए विवश है। यहाँ एक सर्व सामान्य व्यक्ति अपनी उत्पादनशीलता को विकसित कर उसे व्यावहारिक और युगानुकूल संदर्भों में ढालकर प्रामाणिक और प्रभावी बनाने की राह पर तृप्ति और आनंद के वास्तविक सोपानों की ओर बढ़ने की बजाय लघुमार्ग वृत्ति (shortcut approach) के जाल में फंसकर एक अनुत्पादक और कोरे आदेशपालक अनुचर की भांति परमुखापेक्षी, कोल्हू के बैल की तरह का जीवन जीने के लिए अभिशप्त मालूम पड़ता है।
- **रचनात्मकता की कमी** — समूचे भारतीय परिवेश में रचनात्मकता की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। रचनात्मकता का अभिप्राय मात्र कला और साहित्य जगत तक सिमट गया मालूम पड़ता है और मजेदार पहेली यह है कि भारत का कला एवं साहित्य क्षेत्र भी अपनी रचनात्मकता के कुंद हो जाने की अवस्था से गुजर रहा है। कला और साहित्य की रचनाशीलता भी जाने-अनजाने वादों और विधाओं की कैद में छटपटाने के लिए विवश जान पड़ती है। मीडिया (मुख्यतः सिनेमा और विज्ञापन) के क्षेत्र में कुछ रचनात्मकता की ओर बढ़ने की ललक दिखाई पड़ती है, मगर वहां बाजार की मांग का दबाव और धन एवं प्रतिष्ठा के दलदल में धंसते जाने की व्यथा रचनात्मकता के निर्बाध और निर्द्वंद्व विकास के मार्ग में स्थायी अवरोध की भांति उपस्थित है। साधारण जन के सामान्य दैनंदिन जीवन से रचनात्मकता का लगातार लोप हो रहा है। वह अपने परिवेश, समाज, संप्रदाय और मीडिया के बताए तौर-तरीकों के अनुसार जीने को ही अपनी उपलब्धि मानता चला जा रहा है।
- **अनुकरण एवं एकरूपता का आदर्श** — चारों ओर अनुकरण और एकरूपता आदर्श के रूप में उपस्थित हैं। एक लंबे समय से व्यक्ति की निजता और इयत्ता के सहज प्रकटीकरण को बाधित किया जाता रहा है। 'सबके जैसे हो जाने' की शर्त जीवन में हर एक कदम पर मौजूद है। रटी-रटाई परिपाटियों और परम्पराओं के पालन का आग्रह जोरों पर है। अनुकरण

एक सुविधाजनक राह है। एकरूपता मानों जीवन की एक अनिवार्य शर्त हो गई है।

- **प्रदर्शन और प्रभाव की इच्छा** — दिखावे और आडंबर का विरोध साहित्य में या फिर प्रवचनों, भाषणों में सहज सुलभ है, मगर व्यवहार में प्रदर्शनकारिता और अपना प्रभाव जमाने की इच्छा जीवन की प्रमुख प्रेरणा की भांति उपस्थित है। भारत का अधिकांश सामाजिक, सार्वजनिक जीवन इन दो इच्छाओं को पूरा करने की उचित-अनुचित कवायदों का सिलसिला नजर आता है।

भारत के समाज जीवन में कर्मचेतना के संदर्भ में व्याप्त इन दुर्बलताओं से मुक्ति का मार्ग और वैकल्पिक कार्य संस्कृति का प्रस्ताव निम्नांकित बिन्दुओं के अंतर्गत प्रस्तुत है—

श्रमशीलता का गौरव — भारतीय समाज पर आलस्य का आरोप पुराना है। उपनिवेशवाद के प्रवक्ताओं ने भूमध्य रेखा के पास स्थित इस देश में गर्मी की प्रचंडता के कारण उत्पन्न आलस्य की प्रवृत्ति को एक राष्ट्रीय अयोग्यता की भांति न केवल चिन्हित किया बल्कि निंदित भी किया था। भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने अपने समाज की इस दुर्बलता को भलीभांति पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने अखंड श्रमशीलता के लिए भारतीय जनमानस का आह्वान किया था। गांधीजी ने शरीर श्रम की आवश्यकता और महत्त्व को निम्नांकित शब्दों में भली-भांति स्पष्ट किया था—

“जो मजदूरी नहीं करता उसे खाने का क्या हक है? बाइबल कहती है— ‘अपनी रोटी तू अपना पसीना बहाकर कमा और खा’। करोड़पति भी अगर अपने पलंग पर लोटता रहे और उसके मुंह में कोई खाना डाले तब खाए, तो वह ज्यादा देर तक खा नहीं सकेगा, इसमें उसको मजा भी नहीं आएगा। इसलिए वह कसरत वगैरह करके भूख पैदा करता है और खाता तो है अपने ही हाथ-पैर हिलाकर। अगर यों किसी न किसी रूप में अंगों की कसरत राजा-रंक सबको करनी ही पड़ती है, तो रोटी पैदा करने की कसरत ही सब क्यों न करें? यह सवाल कुदरती तौर पर उठता है। किसान को हवाखोरी या कसरत करने के लिए कोई कहता नहीं है और दुनिया के 90 फीसदी से भी ज्यादा लोगों का निर्वाह खेती पर होता है। बाकी के दस फीसदी लोग अगर इनकी नकल करें, तो जगत में कितना सुख, कितनी शांति और कितनी तंदुरुस्ती फैल जाए? और अगर खेती के साथ बुद्धि भी मिले, खेती से संबंध रखने वाली बहुत-सी मुसीबतें आसानी से दूर हो जाएंगी। फिर, अगर जात-मेहनत के निरपवाद कानून को सब मानें तो ऊंच-नीच का भेद मिट जाए”। (गांधी, मंगल प्रभात, प्रकरण-9, ‘उद्धृत शरीर श्रम, मेरे सपनों का भारत, पृष्ठ 61, संपादक आर.के.प्रभु. नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद’)

भारतीय समाज को श्रमन्यूनता और विलास को गौरव समझने की अपनी ऐतिहासिक अज्ञानता से मुक्त होना होगा। काम को छोटा-बड़ा और काम करने वालों को ऊंचा-नीचा समझने की गलती को ठीक करना होगा। श्रमशीलता का गौरव ही भारत की सामूहिक कर्मचेतना को समुन्नत करने का सर्वाधिक उपयोगी मार्ग हो सकता है। प्रत्येक कार्य को महत्त्वपूर्ण और सभी काम करने वालों को समान आदर एवं अनुग्रह के योग्य जानने की सहजता इस देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में कारगर सिद्ध हो सकती है।

उत्पादनशील समाज— आधुनिक विश्व वस्तुओं से अटे पड़े बाजारों की ओर बेतहाशा दौड़ने वाली जनसंख्या का पर्याय मात्र बनता जा रहा है। मानों क्रयशक्ति ही व्यक्ति की एकमात्र सामर्थ्य हो गई हो। सभी ओर विपणन और विक्रय का बोलबाला है। विपणन और विक्रय की तीव्रता में वृद्धि करने वाले किसी मादक द्रव्य की भांति विज्ञापन का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बीसवीं सदी का समाज एक उपभोक्ता समाज में तब्दील होने की ओर बढ़ आया था। इक्कीसवीं सदी की प्यास जुदा है। यह सदी उत्पादन की प्यास से भरी है। उपभोग की तृष्णा से त्रस्त समाज को उत्पादनशील होना होगा। स्थानीय और विकेंद्रित उत्पादन की बहुलता विपणन और विक्रय को भी विकेंद्रित करेगी। उत्पादनशील समाज का अर्थ है, व्यक्ति—व्यक्ति की उद्यमिता का प्रकटीकरण और पोषण। उद्यमिता यदि सहज जीवनचर्या का अभिन्न अंग बनती है तो विपणन और विक्रय का विकेन्द्रीकरण भी अनिवार्य होता जाएगा, फिर समाज जीवन पर बाजार के दबाव और विज्ञापन के प्रभाव के सीमित हो सकने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। गांधी जी ने उद्यमिता और उत्पादन के विकेंद्रित और स्थानीकृत होने की आवश्यकता को 'खादी वृत्ति' के संदर्भ से स्पष्ट करते हुए इस प्रकार रेखांकित किया था—

“खादीवृत्ति का अर्थ है, जीवन के लिए जरूरी चीजों की उत्पत्ति और उनके बंटवारे का विकेन्द्रीकरण। इसलिए अब तक जो सिद्धांत बना है वह यह कि हर एक गांव को अपनी जरूरत की सब चीजें खुद पैदा कर लेनी चाहिए, और शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ अधिक उत्पत्ति करनी चाहिए”। (गांधी, रचनात्मक कार्यक्रम पृ. 20, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद)

रचनात्मक जीवन : जीवन में सृजनशीलता आवश्यक है। सुबह से रात्रि तक चलने वाली विविधायामी जीवनचर्या यदि ढर्रे और ढांचे के बंधन से मुक्त होकर प्रयोगशील हो सके तो रचनात्मकता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सुगंध बन सकती है। साथ ही साधारण व्यक्ति के सहज कर्म में यदि रचनात्मकता और प्रयोगशीलता का समावेश हो जाए तो सर्वत्र सरसता और जीवंतता व्याप्त हो सकती है। गांधी जी अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को पूर्ण

स्वराज्य के लिए आवश्यक मानते थे। उन्होंने लिखा है—

‘रचनात्मक कार्यक्रम को दूसरे शब्दों में अधिक और उचित रीति से सत्य और अहिंसात्मक साधनों द्वारा पूर्ण स्वराज्य की यानी पूरी-पूरी आजादी की रचना कहा जा सकता है’। (गांधी, रचनात्मक कार्यक्रम, पृ.—9 नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद)

मौलिकता, आविष्कारकर्ता एवं नवोन्मेष का आह्वान—भारतीय समाज की अनुकरणकामी, एकरूपतालक्षी प्रवृत्ति अब एक जड़ता की भांति स्थायी होने की ओर अग्रसर है। यहां मौलिकता, आविष्कारकता एवं नवोन्मेष की बातें यदा-कदा सिद्धांत, नीति या उपदेश की तरह प्रकट या प्रचारित होती हैं किन्तु ये तत्व अभी तक सर्व साधारण जन की सहज चेष्टा का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। ये तीनों तत्व जब भारत की व्यक्तिगत और सामूहिक कर्मचेतना के सहज अंश की भांति दिखाई पड़ने लगेंगे तब ही भारत स्वाभाविक रूप से कर्मठ और कौशल सम्पन्न देश की तरह विकसित होता दिखाई पड़ेगा। आवश्यक है कि समूचे देश में कर्मचेतना का इस त्रितत्वात्मकता के लिए आह्वान किया जाए। इस संदर्भ में गांधीजी की चिंतन दृष्टि से एक संकेत मिलता है—

“सच्ची शिक्षा तो स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है। जिसने उसका महत्त्व समझा है वह सदा ही विद्यार्थी है। अपना कर्तव्य—पालन करते हुए उसे अपना ज्ञान रोज बढ़ाना चाहिए। जो सब काम समझकर करता है उसका ज्ञान रोज ही बढ़ना चाहिए”। (गांधी, सत्याग्रह आश्रम का इतिहास, पृ. 72, 1951, उद्धृत: ‘मेरे सपनों का भारत’, पृ. 214, संपादक आर.के. प्रभु, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद)

अपना ज्ञान रोज बढ़ाने और सब काम समझकर करने की दृष्टि वस्तुतः जन-जन में मौलिकता, आविष्कारकता और नवोन्मेष का आह्वान करने की दृष्टि है।

भारत समाज की कर्मचेतना के उचित विकास के लिए एक सहज कार्य संस्कृति की आवश्यकता है। उक्त बिन्दुओं में गांधी जी के बुनियादी चिंतन के परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज के समर्थ और स्वावलंबी होने की दिशा को लक्षित कर एक वैकल्पिक कार्य—संस्कृति की प्रस्तावना की गई है। श्रमशीलता को गौरव समझने वाली, उत्पादनशीलता पर आधारित, रचनात्मक जीवनचर्या और कार्यशीलता से पुष्ट, व्यक्ति—व्यक्ति में मौलिकता, आविष्कारकर्ता और नवोन्मेष की त्रितत्वात्मकता का आह्वान करने वाली कार्य संस्कृति सदी के सर्वाधिक युवा अर्थात् सर्वाधिक ऊर्जावान देश की सहज कार्य संस्कृति हो सकती है।

(लेखक जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में विशिष्ट नियुक्ति पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)
ई-मेल: chaitanyapra@gmail.com

गांधीजी का सपना साकार करेगा स्वच्छ भारत मिशन

—संजय श्रीवास्तव

प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान शुरू किया था। लालकिले की प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार गंदगी के खिलाफ आवाज उठाई। लालकिले से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया। दो अक्टूबर के दिन स्वच्छता अभियान की शुरुआत उचित ही थी, क्योंकि गांधीजी स्वच्छता के सबसे बड़े पैरोकार थे। महात्मा गांधी रोजाना सुबह चार बजे उठकर अपने आश्रम की सफाई किया करते थे। वर्धा आश्रम में उन्होंने अपना शौचालय स्वयं बनाया था और इसे प्रतिदिन साफ करते थे। स्वच्छता अभियान की इस देश को सही मायनों में सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम खुद में स्वच्छता की आदत डाल सकें तो ये देश की बड़ी सामाजिक क्रांतियों में एक होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दो अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भारत स्वच्छता अभियान शुरू किया था। इस हिसाब से इस अभियान को एक साल हो चला है। इस साल जब प्रधानमंत्री ने फिर लालकिले से देश को संबोधित किया तो वह एक साल में स्वच्छता अभियान की प्रगति से संतुष्ट नजर आए। एक साल में शुरुआती तौर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आने वाले सालों में इस मामले में बहुत कुछ और भी होना है। स्वच्छता अभियान की इस देश को सही मायनों में सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम खुद में स्वच्छता की आदत डाल सकें तो ये देश की बड़ी सामाजिक क्रांतियों में एक होगी। ये एक बहुत अच्छा अभियान है। इसकी शुरुआत प्राथमिक तौर पर हमारे अपने परिवेश की स्वच्छता से होती है। यानी हम जहां रहें, वहां और

उसके आसपास सफाई रखें। धीरे-धीरे हम इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। भारत सरकार के इस अभियान से निःसंदेह ये संदेश तो गया ही है कि सफाई हमारा अपना काम भी है। राज्य सरकारें न केवल इसके महत्व को समझ रही हैं बल्कि पूरा सहयोग भी कर रही हैं। स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान इस अभियान में हाथ बढ़ा रहे हैं। सही बात तो यह है कि हमें हर स्तर पर सफाई की जरूरत है। और ये भी सही है कि सफाई के प्रतिमानों पर हमें काफी कुछ सीखने की भी जरूरत है।

लालकिले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान का आगाज करते हुए शपथ ली, “मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह दो घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के लिए काम करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से इसकी शुरुआत करूंगा।” काश, हम अपने प्रधानमंत्री से इस बारे में कुछ सीख पाते।

गांधीजी स्वच्छता के सबसे बड़े पैरोकार थे। वह रोजाना सुबह चार बजे उठकर अपने आश्रम की सफाई किया करते थे। वर्धा आश्रम में उन्होंने अपना शौचालय स्वयं बनाया था और इसे प्रतिदिन साफ करते थे। गांधी जी ने इसके साथ ही ये संदेश भी दिया था कि हर घर के लिए जरूरी है शौचालय। वह खुले में शौच के विरोधी थे। उनका मानना था कि इससे गंदगी और संक्रामक बीमारियां फैलती हैं।



सच ही है कि शहरों—गांवों सभी जगह गंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। एक तो स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं, दूसरे नागरिकों का सहयोग नहीं मिल रहा है। होता क्या है कि बाजारों में सफाई कार्य सुबह हो जाता है। सुबह दस बजे दुकानदार दुकान खोलता है और सारा कूड़ा सड़क पर फेंक देता है। यही कूड़ा पूरे दिन विचरण करता रहता है। दुकानदार चाहें तो दुकान का कूड़ा थैली में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करना वे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। यही हालत घरों की है। सामान्यतः लोग घरों का कूड़ा झाड़कर नाली में फेंक देते हैं। नाली में ही पॉलीथिन जाती रहती है। सारा मलबा नाले—नालियों के हवाले हो रहा है। इससे जलभराव और नाले—नाली जाम की समस्या है।

बढ़ रहे हैं गांवों में शौचालय

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष 2019 में है। तब तक भारत को निर्मल बनाने का लक्ष्य है। आशा की जानी चाहिए कि हम अपने देश से गंदगी पूरी तरह हटा देंगे। वर्ष 2012 तक देश के 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय नहीं थे। इस अभियान के शुरू होने के बाद करीब 79 लाख टायलेट केंद्र द्वारा बनवाए गए। हर टायलेट पर सरकार 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। वर्ष 2019 तक 6.84 करोड़ नए टायलेट बनवाने का लक्ष्य है।

हैरानी की बात ये भी है कि गांवों में बहुत से घर ऐसे भी हैं, जहां शौचालय होते हुए भी घर के एक या दो सदस्य खुले में शौच करने जरूर जाते हैं। जून, 2014 में रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पेनशनेट इकोनॉमिक्स (आरआईएसई) ने बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों का एक सर्वेक्षण किया। उसने पाया कि जिन 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के घर में शौचालय हैं, उन परिवारों का भी कम से कम एक व्यक्ति खुले में शौच करता है।

इसे रोकने के लिए कुछ अलग रणनीतियों की भी जरूरत है। आरती डोगरा, जो अभी हाल तक बीकानेर की डीएम थीं, कहती हैं कि हमें शौचालय गिनना छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय हमें उन लोगों की गिनती करनी चाहिए, जो शौचालय बनने के बाद भी खुले में शौच करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक, बीकानेर में 29 फीसदी परिवारों के पास शौचालय थे। आज यह आंकड़ा बढ़कर 82 प्रतिशत हो चुका है, और शौचालयों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। यह कैसे संभव हुआ? दरअसल कई तरह की रणनीतियों ने ग्रामीणों को अपने तौर—तरीकों में बदलाव के लिए विवश किया है। समुदाय के लोगों की निगरानी और बाल समितियों के गठन के सुखद नतीजे सामने आए हैं। इस काम में स्कूली बच्चों को लगाया गया है। वे तड़के ही गांवों के

एक बार एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी से पूछा, यदि आपको एक दिन के लिए भारत का बड़ा लाट साहब (वायसराय) बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे। गांधीजी ने कहा, राजभवन के पास जो गंदी बस्ती है, मैं उसे साफ करूंगा। अंग्रेज ने फिर पूछा, मान लीजिए कि आपको एक और दिन उस पद पर रहने दिया जाए तब। गांधी जी ने फिर कहा, दूसरे दिन भी वही करूंगा। जब तक आप लोग अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेंगे, तब तक आप अपने नगरों को साफ नहीं रख सकते। एक स्कूल को देखने के बाद उन्होंने शिक्षकों से कहा था, आप अपने छात्रों को किताबी पढ़ाई के साथ—साथ खाना पकाना और सफाई का काम भी सिखा सके, तभी आपका विद्यालय आदर्श होगा। गांधी जी की नजर में आजादी से भी महत्वपूर्ण सफाई थी।

आसपास निकल जाते हैं, और अगर कोई खुले में शौच करता दिखे, तो सीटी बजाते हैं।

माना जाता है कि देश में अब भी करोड़ों लोग खुले में शौच जाते हैं। इस संबंध में जिला पंचायत—स्तर पर कार्यशालाएं कर जागरूकता बढ़ाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य फिलहाल 2.5 लाख गांव पंचायतों से जुड़े छह लाख गांवों को पूरी तरह शौचालय युक्त कर उन्हें स्वच्छता की ओर बढ़ाने का है। एक जुलाई 2015 को 12,216 ग्राम पंचायत—स्तर के गांव पूर्णरूपेण टायलेट युक्त हो गए। हालांकि सौ फीसदी टायलेटों का दावा करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या ज्यादा है, लेकिन अभी इस दावे की सत्यता का परीक्षण किया जाना है। सरकार इन सभी गांवों को एक मॉनीटरिंग सिस्टम से जोड़ने की योजना बना रही है। साथ ही जरूरत स्वच्छ भारत के लिए नए तरीकों और तकनीक के साथ सोच को भी बदलने की है, जिसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जो नई योजनाओं और रणनीतियों की पड़ताल करेगी। इसके लिए वाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जा रहा है।

केंद्र स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए नए आईएसएस अधिकारियों को तैयार कर रहा है, जो जब जिले की जिम्मेदारियां लें तो स्वच्छ भारत अभियान का खास ख्याल रखें। करीब 180 आईएसएस प्रोबेशनर्स को इस प्रोग्राम के लिए दक्ष किया जा रहा है। साथ ही सरकार देशभर में करीब 200 अन्य कलेक्टरों को भी इसकी ट्रेनिंग दे रही है।

शहरी सफाई पर सर्वे

कुछ समय पहले शहरी विकास मंत्रालय ने इसी के परिप्रेक्ष्य में एक सर्वे कराया और उसमें पाया गया कि तमाम शहरों में



102 साल की वृद्धा की मिसाल

छत्तीसगढ़ में स्वच्छता अभियान को लेकर 102 साल की महिला ने अनूठी मिसाल पेश की है। इस उम्र तक वैसे ही बेहद कम लोग पहुंचते हैं और ऐसे में इस वृद्ध महिला ने उम्र की बाधा को दूर करते हुए अपने घर में शौचालय बनवाने का काम किया। कहानी है छत्तीसगढ़ के अति पिछड़े इलाके धमतरी जिले के कोटाभर्री की, जहां इस वृद्धा ने जागरुकता और स्वास्थ्य को लेकर अनोखी मुहिम चलाई। इस मुहिम के लिए वृद्धा ने अपनी बकरियों को भी बेचने से गुरेज नहीं किया।

जिले के कलेक्टर ने कोटाभर्री गांव में प्रवास के दौरान चौपाल लगाकर लोगों को खुले में शौच से मुक्ति के लाभ के बारे में बताया था। कलेक्टर की अपील पर शौचालय बनाने सबसे पहले आगे आई गांव की 102 वर्षीय वृद्ध महिला कुंवरबाई यादव। कुंवरबाई के सामने जब शौचालय बनाने में पैसों की कमी आई तो उन्होंने अपनी बकरी को बेचने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने गांव में सबसे पहले शौचालय बनाने के लिए घर की बकरियों को बेचकर 22 हजार रुपये जमा किए और शौचालय बनवाया। स्वच्छता को लेकर कुंवरबाई की मुहिम यही नहीं रुकी। उन्होंने एक-एक घर में जाकर और गांव के घर-घर में दस्तक देकर लोगों को समझाया और सभी घरों में शौचालय निर्माण कराने के लिए उन्हें मना भी लिया। ग्राम पंचायत बरारी के इस आश्रित ग्राम में लगभग साढ़े चार सौ लोग रहते हैं। गांव अब पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो चुका है।

सफाई की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि नगरपालिकाओं का मुख्य काम सफाई का होना चाहिए। अगर किसी शहर में सफाई की स्थिति ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि आम जनता के साथ स्थानीय निकाय भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं।

शहरी विकास मंत्रालय के सर्वे के मुताबिक साफ-सफाई के मामले में सबसे ऊपर रहा कर्नाटक का मैसूर। इसके अलावा कर्नाटक के तीन और शहरों ने भी टॉप टेन में जगह पाई। स्थानीय शहरी निकायों में दिल्ली छावनी 15 वें स्थान पर रहा जबकि एनडीएमसी 16 वें स्थान पर और एमसीडी 398वें स्थान पर। अगर एनसीआर की बात करें तो स्वच्छता के मामले में गुड़गांव 466 वें स्थान पर और फरीदाबाद 421वें नंबर पर है। दिल्ली से सटा गाजियाबाद सफाई के मामले में 138वें स्थान पर है। इस लिहाज से एनसीआर में सबसे साफ-सुथरा शहर गाजियाबाद है जबकि मेरठ को 465वां स्थान मिला। स्वच्छता अभियान में पश्चिम बंगाल के 25 शहरों

ने टॉप 100 में जगह बनाकर साफ-सफाई का एक उदाहरण पेश किया।

दक्षिण के 39 शहरों ने भी पूरब, पश्चिम और उत्तर के राज्यों को पीछे छोड़कर टॉप 100 में जगह बनाई। टॉप 100 में पूरब के 27, पश्चिम के 15 और उत्तर के सिर्फ 12 शहरों को स्थान मिला। हालांकि ये शोचनीय बात है कि दस सबसे साफ शहरों में उत्तर भारत का एक भी शहर नहीं है बल्कि ये सारे शहर आमतौर पर दक्षिण भारत के हैं।

सफाई के मामले में हम कई बेहद छोटे और विकासशील देशों से सीख ले सकते हैं। थाईलैंड हमारे देश की तुलना में गरीब है लेकिन साफ-सुथरा देश। वहां के सार्वजनिक स्थल साफ-सुथरे हैं। सार्वजनिक शौचालय अधिक स्वच्छ और बेदाग। वह ज्यादातर यूरोपीय देशों से भी बेहतर स्थिति में हैं। बैंकॉक की गलियों का दिल्ली, मुंबई, या देश के दूसरे शहरों की गलियों से कोई मुकाबला नहीं।

ज्यादातर भारतीयों के पास मोबाइल फोन तो हैं लेकिन घर में शौचालय नहीं हैं। यह लोगों की स्वच्छता के प्रति जागरुकता की कमी को दिखाता है। इसी तरह भारतीय रेलवे में फैलने वाली गंदगी के लिए हम खुद कम जिम्मेदार नहीं। शौचालयों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहां तक कि वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले पढ़े-लिखे लोग भी अपने बच्चों को शौचालय सीट का इस्तेमाल नहीं करवा कर उन्हें बाहर ही शौच करवाते हैं। डिब्बों में कूड़ा फैलना तो आम बात है। भारत में ज्यादातर धार्मिक स्थलों, गांवों-कस्बों में और मंदिरों के आसपास अक्सर बहुत गंदगी दिखाई देती है। इन जगहों पर कूड़े के ढेर, खुले में शौच, प्रदूषण और दूषित पीने का पानी आम बात है। ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में जाति से संबंधित भावनाएं अभी भी प्रबल और प्रचलित हैं। प्रदूषण की अवधारणा की सामाजिक स्वीकृति अभी जारी है जिसमें स्वच्छता और सफाई की उपेक्षा होती रही है। सफाई के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं है। हम अपनी सामान्य आदतों में थोड़ा सुधार कर लें, तो हर जगह सफाई दिखाई देगी। ये आदतें हैं इधर-उधर न थूकना, निर्धारित स्थान पर ही गंदगी फेंकना, अपने मोहल्ले की जाम पड़ी नालियों को खोलना और नियमित सफाई करना। भारत में आज हममें से अधिकतर को 'शौचालय प्रशिक्षण' और स्वच्छता तथा सफाई की शिक्षा की जरूरत है। गांधीजी इस मामले में हमारे पथ-प्रदर्शक साबित हो सकते हैं।

रानी ने दिलाई पहचान

बिहार के बांका जिले में ठेठ देहात चांदन का एक गांव है सलोनिया। जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ। अधिकांश आबादी भी पिछड़ी और महादलित परिवारों की है। गांव की कम

महात्मा गांधी और स्वच्छता

गांधीजी ने अपने बचपन में ही भारतीयों में स्वच्छता के प्रति उदासीनता की कमी को महसूस कर लिया था। उन्होंने किसी भी सभ्य और विकसित मानव समाज के लिए स्वच्छता के उच्च मानदंड की आवश्यकता को समझा। उनमें यह समझ पश्चिमी समाज में उनके पारंपरिक मेलजोल और अनुभव से भी विकसित हुई। अपने दक्षिण अफ्रीका के दिनों से लेकर भारत तक वह अपने पूरे जीवनकाल में निरंतर बिना थके स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते रहे। गांधीजी के लिए स्वच्छता एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था।

गांधीजी ने स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्वच्छता को तुरंत शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। 20 मार्च, 1916 को गुरुकुल कांगड़ी में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था 'गुरुकुल के बच्चों के लिए स्वच्छता और सफाई के नियमों के ज्ञान के साथ ही उनका पालन करना भी प्रशिक्षण का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए,... इन अदम्य स्वच्छता निरीक्षकों ने हमें लगातार चेतावनी दी कि स्वच्छता के संबंध में सब कुछ ठीक नहीं है... मुझे लग रहा है कि स्वच्छता पर आगन्तुकों के लिए वार्षिक व्यावहारिक सबक देने के सुनहरे मौके को हमने खो दिया।'

1920 में गांधीजी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। यह विद्यापीठ आश्रम की जीवन पद्धति पर आधारित था। इसलिए वहां शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को प्रारंभ से ही स्वच्छता के कार्य में लगाया जाता था। यहां के रिहायशी क्वार्टरों, गलियों, कार्यालयों, कार्यस्थलों और परिसरों की सफाई दिनचर्या का हिस्सा थी। गांधीजी यहां आने वाले हर नये व्यक्ति को इस संबंध में विशेष पढ़ाते थे। यह प्रथा आज भी कायम है। जो लोग गांधीजी के साथ रहने की इच्छा जाहिर करते तो इस बारे में उनकी पहली शर्त होती थी कि आश्रम में रहने वालों को आश्रम की सफाई का काम करना होगा जिसमें शौच का वैज्ञानिक निस्तारण करना भी शामिल है।

जब वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो लोकमान्य बालगंगाधर तिलक से मिलने पुणे गए। उन्हें जहां ठहराया गया, उस घर में शौचालय की जब उन्होंने खुद ही सफाई की तो लोग दंग रह गए। इसके बाद कोलकाता में शांति निकेतन में भी उन्होंने न केवल ऐसा फिर किया बल्कि वहां के छात्रों को भी प्रेरित किया। अपने उस पहले भारतीय दौर में जिस बात को लेकर वह सबसे ज्यादा व्यथित होते थे, वह थी देश के धार्मिक स्थानों पर फैली हुई गंदगी जिसकी ओर उन्होंने बार-बार ध्यान खींचा।

कांग्रेस के करीब-करीब हर सम्मेलन में दिए अपने भाषण में गांधीजी स्वच्छता के मामले को उठाते थे। अप्रैल 1924 में उन्होंने दाहोद शहर के कांग्रेस सदस्यों को अच्छी साफ-सफाई रखने के लिए बधाई दी और सुझाव दिया कि वह अच्छूत समझे जाने वाले समुदाय के इलाकों में जाएं और उनमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता जगाएं। गांधीजी मानते थे कि नगरपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफाई रखना है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पार्षद बनने के बाद स्वच्छता के काम करने का सुझाव दिया। गांधीजी की नजर में अस्वच्छता बुराई थी। 25 अगस्त, 1925 को कलकत्ता अब (कोलकाता) में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा, 'वह (कार्यकर्ता) गांव के धर्मगुरु या नेता के रूप में लोगों के सामने न आए बल्कि अपने हाथ में झाड़ू लेकर आए।'

पंचायतों की भूमिका के बारे में गांधीजी ने कहा था कि गांव में रहने वाले प्रत्येक बच्चे, पुरुष या स्त्री की प्राथमिक शिक्षा के लिए, घर-घर में चरखा पहुंचाने के लिए, संगठित रूप से सफाई और स्वच्छता के लिए पंचायत जिम्मेदार होनी चाहिए।

गांधीजी ने हमारा ध्यान इस ओर खींचा कि हमें पश्चिमी देशों में सफाई रखने के तरीकों को सीखना चाहिए और उनका उसी तरह पालन करना चाहिए। 21 दिसंबर, 1924 को बेलगांव में अपने नागरिक अभिनंदन के जवाब में उन्होंने कहा था, 'हमें पश्चिम में नगरपालिकाओं द्वारा की जाने वाली सफाई व्यवस्था से सीख लेनी चाहिए... पश्चिमी देशों ने स्वच्छता और सफाई विज्ञान को किस तरह विकसित किया है उससे हमें काफी कुछ सीखना चाहिए... पीने के पानी के स्रोतों की उपेक्षा जैसे अपराध को रोकना होगा।'

पट्टी-लिखी एक महिला रानी ने इस गांव को राष्ट्रीय-स्तर पर पहचान दिलाई है। रानी की पहल से ग्लोबल सेनिटेशन फंड के विदेशी अधिकारी भी इस गांव तक आने को मजबूर हुए हैं।

दरअसल, रानी के अथक प्रयास से इस गांव के सभी 47 घरों को अपना शौचालय मिल गया है। गांव की पूरी आबादी को खुले में शौच से मुक्ति मिल गयी है। रानी अब अपने गांवों के बाद पड़ोसी गांवों में शौचालय बनवाने की मुहिम में जुट गई हैं ताकि पंचायत के ज्यादातर गांवों में शत-प्रतिशत घरों में शौचालय बन जाए। रानी के स्वच्छता अभियान की शुरुआत उसके विकास मित्र

बनने के बाद शुरू हुई। विकास मित्र बनने के बाद उसे पंचायत के घरों में शौचालय बनवाने के लिए प्रोत्साहन की जिम्मेदारी मिली। उस वक्त गांव की अधिकांश महिलाओं सहित सभी नागरिक खुले में शौच जाते थे। लेकिन, दो साल के अंदर सब कुछ बदल गया। सभी घरों ने अपना शौचालय बनाया। शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाला यह बांका जिला का पहला गांव बन गया। फिर सबने खुले में शौच से भी तौबा कर ली।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल : sanjayrotsn@gmail.com

स्वच्छता और महात्मा गांधी

—डॉ. जॉन चेल्लादुरई

गांधीजी का मानना था कि आंतरिक और बाहरी साफ-सफाई, स्वच्छता ईश्वर की अनुभूति के साधन हैं।
“मैले शरीर और उस पर अशुद्ध मस्तिष्क के साथ हम ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पा सकते। स्वच्छ शरीर किसी गंदे शहर में वास नहीं कर सकता।”

मध्य महाराष्ट्र के एक नवयुवक ने गांधीजी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके सेवाग्राम आश्रम में जाकर उनसे भेंट की। उस नवयुवक ने आईसीएस की प्रारम्भिक परीक्षा पास की थी। गांधीजी ने उस नवयुवक से पूछा, “तुम आईसीएस क्यों बनना चाहते हो? नवयुवक ने उत्तर दिया, ‘भारत की सेवा करने के लिए’। गांधीजी ने उसे सलाह दी, “गांव में जाना और साफ-सफाई करना भारत की सबसे उत्कृष्ट सेवा है। और इसके बाद आईसीएस बनने के इच्छुक अप्पा पटवर्धन ‘सफाई’ की कला में विशेषज्ञता हासिल कर देश के बेहतरीन स्वाधीनता सेनानियों में शुमार हो गए।

स्वाधीनता संग्राम के विद्यालय में ‘सफाई’ और ‘स्वच्छता’ आगे बढ़ने की परीक्षा थे। विनोबा भावे, टक्कर बाबा, जे.सी. कुमारप्पा और बेहद प्रतिभाशाली असंख्य नौजवान स्वाधीनता

संग्राम में कूद पड़े और उन्होंने सफाई एवं स्वच्छता को स्वाधीनता की बुनियाद मान लिया।

सत्य के अन्वेषक के रूप में, गांधीजी ने बहुत सतर्क जीवनशैली अपनाई और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की। राष्ट्रपिता होने के नाते, उन्होंने महसूस किया कि सफाई का राष्ट्र निर्माण में अपरिहार्य स्थान है और कहा, ‘स्वच्छता का स्थान ईश्वर के करीब है’।

विकास पहली आवश्यकता

विकास मानव सभ्यता का वफादार साथी रहा है। प्रागैतिहासिक आदिमानव से लेकर अत्याधुनिक शहरी मानव तक, हमने जीवन को काफी हद तक तात्कालिक बनाया है। विकास को उन्नति के रूप में देखा गया है, जो नवाचार जीवन के किसी भी पहलू में लाता है। मानव विकास का दृष्टिकोण वैयक्तिक कल्याण के समस्त पहलुओं को समाहित किए हुए है—¹ खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ एवं ताजा हवा, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य एवं सफाई, साधन तक पहुंच, इन सभी की निश्चितता के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं चयन की आजादी।

इनमें से विकास के अधिकांश घटकों को दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वालों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, जैसाकि अब्राहम मैसलॉ ने कहा है। विकासशील समुदाय होने के नाते, हमने ऐसी व्यवस्थाएं तैयार करने में काफी मशक्कत की है, जिससे हमने शारीरिक आवश्यकता के एक पक्ष, आपूर्ति पक्ष का ध्यान रखा है। दूसरे पक्ष, निपटान को सरासर नजरंदाज किया है। निपटान विरले ही कभी विकास के एजेंडे की योजना में होता है।



जैसाकि एक कहावत में कहा गया है, 'अच्छी शुरुआत आधी सफलता है।' दूसरे हिस्से के बारे में कहावत में आगे कहा गया है 'यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप शुरुआत कैसे करते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप समापन कैसे करते हैं।'

मानवजाति जो पाक कला, विकास के उपकरण बनाने में माहिर है, उसे उसके गौण उत्पादों को निपटाने में भी महारत हासिल होनी चाहिए। दुखद बात यह है कि चाहे मानव मल हो, औद्योगिक कचरा, उपभोक्ता वस्तुओं संबंधी कूड़ा-करकट हो या विकास संबंधी कबाड़, मानवजाति ने अनिच्छापूर्वक ध्यान के अलावा सब कुछ देना जारी रखा है।

निष्क्रियता

इसके परिणामस्वरूप हमारे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाज़ार, और तो और मंदिरों के परिसर तक मक्खियों, मच्छरों और चूहों से भरपूर जंक यार्ड जैसे दिखते हैं। गांधीजी ने इन्हें 'बदबूदार मांद'² करार दिया था। हमने तो पवित्र गंगा को भी विशाल सीवर में परिवर्तित कर डाला है।

सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति शहर के लोगों के बेरुखी भरे रवैये पर टिप्पणी करते हुए गांधीजी ने कहा था, "यह सोच सुविधाजनक नहीं है कि लोग भारतीय बम्बई की सड़कों पर निरंतर इस खौफ के साये में चलते हैं कि बहुमंजिली इमारतों के बाशिंदे उन पर थूक सकते हैं।"³ वे खुले में शौच करने को 'असभ्यता' के समान मानते थे, जिसके कारण अगर कोई ऐसे समय में गुजर रहा होता है, तो हम नज़रें फेर लेते हैं।

सत्य की अनुभूति

गांधीजी के लिए, स्वच्छता सिर्फ एक जैविक आवश्यकता भर नहीं, बल्कि जीवनशैली, सत्य की अनुभूति का अभिन्न अंग थी। साफ-सफाई की उनकी समझ सत्य की सार्वभौमिक एकात्मकता के अहसास से उपजी थी। गांधीजी जिन्होंने सत्य की ईश्वर के समान स्तुति की, उन्होंने पूर्ण, सर्वव्यापी सत्य को ऐसा शुद्ध पाया और इसलिए 'स्वच्छता की बराबरी ईश्वर' से कर डाली। उन्होंने 'स्वच्छता' को रचनात्मक कार्यक्रम⁴ की सूची में शामिल करते हुए उसे स्वाधीनता के अनिवार्य कदम का दर्जा दिया।

सत्य के इस अन्वेषक ने जीवन को सत्य की करीबी अभिव्यक्ति के रूप में देखा, इसलिए उन्होंने जीवन की सत्य अथवा ईश्वर के साथ बराबरी की। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवन और उसके आचरण का अंग हैं, वे सत्य की अनुभूति का अंग भी हैं। इस अर्थ में, गांधीजी का मानना था कि आंतरिक और बाहरी साफ-सफाई, स्वच्छता ईश्वर की अनुभूति के साधन हैं। "मैले

शरीर और उस पर अशुद्ध मस्तिष्क के साथ हम ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पा सकते। स्वच्छ शरीर किसी गंदे शहर में वास नहीं कर सकता।"⁵

स्वराज

भारत की आजादी के बारे में गांधीजी के समग्र दृष्टिकोण ने उन्हें स्वराज प्राप्ति की भारत की कोशिशों में स्वच्छता के अनोखे स्थान का बोध कराया। इंडियन होम रूल के अधिकार की मांग करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने हुंकार भरी, "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।" गांधीजी के लिए स्वराज शब्द का निहितार्थ काफी गूढ़ था। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा, "स्वराज एक पवित्र शब्द है, वैदिक शब्द है, जिसका आशय स्वशासन, आत्मसंयम है और समस्त प्रकार के नियंत्रण से मुक्ति नहीं है, जो अक्सर 'स्वतंत्रता' का आशय होता है।"⁶ 'मेरे सपनों का स्वराज गरीब आदमी का स्वराज है।'

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर विशाल जनसमूह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने उस गंदगी का उल्लेख किया जिसने इस पवित्र शहर को ढक रखा है। "कोई भी भाषण हमें स्वशासन (स्वतंत्रता) के लिए उपयुक्त नहीं बना सकता। सिर्फ हमारा आचरण है, जो हमें इसके उपयुक्त बनाता है।" स्वच्छता उनके लिए 'स्वराज्य योजना' थी।

यह 'आत्मसंयम' उन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन के व्यक्तिगत आचरण, जीवन के दैहिक और चिंतन दोनों पहलुओं में उत्पन्न किया। निपटान की व्यवस्था का जिक्र करते हुए गांधीजी ने कहा, "स्वराज तब तक पूर्ण स्वराज नहीं होगा, जब तक प्रत्येक मनुष्य को जीवन की समस्त साधारण सुख-सुविधाओं की गारंटी नहीं मिलती।"⁷

सफाई राष्ट्र निर्माण का कार्य

स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व करते हुए उन्होंने स्वाधीनता के पहलुओं की व्याख्या की और 'स्वच्छ आचरण' के महत्व पर प्रकाश डाला। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, "इससे पहले कि हम स्वशासन के बारे में सोचे, हमें कुछ आवश्यक परिश्रम करना होगा।"⁸

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गांधीजी ने गांवों की हालत को शोचनीय करार दिया। "हमारी गरीबी का एक प्रमुख कारण स्वच्छता की अनिवार्य जानकारी उपलब्ध न होना है। यदि गांवों की साफ-सफाई में सुधार लाया जाए, तो लाखों रुपये आसानी से बचाए जा सकेंगे और लोगों की दशा में कुछ हद तक सुधार लाया जा सकेगा। बीमार किसान स्वस्थ किसान जितनी मेहनत नहीं कर सकता।"⁹ इस आशय में उन्होंने कहा कि स्वराज सिर्फ "अंग्रेजी दासता मुक्ति नहीं.....बल्कि समस्त प्रकार की दासता से मुक्ति है।"¹⁰



एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा, “स्वराज अनवरत श्रम और पर्यावरण की बुद्धिमानी से परिपूर्ण सराहना का फल होगा”।¹²

सफाई महान आनंद का कार्य

गांधीजी ने अहिंसात्मक जीवन को ईश्वर की आराधना, सत्य के सबसे बेहतर साधन के रूप में देखा। उन्होंने जीवन की सेवा के प्रत्येक कार्य को ईश्वर के मार्ग के रूप में देखा। उन्होंने स्वच्छता को शुद्धता के कार्य के रूप में देखा और अपार आनंद प्राप्त किया।

गांधीजी के सचिव प्यारेलाल इस बारे में नोआखली का एक रोचक किस्सा सुनाते हैं, जहां गांधीजी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए उसके कोने-कोने में जा रहे थे। वे लिखते हैं, “यहां तक कि नोआखली के लिए भी वह ओस से बेहद गीली रात थी और जिस संकरे फुटपाथ पर गांधीजी को चलना था उस पर बहुत फिसलन थी जब वे 19 जनवरी, 1947 को बादलकोट से अटाकरा रवाना हुए। मुश्किल कूच करने के आदी कर्नल जीवन सिंह दो बार संतुलन खो बैठे और लड़खड़ा गए। गांधीजी ने हंसते हुए उनकी ओर अपनी लाठी का दूसरा सिरा बढ़ाया, ताकि वे फिसलन भरी ढलान से उठ सकें।

फुटपाथ बहुत संकरा था इसलिए उनके दल के लोग एक-एक करके ही आगे बढ़ सकते थे। अचानक इस टुकड़ी को रुकना पड़ा। गांधीजी कुछ सूखी पत्तियों की सहायता से फुटपाथ से मल हटा रहे थे। कुछ साम्प्रदायिक शरारती तत्वों ने फुटपाथ को फिर से गंदा कर दिया था। मनु ने पूछा, “आपने मुझे क्यों नहीं करने दिया? आपने हम सभी को इस तरह शर्मसार क्यों किया? गांधीजी ने हंसते हुए कहा, “तुम उस आनंद के बारे में नहीं जानती, जो ऐसे काम करके मुझे प्राप्त होता है।”¹³

ग्राम राज्य

गांधीजी का मानना था कि समस्त प्राथमिक उपज, अन्न का केंद्र गांव, “भारत का हृदय है।” गांवों के जीवन में भारत का जीवन है। इसलिए उन्होंने हिंद-स्वराज-इंडियन होम रूल की बराबरी ‘ग्राम राज्य’ से की।

स्वतंत्र भारत के ग्रामों की कल्पना करते हुए गांधीजी ने कहा, “उस गांव को उन्नत माना जाएगा, जहां उसकी प्रत्येक जरूरत के उत्पादन के लिए हर प्रकार के ग्राम उद्योग हों, जहां कोई निरक्षर नहीं हों, जहां की सड़के साफ हों, जहां शौच के लिए निर्धारित स्थान हों और जहां के कुएं साफ हों।.....”¹⁴

गांधीजी ने प्रस्ताव किया, “एक आदर्श भारतीय गांव का निर्माण इस रूप में किया जाएगा, कि वह अपने यहां पूरी तरह सफाई रख सके। उसके मकानों में पर्याप्त रोशनी और हवा होगी

और उनका निर्माण पांच मील के दायरे में मिलने वाली सामग्री से किया जाएगा।¹⁵

स्वच्छता के मामले का जवाब

सफाई की तकलीफों के जवाब में उन्होंने पेशकश की, “प्रत्येक गांव में एक स्थान पर बेहद सरस्ते शौचालय (फ्लश वाले टॉयलेट) बनवाए जाने चाहिए।¹⁶

इस पूरे विषय (स्वच्छता) का अन्वेषण नहीं किया गया है, यह व्यवसाय, बेहद स्वच्छ है, यह शुद्ध है, जीवनरक्षक है। हम लोगों ने ही इसे तुच्छ बनाया है। हमें इसे इसके वास्तविक दर्जे तक उठाना होगा।

गांधीजी ने सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रम को एक ही सिक्के के दो पहलू करार दिया, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं। गांधीजी ने रचनात्मक कार्यक्रम के बीच एक अटूट सम्पर्क कायम किया, जैसे स्वच्छता और स्वाधीनता संग्राम देशभर में जाहिर था। शौचालय की सफाई और “स्वच्छता का कार्य सत्याग्रही की योग्यता बन गए।” हरेक जनसभा में, चाहे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान हो अथवा सामाजिक सुधार की पहल हो, बैठक में ‘गांव की सफाई’ एक अपरिहार्य शुरुआत होती थी।

असंख्य संस्थानों ने गांधीजी के आह्वान को स्वीकार किया और ‘सफाई’ अभियान शुरू किया। ऐसा ही एक संस्थान अहमदाबाद का ‘सफाई विद्यालय’ था, जिसने इसे निष्ठापूर्वक अपनाया जो उल्लेखनीय है।

मैला ढोने वालों के नाम से जाना जाने वाला एक भारतीय वर्ग पीढ़ियों से पुराने किस्म के बॉस्केट टाइप (पानी रहित) शौचालयों से मल उठाने का काम करता आ रहा था और इसलिए उन्हें नीची निगाह से देखा जाता था। गांधीजी इन लोगों की पीड़ा से बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगता था इन लोगों को समाज में बिल्कुल निम्न समझा जाता है, जबकि वे सामुदायिक सफाई और स्वास्थ्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं।

गांधीजी की दृष्टि का अनुसरण करते हुए मैला ढोने वालों को इस तरह के कार्य से मुक्ति दिलाने के लिए हरिजन सेवक संघ ने 1963 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती गांधीजी आश्रम में सफाई विद्यालय की स्थापना की।¹⁷ सफाई विद्यालय के प्राथमिक उद्देश्यों में : सफाईकर्मियों और मैला ढोने वालों का उत्थान, ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार शामिल थे।

निष्कर्ष

गांधीजी ने सत्य की ईश्वर और अहिंसा की शैली के रूप में उपासना की। यह ‘जीवन जीने की शैली’ है। शैली और लक्ष्य

के बीच गांधीजी का कहना था, क्योंकि पहले वाला मेरे नियंत्रण में है, इसलिए मैं व्यावहारिक रूप से 'शैली' को 'अंत' से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। उन्होंने कहा, 'अगर आप 'साधनों' का ध्यान रखेंगे, तो अंत का ध्यान स्वतः ही रखा जाएगा।' इस मायने में, एक राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर गौरव की ओर बढ़ने वाले भारत को खुद को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाने के तरीके आजमाने होंगे और आखिर में 'गौरव' उसका अनुसरण करेगा।

उन्होंने कहा, "बसंत का वैभव प्रत्येक वृक्ष में जाहिर होता है, और पूरी पृथ्वी यौवन की ताजगी से भर उठती है। जब स्वराज की भावना समाज में व्याप्त हो गई, तो हरेक वर्ग ऊर्जा से भर उठा"।¹⁸

1. 'बियॉड इकोनॉमिक ग्रोथ : मीटिंग द चैलेंजिस ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट' बुक ऑन लाइन, अक्टूबर 06, 2004, http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/beyondco/beg_01.pdf, पेज 04
2. सीडब्ल्यूएमजी, खंड 13, पेज 213
3. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण, सीडब्ल्यूएमजी, खंड 13, पेज 213

4. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम : इट्स मीनिंग एंड प्लेस, नवजीवन, अहमदाबाद, 1941
5. यंग इंडिया 19/11/1925
6. यंग इंडिया, 19-03-1931, पेज 38
7. आईबिड पेज.212
8. यंग इंडिया, 26-03-1931, पेज 46
9. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण, सीडब्ल्यूएमजी, खंड 13, पेज 213
10. शिक्षण अणु साहित्य, 18-08-1929, 41: 295
11. यंग इंडिया, 12-06-1924, पेज 195
12. यंग इंडिया, 05-01-1922, और यंग इंडिया, 27-08-1925, पेज 297, एमओएमजी पेज 319
13. प्यारेलाल- द लॉस्ट फेज
14. लैटर टू मुन्नालाल शाह, 4-4-1941, 73: 421
15. हरिजन 18-08-1940
16. हरिजन 05-12-1936 64: 105
17. http://www.esi.org.in/about_history.htm
18. हरिजन 18-01-1924 पेज 4

(लेखक गांधीवादी विद्वान और गांधी रिसर्च फाउंडेशन, जलगांव, महाराष्ट्र में एसोसिएट डीन हैं।)
(अनुवाद: रीता कपूर)

खादी खरीदें तो गरीबों के घर पहुंचेगा पैसा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खादी और हैंडलूम के कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम सवा सौ करोड़ देशवासी अगर 5, 10 और 50 रुपये की भी खादी की चीज खरीदें तो यह पैसा बुनकरों के घर में जाएगा। उन्होंने 20 सितंबर, 2015 को आकाशवाणी से प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने ये उद्गार व्यक्त किए।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 3 अक्टूबर, 2014 को प्रसारित 'मन की बात' में खादी खरीदने के उनके आग्रह पर लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पिछले एक वर्ष में खादी की बिक्री करीब-करीब डबल हो गई है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें लोकतंत्र में जनशक्ति की अपार क्षमता का अहसास और अनुभूति हुई। ये उपलब्धि किसी सरकारी विज्ञापन से नहीं हुई और न ही अरबों-खरबों रुपये खर्च करके हासिल हुई।

प्रधानमंत्री ने देश में 30 लाख लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ने को 'मौन क्रांति' करार दिया। उन्होंने कहा कि देश के जिन 30 लाख परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ी दी है, वे अमीर लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, समाज के सामान्य जन, मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग जिनके लिए सब्सिडी छोड़ना मुश्किल काम है, उन्होंने भी इसे छोड़ा।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान में अलवर के एक श्रोता की अपील पर देशवासियों से इस दीपावली पर मिट्टी के दीये जलाने को कहा। उन्होंने पवन का संदेश पढ़कर सुनाया जिसमें उन्होंने पूरे देश की जनता से आह्वान किया है कि दीपावली पर वे अधिक से अधिक मिट्टी के दीयों का उपयोग करें। इससे पर्यावरण को तो लाभ होगा ही साथ ही, हजारों कुम्हार भाइयों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मानता हूँ कि पूरे देश को इस सुझाव पर अमल करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने विशेष करके 2 अक्टूबर के लिए एक बार फिर से देशवासियों से आग्रह किया कि महात्मा गांधी की जयंती पर खादी जरूर खरीदें। उन्होंने कहा- "मैंने गत वर्ष भी कहा था कि आपके पास हर प्रकार के फैशन के कपड़े होंगे, हर प्रकार का Fabric होगा, बहुत-सी चीजें होंगी लेकिन उसमें एक खादी का भी स्थान होना चाहिए।" उन्होंने लोगों से दो अक्टूबर से लेकर महीने भर खादी पर चलनी वाली छूट का फायदा उठाने को कहा। उन्होंने खादी के साथ-साथ हैंडलूम को भी महत्व देने की बात कही।

प्रधानमंत्री ने एक छोटे से बालक का संदेश भी पढ़ा जिसमें छोटे बालक ने उन्हें आदेश दिया है कि वे हर जगह, हर गली में डस्टबिन लगावाएं। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आज एक तरफ संसद और एक तरफ इस देश का शिशु दोनों स्वच्छता पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। कमियों के रहते हुए आगे बढ़ाना है....



एक कदम स्वच्छता की ओर

मैला ढोने की कुप्रथा से मुक्ति की आशा

— डॉ. श्रीनाथ सहाय

निर्मल अभियान से ही जुड़ी है सिर पर मैला ढोने जैसी कुप्रथा, और इस कार्य में लगे लोगों की दयनीय व्यथा कथा। गांधी दर्शन में, मैला ढोने वालों को इससे मुक्ति दिलाने, इनके जीवन के उत्थान, उन्नति पर प्रचुर बल दिया गया है।

सुबह-सुबह कुछ महिलाएं अपने घरों से निकल पड़ती हैं, सर पर टोकरी, हाथ में झाड़ू लिए शुष्क शौचालयों की सफाई करने। मलबे को पात्र टोकरी में इकट्ठा कर अपने सर पर रख लेती ये महिलाएं (और पुरुष भी)। आह, कितना दुखद दृश्य है, स्थिति है यह। यह अमानवीय प्रथा ना जाने कब से चली आ रही है, जो आज भी शेष है, विद्यमान है।

इस कार्य में लगे लोगों सम्बन्धी आंकड़ों में काफी भिन्नता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 24 लाख शुष्क शौचालय हैं, लगभग 1,80,657 लोग इस काम में लगे हैं, जिनमें 90 प्रतिशत महिलाएं हैं। राज्यों की दृष्टि से अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां यह प्रथा जारी है। देश के आठ से अधिक राज्य अभी भी मुक्त नहीं हैं। हिंदी-बेल्ट में यह समस्या अधिक है। उत्तर प्रदेश में शुष्क शौचालयों की संख्या सर्वाधिक है। यहां 1,51,370 शुष्क शौचालय हैं। इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम ने अपने सर्वे (2013) में कहा कि इस शहर में मैला ढोने वालों की संख्या 37 है तथा यहां 450 शुष्क शौचालय हैं किन्तु एक गैर-सरकारी संस्था 'सफाई कर्मचारी आंदोलन' के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या 85 है और यहां 1100 शुष्क शौचालय हैं। इस काम में पुरुष, महिलाएं बच्चे सभी लगे हैं। अविकसित क्षेत्रों में सेप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन नहीं है जिनमें मलबे को निपटाने की व्यवस्था हो। ऐसे शुष्क शौचालयों को पलश शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की अनुदान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 506 परिवारों की महिलाएं इस काम में लगी हैं। झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, उत्तराखंड में यह कुप्रथा प्रचलित है। शौचालय साफ करने के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी गंदे कार्य हैं जो इस पेशे से जुड़े लोगों को करने पड़ते हैं। यदि घरों में आधुनिक शौचालयों की व्यवस्था हो भी जाए तो भी तो ये शौचालय सीवर लाइन से जुड़े होते हैं जो आगे चलकर गटर में गिरते हैं। जब गटर का मलबा ऊपर से बहने लगता है तो इनकी सफाई हाथ से करनी होती है और इनका मलबा भी टोकरी में भरकर ढोना पड़ता है, कहीं अन्य स्थान पर गिराने हेतु।

इस पेशे में कार्यरत कर्मचारियों को सांस, अस्थमा, क्षय रोग, पीलिया, खाज जैसी बीमारियां जकड़ लेती हैं। दुर्गन्ध से बचने हेतु ये लोग खुशबूदार तम्बाकू, शराब, ड्रग्स का सेवन प्रारम्भ कर बैठते हैं जो आदत बन जाती है। मैला ढोने जैसा व्यवहार को देख डॉ. वेजवाड़ा विल्सन ने 'सफाई कर्मचारी आंदोलन' नामक संस्था स्थापित की। इसके द्वारा राज्यों, न्यायालयों का विशेष ध्यान इस कुप्रथा के प्रचलन के प्रति आकृष्ट किया गया। इस संस्था ने सन 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में राज्यों तथा रेलवे के विरुद्ध पी. एल. ए दाखिल किया कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए,

छुआछूत दूर हो। सर्वोच्च न्यायालय तथा मानवाधिकार आयोग ने इस समस्या को संज्ञान में लिया। दो बार कानून बनाए गए। इस दिशा में वास्तविक समस्या पुनर्वास की है। इनकी रोजी-रोटी कैसे चले जब तक दूसरा पेशा ना मिल जाए। जाएं तो जाएं कहाँ? राज्यों द्वारा स्वेच्छाकार विमुक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत अनुदान दिए जाते हैं, बैंकों द्वारा भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

नई दिशा के सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विन्देश्वर पाठक ने इन महिलाओं के पुनर्वास हेतु अपनी संस्था 'नई दिशा' से इन्हें जोड़कर एक नई दिशा दिखाई है। इन्होंने अलवर (राजस्थान) में ऐसी महिलाओं के समूह को वैकल्पिक पेशे के रूप में सिलाई-कढ़ाई, अचार-पापड़ बनाना, मेहंदी लगाना तथा विभिन्न सौंदर्योत्प्रेरण आदि में प्रशिक्षित किया। इन महिलाओं को जो पहले मात्र 200-300 रुपये प्राप्त होते थे अब इन्हें 2700 रुपये तक की आय हो जाती है। इस प्रकार राजस्थान के अलवर तथा टोंक में यह प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सिफारिश के आधार पर इन्हें एक से 15 लाख तक का ऋण देने की व्यवस्था है, जिससे ये कृषि, मकान, बच्चों की उच्च शिक्षा का उचित प्रबंध कर सकें।

हमारी सोच सदा से रही है कि मेरे द्वारा की गई गन्दगी कोई अन्य साफ करे। इसी 'सोच' से उपजी हमारी ऊँच-नीच की प्रवृत्ति, छुआछूत की रीति। और इसके निमित्त हमने एक 'सफाई कर्मचारी' जैसे वर्ग का सूत्रपात किया। समाज ने इसे निम्न श्रेणी का दर्ज दिया और अस्पृश्य मान लिया यह अस्पृश्यता उन्हें दूसरा पेशा प्राप्त करने में बाधक रही है। सर पर टोकरी रखने का दर्द इन्हें सदियों से सता रहा है, अब ये महिलाएं स्वयं जागृत हुई हैं और अपने दुःख-दर्द, छटपटाहट का प्रकटीकरण नाटको, गीतों के माध्यम से कर रही हैं, ये महिलाएं मंचों पर उतरने लगी हैं। दिल्ली में विभिन्न राज्यों से आई हुई महिलाओं ने अपने-अपने दर्द का चित्रण-प्रदर्शन किया, जो समान था, एक था, सबकी कहानी एक थी। इनमें अंतर्निहित झलक इन तथ्यों की थी 'सामंती जातिप्रथा, पितृसत्ता, मैला ढोने के मूल कारण हैं। यह 'पेशागत हिंसा' है। मैला ढोने की प्रथा के मूल में दो अभिप्रेरक कारक हैं, एक वैयक्तिक दूसरा सामाजिक। वैयक्तिक कारक हैं, उनकी गरीबी, आर्थिक विपन्नता जो अनिवार्य रूप से प्रेरित करती है इन्हें इस पेशे में बने रहने को, साथ ही इनके दैनिक जीवन की बुरी आदतें भी जिम्मेदार हैं। और समाज अपने हित में इन गरीब लोगों को यह कार्य करने को मजबूर करता रहा है।

इधर, इन दोनों पक्षों की सोच में परिवर्तन आया है। ये लोग भी अपने जीवन-स्तर के सुधार हेतु तत्पर, अग्रसर हैं, और समाज का भी इन्हें ऊपर लाने का प्रयास है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, स्वतंत्रता दिवस पर, लालकिले से अपने प्रथम सम्बोधन में 'स्वच्छ भारत' का आह्वान किया है, बापू को स्मरण करते हुए। अब इस कुप्रथा से विमुक्ति की आशा साफ परिलक्षित होती है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम

—सुबास चंद्र पाल

ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। आर्थिक तंगी झेल रहे ग्रामीण नौजवानों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में खादी ग्रामोद्योग आयोग मील का पत्थर साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से इस विभाग को संवारा जा रहा है ताकि युवा खुद का कारोबार शुरू करके आयोग की योजनाओं के जरिए परिवार का पालन-पोषण कर सकें। इससे जहां बेरोजगारी कम हो रही है वहां देश की तरक्की में चार चांद लग रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग की ओर से करीब सवा सौ से ज्यादा कारोबार ऐसे चलाए जा रहे हैं जो पूरी तरह से गांवों पर आधारित हैं।

महात्मा गांधी कहते थे कि जब तक ग्रामीण भारत में भरपूर रोजगार के अवसर नहीं होंगे तब तक संपूर्ण भारत के विकास की कल्पना अधूरी रहेगी। वह ग्रामीण जीवनशैली में शामिल परंपरागत उद्योगों के पोषण की बात करते थे तो गांव आधारित उद्योग को बढ़ावा देने पर भी उनका जोर था ताकि गांव की जनता अपने ही गांव में अपनों के बीच आत्मनिर्भर बन सके। वास्तव में खादी और ग्रामोद्योग आयोग गांधीजी की इसी विचारधारा की उत्पत्ति है। यही वजह है कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न प्रशिक्षणों के जरिए युवाओं को नए-नए रोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलंबन की राह दिखाई जा रही है। साथ ही कारोबार के लिए बैंकों के जरिए ऋण सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ग्रामीण युवाओं को विशेष रूप से स्वावलंबी बना रहा है। विभाग के इस प्रयास की वजह से

ग्रामीण भारत लगातार तरक्की कर रहा है। विभाग की ओर से गांवों में संचालित होने वाले परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण भारत में रोजगार के नए अवसर हासिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं गांवों में चलने वाले परंपरागत उद्योगों को नई दिशा मिली है। कई ऐसे उद्योग भी फिर से जिंदा हुए हैं तो आमतौर पर विलुप्त होते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब नई पहल के जरिए तमाम युवा रोजगार हासिल कर स्वावलंबी बन रहे हैं।

सरकार की ओर से ग्रामीण भारत को स्वावलंबी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। जब गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग स्वावलंबी होंगे तो भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बन सकेगा। क्योंकि जब तक गांवों में गरीबी खत्म नहीं हो जाती है और लोगों के जीवन-स्तर में सुधार नहीं होता है तब तक भारत को विकसित राष्ट्र का दर्जा मिलना संभव नहीं है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण है। गांवों के लघु

एवं कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ऐसे में इनकी अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है। ऐसे में इस आयोग के जरिए जहां ग्रामीण दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है वहीं नई पीढ़ी को अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की राह भी दिखाई जा रही है। केंद्र सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि ग्रामीणों को पर्याप्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं। खेती से जुड़े लोग खेतीबाड़ी के अलावा अन्य रोजगार के जरिए भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, इसके लिए खादी ग्रामोद्योग की ओर विभिन्न तरह से ग्रामीण कारोबार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के जरिए न सिर्फ लोगों को रोजगार मिल रहा है बल्कि ग्रामीण पलायन भी थमा है।





खादी और ग्रामोद्योग की ओर से युवाओं को रोजगार

पिछले दिनों मेक इन इंडिया के तहत केंद्र सरकार की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि हम रोजगार के साथ ही कौशल विकास की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। देश के युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे। इसमें खादी एवं ग्रामोद्योग की भूमिका सबसे बड़ी है। इस संगठन के जरिए देश में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के साथ ही उनकी सामाजिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। इस संस्था के जरिए ग्रामीण इलाके में तैयार होने वाली बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने के साथ ही जनता में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज की भावना पैदा करना है। खादी उत्पादों और खादी कारीगरों का उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 2013-14 तक एक कार्यक्रम लागू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था शिल्पकारों को पुरानी और अप्रचलित हो चुकी मशीनरी और उपकरणों के स्थान पर नवीन और आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाकर खादी उद्योग को प्रतिस्पर्धी, बाजार आधारित, लाभकारी बनाना और खादी के दस्तकारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चरखों और करघा को बदलने के लिए वित्तीय सहायता, सेवा केन्द्र, पैकेजिंग इकाइयां स्थापित कर, बुनाई के लिए तैयार गुच्छे, परीक्षण आदि, उत्पाद विकास, डिजाइन सुधार एवं पैकेजिंग, विपणन सहायता और क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन सहयोग और लेखा सहायता आदि उपलब्ध करवाई गई। 54 संस्थानों ने 2013-14 तक कार्यक्रम का लाभ लिया। खादी उत्पादों और खादी दस्तकारों का उत्पादन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के कार्यक्रम को 2014-15 से पारंपरिक उद्योग पुनरुद्धार कोष कार्यक्रम के साथ संबद्ध कर दिया गया। खादी सुधार और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम का उद्देश्य है खादी क्षेत्र में उत्पादन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना।

खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने देश भर में खादी संस्थानों के लिए कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए दौसा, सुंदरनगर, बिजनौर, कुरुक्षेत्र, मेटापल्ली, कान्हेवली, मुर्शिदाबाद और तिरुवनंतपुरम में मालगोदामों की और आठ केंद्रीय रजत कारखानों (सीएसपी) की स्थापना की है। केवीआईसी की नीतियों के अनुसार अब ये संस्थान वार्षिक ऋण की आवश्यकता की केवल बीस प्रतिशत मार्जिन राशि का भुगतान करके उधार पर इन सीएसपी से कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से चलाए जा रहे खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमियों (एमएसएमई) ने केवीआईसी के माध्यम से इसके दो सीएसपी से बीच निजी-सार्वजनिक भागीदारी की शुरुआत की है ताकि खादी संस्थानों की लागत कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सके। केवीआईसी के माध्यम से भारत सरकार ने खादी ग्रामोद्योग (केवीआई) के उत्पादों के प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके प्रदर्शन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके तहत दस लाख रुपये तक की अधिकतम कीमत वाले केवीआई के सामान के सीधे निर्यात के लिए केवीआई संस्थानों को एफओबी पांच प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाता है।



खादी की मांग की पूर्ति खादी संस्थानों के अलावा निजी संगठनों के जरिए भी हो रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) पिछले तीन वर्षों के लिए खादी संस्थानों से प्राप्त मांग एवं बिक्री के आंकड़ों और 20 फीसदी की सालाना वृद्धि दर के आधार पर उत्पादन लक्ष्य तय करता है। सरकार ने वर्ष 1957 में देश में खादी एवं ग्रामोद्योगों के समग्र विकास एवं प्रोत्साहन के लिए केवीआईसी की स्थापना की थी। केवीआईसी खादी के उत्पादन में बढ़ोतरी समेत खादी क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाएं लागू करता है, जिनमें बाजार विकास सहायता (एमडीए) देना भी शामिल है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से मिली 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से केवीआईसी खादी क्षेत्र के लिए एक व्यापक सुधार पैकेज भी लागू कर रहा है। खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली ने 13 अप्रैल, 2015 को खादी ग्रामोद्योग भवन के 60वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कुर्ता-पायजामा प्रदर्शनी का आयोजन किया। 13 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2015 की अवधि में खादी ग्रामोद्योग की कुल बिक्री में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 60 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई। सिले-सिलाए वस्त्रों की बिक्री में रिकॉर्ड 86 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। प्रदर्शनी के दौरान महिलाओं और युवाओं द्वारा की गई खरीदारी उल्लेखनीय रही और एक लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद खरीदे।

खादी ग्रामोद्योग को सात समूहों में बांटा गया है। इन समूहों के तहत अलग-अलग कारोबार निर्धारित किए गए हैं। इसमें ज्यादातर ऐसे कारोबार हैं, जिन्हें कम स्थान और कम लागत में चंद लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं इसमें लगने वाली लागत भी बैंक की ओर से मुहैया कराई जाती है। इकाई स्थापित करने वालों को बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैंक से लिया गया लोन जिस उद्देश्य से लें, उसी में खर्च करें। नियमानुसार किस्तें जमा करके दूसरे बेरोजगारों को भी रोजगार हासिल करने का अवसर प्रदान करें। एक कारोबारी की ओर से लोन जमा कर देने की स्थिति में वहीं पैसा दूसरे बेरोजगार को कारोबारी के रूप में स्थापित करता है।

वास्तविकता यह है कि खादी ग्रामोद्योग के जरिए लोगों में स्वावलंबन की प्रवृत्ति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण सामुदायिक भावना पैदा करने के साथ ही खादी ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण इलाकों में गैर-कृषि रोजगार सृजन के सतत स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर कार्य कर रहा है। यह कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शोध और विकास, विपणन इत्यादि के क्षेत्र में सक्रिय रहता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के साथ ही स्वयं के रोजगार अवसर जुटाने में सहायता करता है। इसका मूल उद्देश्य ही है कि ग्रामीण इलाके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया जाए। ग्रामीण इलाके में लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित कर गांवों में तैयार होने वाले उत्पाद को प्रोत्साहित किया जाए। खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्य, खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 (1956 के 61) के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप हैं। इनमें खादी और ग्रामीण उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक या उनके काम कर रहे व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उन्हें आयोजित करना शामिल है। साथ ही हाथ से सूत कातने या खादी के उत्पादन या ग्रामीण उद्योगों में लगे लोगों या उत्पादन कार्य में लगाए जाने वाले लोगों के लिए आयोग द्वारा तय माल उपलब्ध कराने, प्रसंस्करण, हथकरघा उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ाने के लिए बाजार की एजेंसियों से आवश्यकतानुसार संपर्क स्थापित करना आदि शामिल है।

निर्यात में अहम भूमिका

केवीआईसी न सिर्फ ग्रामीण इलाके में स्वरोजगार के साधन विकसित कर रहा है बल्कि गांवों में तैयार होने वाले उत्पादों के निर्यात में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 16.07 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर सका है। केवीआईसी को केवीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्यात प्रोत्साहन परिषद का मानद दर्जा प्रदान किया गया है। यह केवीआई क्षेत्र के लिए

निर्यात के अवसर पैदा करने का एक बड़ा प्रयास साबित हो रहा है। इसी के तहत बंगलुरु, गुवाहाटी और नगालैंड में कई खादी प्लाजा बनाये जा रहे हैं। इसके साथ ही देश में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले आयोजित कर ग्रामीण भारत के उत्पादों को बड़े पैमाने पर बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण रोजगार के लिए खादी ग्रामोद्योग की परियोजनाएं — खादी ग्रामोद्योग के तहत ग्रामीण इलाके में परियोजनाएं लगाने के लिए गांवों से जुड़े कारोबार का निर्धारण किया गया है। इसे सात समूहों में बांटा गया है। इन सात समूहों में जिस भी उद्योग को ग्रामीण करना चाहते हैं, उसके बारे में जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय में समय-समय पर साक्षात्कार भी आयोजित किए जाते हैं। आवेदन के साक्षात्कार के बाद चयनित लाभार्थियों को बैंक की ओर से ऋण मुहैया कराया जाएगा। फिलहाल खादी ग्रामोद्योग सात समूहों के जरिए करीब 115 परियोजनाएं स्थापित करने में ग्रामीणों की मदद कर रहा है। इन परियोजनाओं के संचालन के बारे में बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं—

खनिज आधारित उद्योग — इसमें करीब 15 तरह के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इसके तहत चूना पत्थर और चूना उत्पाद उद्योग, मंदिरों और भवनों के लिए पत्थर की कटाई, नक्काशी तथा खुदाई, पत्थर से बनी हुई उपयोगी वस्तुओं, स्लेट और स्लेट पेंशन निर्माण, प्लास्टर आफ पेरिस का निर्माण आदि शामिल हैं।

वन आधारित उद्योग — हाथ कागज उद्योग, कत्था निर्माण, गोंद निर्माण, लाख निर्माण, कुटीर दियासलाई उद्योग, पटाखा उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बांस एवं बेंत कारोबार, कागज की तश्तरी, झोले-डिब्बे आदि उद्योग, लिफाफा उद्योग, कॉपी जिल्दसाजी, खतपट्टी, झाड़ू, फोटो जड़ना, जूट उत्पाद, रेशा आधारित उद्योग।

कृषि आधारित और खाद्य उद्योग — अनाज, दाल, मसाला, चटपटे मसाले आदि प्रशोधन, पैकिंग और विपणन, ताड़गुण, ताड़ उत्पाद उद्योग, गन्ना गुड़, खंडसारी, मधुमक्खी पालन, अचार सहित विभिन्न फलों का मुरब्बा, सब्जी प्रशोधन, धानी तेल उद्योग, नारियल जटा रेशा, जड़ी-बूटी संग्रह, मकई और रागी प्रशोधन, मज्जा चटाइयों और काजू प्रशोधन, दोना बनाना, नूडल्स, विद्युत चालित आटा चक्की, दलिया निर्माण, चावल छिलका उतारने की छोटी इकाई, भारतीय मिष्ठान निर्माण, भारतीय रसवंती गन्ना रसपान इकाई में थाल तेल, दुग्ध उत्पाद निर्माण इकाई, पशु चारा, मुर्गी चारा निर्माण।



बहुलक और रसायन आधारित उद्योग

चर्मशोधन, खाल व त्वचा से संबंधित उद्योग, कुटीर चर्म उद्योग, कुटीर साबुन उद्योग, रबड़ वस्तुओं का निर्माण, रैक्सिन के बने उत्पाद, हाथीदांत, सींग उद्योग, मोमबत्ती, कपूर और मोहर आधारित उद्योग, प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग, बिंदी निर्माण, मेहंदी निर्माण, इत्र निर्माण, शैंपू निर्माण, केश तेल निर्माण, डिर्टजेंट्स और धुलाई पाउडर।

इंजीनियरिंग और गैर-परंपरागत ऊर्जा

बढ़ईगिरी, लोहारी, अल्युमिनियम के घरेलू बर्तन, गोबर गैस उत्पादन, कागज, पिन, क्लिप, पिन आदि का निर्माण, सजावटी बल्ब, बोतलें, गिलास आदि का निर्माण, छाता उत्पादन, सौर व पवन ऊर्जा उपकरण, हस्तनिर्मित पीतल के बर्तन का निर्माण, रेडियो निर्माण, कैसेट प्लेयर, कैसेट रिकार्डर, स्टेपलाइजर निर्माण, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक्स, घड़ियां निर्माण, तार व लोहे की झंझरी, ग्रिल, ग्रामीण यातायात के साधन, कृषि यंत्र, साइकिल रिक्शा का निर्माण, संगीत के साजो-सामान का निर्माण आदि।

इस तरह देखा जाए तो केंद्र सरकार की ओर से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जरिए हर वर्ग को रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक लघु एवं कुटीर उद्योग के मामले में करीब 85 फीसदी लोगों तक खादी एवं ग्रामोद्योग की पहुंच है। इन ग्रामोद्योगों के जरिए लोग स्वावलंबी बन रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिल रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग के जरिए महिलाएं विभिन्न तरह के कारोबार से जुड़ रही हैं। इन महिलाओं को पैसे के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता है। वे खादी ग्रामोद्योग में आवेदन करके बैंकों के जरिए ऋण प्राप्त कारोबार शुरू कर स्वावलंबी बन रही हैं।

खादी ग्रामोद्योग के लिए चलाए जा रहे प्रोत्साहन कार्यक्रम

खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में विकास की संभावनाओं की पूर्णतया पहचान करते हुए सरकार ने केवीआईसी (खादी ग्रामोद्योग आयोग) और एशियाई विकास बैंक की सहायता से समग्र खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) शुरू किया है। केआरडीपी खादी को ज्यादा टिकाऊ बनाने, रोजगार और आमदनी में वृद्धि, कारीगरों के सशक्तिकरण और बेहतर आमदनी के जरिए उनके बेहतर कल्याण तथा चुनिंदा परंपरागत ग्राम उद्योगों के विकास के साथ खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में नए सिरे से प्राण फूंकने पर बल देता है। यह कार्यक्रम 300 चुनिंदा खादी संस्थाओं द्वारा तीन वर्ष की अवधि में लागू किया जाना था। मार्च 2010 में केवीआईसी (खादी ग्रामोद्योग आयोग) को 96 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी होने के साथ ही शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम के तहत सुधार कार्यान्वित कर रही प्रत्येक खादी संस्था (केआई) को निर्धारित सुधार संबंधी गतिविधियां चलाने के लिए करीब एक

करोड़ 19 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कच्चे माल के उत्पादन से लेकर बेहतरीन गुणवत्ता और कम लागत वाले खादी उत्पादों, कारगर विपणन, बिक्री संबंधी नेटवर्क, बेहतर वस्तु सूची प्रबंध और बेहतर डिजाइनों के रूप में प्रबुद्ध पेशेवर समर्थन से सुधारों की परिकल्पना की गई है। पर्यावरण के अनुकूल परंपरागत उत्पाद वाली खादी की अनूठी ब्रैंड छवि खादी मार्क के विकास के माध्यम से नियंत्रित होगी।

सूक्ष्म, लघु और मझोला उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी लागू किया गया है, जो एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 2008-09 से चलाया जा रहा है। राज्य एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के स्तर पर यह योजना बैंकों के सहयोग से केवीआईसी, राज्य-केंद्रीय क्षेत्रीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्रों के जरिए चलाई जा रही है। प्रत्येक योजना के लिए निर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह देश में खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मझोला उद्यम मंत्रालय ढेर सारे कार्यक्रम चला रहा है।

छूट प्रणाली में सुधार के लिए एमडीए योजना

खादी, हाथ से काते गए सूत से बने वस्त्रों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए गांधी जयंती के समय 108 दिन के लिए ग्राहकों को 20 प्रतिशत छूट मुहैया कराने की सरकार की प्रणाली हुआ करती थी। सरकार द्वारा अतीत में गठित कई समितियों ने पाया कि केवीआईसी के कामगारों और संसाधनों का बड़ा हिस्सा छूट के प्रबंध में लगा रहा, जबकि केवीआईसी का मुख्य कार्य क्षेत्र के विकास पर उपयुक्त योजनाओं और कई अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से अधिक बल देना था।

बाजार विकास सहायता योजना- दस्तकारों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की गई सहायता का 25 प्रतिशत अर्जित करने के अलावा खादी और पोलीवस्त्र के उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए 01 अप्रैल, 2010 से खादी के उत्पादन पर बाजार विकास सहायता योजना शुरू की गई है।

आईएसईसी योजना- ब्याज सब्सिडी योग्यता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) योजना के अंतर्गत खादी संस्थानों के लिए रियायती दरों पर कर्ज (4 प्रतिशत ब्याज दर पर) उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके जरिए खादी संस्थान अपनी माली हालत सुधार सकते हैं।

स्रोत- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट।

(लेखक पंचायती राज विभाग से जुड़े हैं। ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नियमित लेखन कर रहे हैं। प्रमुख अखबारों और समसामयिक पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित।)

ई-मेल : pulsubash91@gmail.com

देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोता खादी ग्रामोद्योग

किसी संगठन की सफलता केवल उनके तुलनपत्रों के योग को देखकर ही परिभाषित नहीं की जा सकती बल्कि इससे भी कि उसने राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान दिया है। ऐसे ही संगठनों में से एक खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खादी और ग्रामोद्योग 21वीं सदी में बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि इसके पर्यावरणानुकूल और प्राकृतिक उत्पाद वैश्विक प्रचलनों के अनुरूप हैं। ग्राहकों की संतुष्टि और बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर हस्तनिर्मित कागज के साथ-साथ शहद की तरह अन्य ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन व विनिर्माण किया जाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए गाँधीजी ने खादी और ग्रामोद्योग की शुरुआत भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक अभिन्न हिस्से के तौर पर की। अखिल भारतीय बुनकर संघ की स्थापना 1925 में की गई और उसके बाद वर्ष 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की आधारशिला रखी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से भारत की ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ और विकसित करना चाहा, और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में इसके लिए आवश्यक प्रावधान भी किए गए। वर्ष 1953 में वाणिज्य मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग मंडल की स्थापना की गई। इसके बाद अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने की दृष्टि से और इसकी निरंतर प्रगति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम को संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया। और इस प्रकार वर्ष 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने

अस्तित्व में आ गया, तथा इसका राष्ट्रीय मुख्यालय मुंबई में बनाया गया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य उद्देश्य बिक्रीयोग्य वस्तुओं के उत्पादन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना तथा आम लोगों में आत्मनिर्भरता पैदा कर ग्रामीण जनता के बीच सम सुदृढ़ सामुदायिक भावना विकसित करना है। अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामीण विकास में लगे अन्य संगठनों/अभिकरणों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं अन्य ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, संवर्धन, व्यवस्थापन एवं कार्यान्वयन का काम करता है। पिछले पांच दशकों से भी अधिक समय से खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने राज्य/विभागीय कार्यालयों तथा राज्य खादी और ग्रामोद्योग मंडलों के सहयोग से पूरे देश में एक विशाल नेटवर्क विकसित किया है। इसके साथ ही 5000 से अधिक पंजीकृत संस्थाओं (गैर-सरकारी संगठन), 7050 से अधिक

खुदरा बिक्री दुकानों के माध्यम से खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का नियोजन, संवर्धन तथा विपणन किया जाता है। पूरे देश में फैले सभी सरकारी बैंकों की 50000 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में भी किया जा रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग 21वीं सदी में बहुत ही प्रासंगिक हैं क्योंकि इसके पर्यावरणानुकूल और प्राकृतिक उत्पाद वैश्विक प्रचलनों के





अनुरूप हैं। ग्राहकों के संतुष्टि और बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर हस्तनिर्मित कागज के साथ-साथ शहद की तरह अन्य ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन व विनिर्माण किया जाता है।

राष्ट्र की शान है खादी

भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन की वर्दी खादी को विशेष सांस्कृतिक एवं नैसर्गिक उत्पाद के रूप में विकसित करने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए खादी के रूप में कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के धागों के मिश्रण से, भारत में हथकरघे पर बुने गए वस्त्रों के उत्पादन पर जोर दे रहा है। आयोग, इसके साथ ही ऑर्गेनिक कॉटन एवं प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देने में लगा है। यही खादी गतिविधियां पूरे देश में बड़ी संख्या में परम्परागत कतिनों एवं बुनकरों के रोजगार एवं आमदनी का जरिया बनी हुई हैं। खादी कार्य में संलग्न 80 प्रतिशत से अधिक कारीगर महिलाएं हैं।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम में लोगों से खादी वस्त्र एवं उत्पादों का प्रयोग करने की अपील की थी, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में खादी की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। खादी उत्पादों की डिजाइन गुणवत्ता के लिए फैशन डिजाइन कालेजों के छात्र-छात्राओं के माध्यम से युवा महोत्सव आदि आयोजित किए जा रहे हैं। खादी उत्पादों विशेषतः खादी डेनिम जीन्स, स्कर्ट, जैकेट आदि में एन.आई.एफ.टी. के माध्यम से सुधार किया जा रहा है।

ग्लोबल खादी ब्राण्ड बनाने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग आयोग उत्पाद नवान्मेष एवं पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं बिक्री संवर्धन में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहा है। वैश्विक पहुंच के लिए आयोग ने भारत एवं विदेश में मेला प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना शुरू कर दिया है। इसके लिए एक वेबपोर्टल की भी स्थापना की गई है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम एवं योजनाएं

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) आयोग का एक अग्रणी कार्यक्रम है, जो सितम्बर, 2008 में लोकार्पित हुआ। पीएमईजीपी योजना, स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे माल व कौशल का बेहतर उपयोग करते हुए, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को, ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा शहरी क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा रोजगार प्रदान करने की दिशा में 25 लाख रुपये तक के पूंजी निवेश के साथ, सूक्ष्म परियोजनाएं स्थापित करने हेतु एक बेहतर साधन साबित हो रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के अन्तर्गत 25.00 लाख रुपये तक का ऋण और सामान्य वर्ग के लिए 15 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी (मार्जिन मनी) तथा अनु. जाति/जनजाति/महिला/अल्पसंख्यक वर्ग आदि विशेष वर्ग के लिए सब्सिडी (मार्जिन मनी) 25 से 35 प्रतिशत तक दी जाती है। उद्यम लगाने हेतु सामान्य वर्ग के लिए स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा विशेष वर्ग के लिए स्वयं का अंशदान 5 प्रतिशत रखा गया है।

कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक इसने 82 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की है। देश के अन्य लोगों के बीच यह योजना काफी लोकप्रिय है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कुल विकास में देश की अकेली यह योजना है, जो रोजगार की समस्या हल करने में सबसे कारगर बनकर उभरी है।

जहां तक पीएमईजीपी योजना के कार्यनिष्पादन की बात है, अब तक देश में इसके अंतर्गत 332959 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। इसने 6609.15 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी (सब्सिडी) के साथ 28.48 लाख लोगों को रोजगार दिया है। पीएमईजीपी योजना के तहत स्थापित यह नए उद्यम सही मायने में सरकार के "मेक इन इंडिया" अभियान को साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमी कम पूंजी में अपना उद्यम स्थापित कर अपनी उद्यमशीलता और आत्मविश्वास से कम समय में अधिक ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मझोला उद्यम मंत्रालय ने पीएमईजीपी योजना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हाल ही में कई नये कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने रूडसेटी (आरयूडीएसईटीआई) एवं आरसेटी (आरएसईटीआई) के साथ सहयोग करार किए हैं ताकि व्यवहार्य एवं बैकेबल प्रोजेक्ट स्थापित हो सकें और साथ ही उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का उचित कार्यान्वयन हो सके।

सूक्ष्म प्रोजेक्टों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने देश में 2.00 लाख प्रोजेक्ट की औसत मार्जिन मनी वाले प्रोजेक्ट के लिए आबंटित राज्यवार लक्ष्य के सापेक्ष हर जिले में 75 प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

विपणन विकास सहायता (एमडीए)

खादी के विकास के लिए प्रोत्साहन सहायता के रूप में छूट प्रणाली के स्थान पर 01.04.2010 से खादी एवं पॉलीवस्त्र के उत्पादन के लिए एमडीए योजना शुरू की गई है। एमडीए पर 20 प्रतिशत की दर से खर्च किया जाना है। एमडीए राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा कतिनों एवं बुनकरों को सीधे प्रोत्साहन राशि (बोनस) के रूप में दिया जाता है, जिससे खादी शिल्पकारों की आय में वृद्धि हुई है तथा उनके जीवन-स्तर में सुधार हुआ है। एमडीए

राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा, खादी संस्थाओं द्वारा 30 प्रतिशत उत्पादन के लिए तथा 45 प्रतिशत विपणन संबंधी कार्यों के लिए जैसे क्षमता निर्माण, बुनियादी ढांचे का निर्माण, कुशलता उन्नयन, बिक्री छूट आदि प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है।

खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)

खादी क्षेत्र के महत्व को समझने के लिए इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कारीगरों के उपार्जन में वृद्धि एवं वर्तमान बाजार की आवश्यकताओं से तालमेल कर खादी क्षेत्र में सुधार हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता है। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) की शुरुआत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से सूक्ष्म, लघु एवं मझोला उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई, जो इस दिशा में सही प्रयास है। ग्रामीण भारत में रोजगार के व्यापक अवसरों के प्रसार हेतु खादी उद्योग को पुनर्जीवित करना अपेक्षित है जिसका उद्देश्य खादी की स्थिरता, कारीगर कल्याण एवं ग्रामीण भारत में रोजगार वृद्धि के अवसरों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति/नीति स्तर में सुधार एवं, संस्थागत सुधारों के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग का पुनर्जीवित करना है।

वर्ष 2014-15 में खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के तहत प्रमुख उपलब्धियां

सीधे सुधार सहायता के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 145 खादी संस्थाओं का लेखा-परीक्षा (ऑडिट) किया गया और 69 खादी संस्थाओं के लिए सीधे सुधार सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई। 38 खादी संस्थाओं में पूर्व में ही इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की शुरुआत हो चुकी है। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के तहत पर्वतीय, सीमान्त एवं नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत 100 खादी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने का निर्णय किया गया है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत सहायता में विस्तार करने हेतु 53 खादी संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम की विस्तृत क्षमता विकास योजना के अन्तर्गत 97 प्रशिक्षण प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया एवं 2689 कारीगरों को दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, खादी तकनीकी अधिकारियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा उपायों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लिंग आधारित प्रवाह (जेंडर मैन्स स्ट्रिमिंग) पर प्रशिक्षण के लिए आयोग के 4 पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

आयोग ने इस कार्यक्रम के तहत सोलर चरखा, ई-चरखा, खादी डॉबी लूम एवं खादी मार्क का विकास किया है। इससे कारीगरों का भविष्य अधिक बेहतर होने के साथ उनके कामों में सुधार होगा।

खादी मार्क : खादी मार्क का विकास आयोग के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह मार्क, खादी को लम्बे समय से प्रतिक्षित पहचान देगा, साथ ही खादी उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी कर, ग्राहकों को उत्पादों की शुद्धता एवं प्रमाणिकता का भरोसा दिलाएगा। खादी मार्क, 2013 के अन्तर्गत कोई भी संस्था अथवा व्यक्ति जो खादी अथवा उत्पादों की बिक्री, खादी अथवा खादी उत्पादों के कार्य में लगे हैं यदि वे खादी अथवा खादी उत्पादों में इस विनियम के अंतर्गत जारी खादी मार्क अथवा लेबल अथवा स्टीकर का उपयोग नहीं करते हैं, वे खादी अथवा खादी उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकते हैं।

सोलर चरखा: सोलर चरखे के विकास से न केवल आसानी से कताई की जा सकेगी बल्कि कत्तिनों को उचित आय प्राप्त होगी। यदि स्वसहायता समूहों के माध्यम से सोलर चरखे पर कारीगरों द्वारा कताई की जाती है तो इससे बगैर कठिन मानव श्रम के एक उद्योग के रूप में परंपरागत कताई कार्य करने में सहायता मिलेगी।

पारंपरिक उद्योगों के पुनःसृजन हेतु निधि की योजना

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत संशोधित 'स्फूर्ति' योजना का उद्देश्य है:

- परम्परागत उद्योगों एवं कारीगरों को क्लस्टर में संगठित करना ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और बड़े स्तर पर लाभ और दीर्घकालीन निरंतरता प्रदान की जा सके।
- परम्परागत उद्योगों को अधिक बाजारोन्मुखी होने के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और परम्परागत उद्योगों से जुड़े कारीगरों एवं ग्रामीण उद्यमियों के लिए प्रभावी उत्पादन एवं शाश्वत रोजगार।
- नए उत्पादों, डिजाइन हस्तक्षेप एवं बेहतर पैकेजिंग के लिए मदद देकर इस तरह के क्लस्टर के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाना और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना।
- प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन विजिट के जरिए कौशल एवं क्षमता में सुधार लाने के साथ क्लस्टर के परम्परागत कारीगरों को तैयार करना।
- कारीगरों के लिए समान सुविधाएं, उन्नत औजार एवं उपकरण प्रदान करना।
- हितग्राहियों की सक्रिय भागीदारी से क्लस्टर प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाना ताकि वे भावी चुनौतियों एवं अवसरों को पहचानने और उसी तरीके से उसका समाधान ढूंढने में सक्षम हो सकें। अभिनव एवं परंपरागत कुशलता, उन्नत तकनीक, एडवांस प्रक्रियाएं, इंटेलिजेंस एवं पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के नए मॉडल का निर्माण करना ताकि धीरे-धीरे

कलस्टर आधारित परम्परागत उद्यमों का समान मॉडल स्थापित किया जा सके।

इस संशोधित स्फूर्ति योजना के तहत तीन प्रकार के कलस्टरों की स्थापना की जानी है:— (अ) पारम्परिक कलस्टर (ब) वृहद कलस्टर, (स) लघु कलस्टर, जिनमें कारीगरों की संख्या प्रति कलस्टर क्रमशः 1000 से 25000, से 1000 एवं 500 तक रखी गई है।

संशोधित स्फूर्ति कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु

ऑनलाइन मैनेजमेंट एवं मॉनीटरिंग के लिए वेब आधारित मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। पूरे कलस्टर में क्रॉस-थिमैटिक सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए टी.ए. की संलग्नता को और अधिक वास्तुपरक एवं पारदर्शी बनाना, स्तरीय अनुमोदन की शुरुआत, सैद्धांतिक एवं अंतिम अनुमोदन।

सैद्धांतिक अनुमोदन, अनुमोदन की तिथि से 6 माह के लिए वैध होगा और उसके पहले यह उम्मीद की जाती है कि अंतिम अनुमोदन के लिए परियोजना की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। नोडल एजेंसी द्वारा सर्वाधिक समीक्षा की जाएगी। एनए, एनएससी द्वारा विधिवत अनुमोदित एक अनुकूल मॉनीटरिंग सिस्टम तैयार करेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मझोला उद्यम मंत्रालय भी नियमित रूप से योजना के तहत परियोजना की प्रगति की सावधिक समीक्षा करेगा।

खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना

आयोग ने उत्पादन तथा कारीगरों की आय में वृद्धि करने और आसानी से थकानरहित कार्य करने के लिए कारीगरों को पर्याप्त और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य बेहतर परिवेश में घरेलू पूनी, कच्ची सामग्री, उपकरण एवं साधन इत्यादि के रखरखाव हेतु अधिक भंडारण और कार्यस्थल प्रदान करने के साथ-साथ कारीगरों की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता करना है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत वर्कशेड के लिए 45000 रुपये और सामूहिक वर्कशेड सहायता हेतु प्रति कारीगर 30,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अब तक 89.02 करोड़ रुपये के संवितरण के साथ 31,704 खादी कारीगर लाभान्वित हुए हैं।

खादी कारीगरों के लिए कल्याणकारी मापदण्ड एवं सामाजिक सुरक्षा

आम आदमी बीमा योजना: आम आदमी बीमा योजना (खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना), खादी कारीगरों के लिए एक सामूहिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु, अथवा स्थायी/पूर्ण अशक्तता, स्थायी/आंशिक

विकलांगता को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक लाभ (शिक्षा सहयोग योजना) के तहत खादी कारीगरों के दो बच्चों, जो कक्षा 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे हैं, जिसमें आई. टी.आई. भी शामिल हैं, प्रति तिमाही 300 रुपये की छात्रवृत्ति के पात्र हैं। खादी क्षेत्र के लगे कारीगरों के स्वास्थ्य पहलू के मद्देनजर, आयोग ने दूसरे असंगठित क्षेत्रों की तर्ज पर खादी कारीगरों के लिए स्वास्थ्य लाभ बीमा योजना अपनाने का निर्णय लिया है।

आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ-साथ भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आदि को खादी कारीगरों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

उद्यमिता और कौशल विकास

आज के तेजी से बढ़ते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में, प्रौद्योगिकी पूर्व से भी कहीं ज्यादा अनिवार्य हो गई है। इसका विकास एवं समावेशन राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास के मूल अवयव हैं। यह भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में भी अधिक संगत है, जहां प्रौद्योगिकीय विकास और रोजगार सृजन एक साथ करने होते हैं। इस प्रकार, सूक्ष्म एवं मझोला उद्यम मंत्रालय, जिसके पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास के लिए समस्त अधिदेश हैं, वह उद्योग द्वारा कुशल जनशक्ति की आवश्यकता पूरा करने के लिए युवाओं में उद्यमिता एवं कौशल विकास का संवर्धन करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चला रहा है। यह कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आयुक्त कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, कॉयर बोर्ड तथा मंत्रालय के अधीनस्थ बहुत से दूसरे संगठनों के अधीन राष्ट्रव्यापी स्थापना नेटवर्क के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं।

इन कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत परम्परागत ग्रामीण उद्योगों के साथ-साथ पीएमईजीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में बेरोजगार युवाओं की उद्यमिता पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण गुणवत्ता को सुधारने के लिए ठीक समय पर ऑनलाइन मॉनीटरिंग, पाठ्यक्रमों का मानकीकरण, कार्यशालाओं का उन्नयन तथा कार्यशाला आधारित पाठ्यक्रमों पर केन्द्रबिन्दु जैसी कार्यनीतियां मंत्रालय द्वारा अपनायी जा रही हैं।

इसके साथ ही आयोग ने भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के तहत देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया के साथ कदमताल करते हुए फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से जनता से संवाद शुरू किया है।

(पसूका से साभार)

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2015

अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें:

Visit- <http://bit.ly/1NR3aNY>

Get up-to **25%** discount

Use code **UPSC_15**



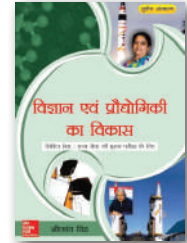
9789339222710
मूल्य: ₹ 550/-



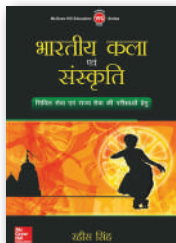
9789339217754
मूल्य: ₹ 450/-



9789339204204
मूल्य: ₹ 525/-



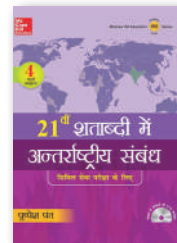
9789339220341
मूल्य: ₹ 400/-



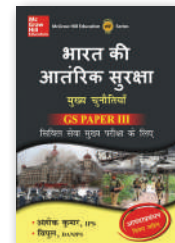
9789339219079
मूल्य: ₹ 225/-



9789339217730
मूल्य: ₹ 310/-



9789339214128
मूल्य: ₹ 425/-



9789339219093
मूल्य: ₹ 165/-



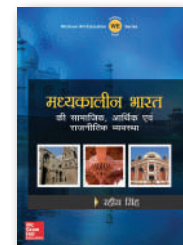
9780070144842
मूल्य: ₹ 215/-



9780070221758
मूल्य: ₹ 340/-



9780070660328
मूल्य: ₹ 240/-



9789339222727
मूल्य: ₹ 225/-

आई एस बी एन	लेखक	शीर्षक	मूल्य
9780070264205	एस एस पांडे	समाज शास्त्र: सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए	450
9780070144866	एन अरोडा	राजनीति विज्ञान: सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए	695
9780070144859	डी आर खुल्लर	भूगोल सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए	715
97893383286973	पुष्पेश पंत	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	215
9780070659988	अशोक दुबे	प्रशासनिक विचारधाराएं	245

अनूठा पारंपरिक हस्तशिल्प टेराकोटा

—हेना नक्वी

इस वर्ष 15 जुलाई को जब हमने विश्व युवा कौशल दिवस मनाया, तो परिवर्तन की झलक साफ दिखाई दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कौशल विकास की नई योजनाओं की घोषणा के साथ ही अब यह उम्मीद बंधी है कि टेराकोटा जैसी मृतप्राय; पारंपरिक कलाएं भी अब जी उठेंगी। आशा है, हमारे 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम से टेराकोटा कलाकारों को नवीन कौशलों के अतिरिक्त नई स्फूर्ति भी मिलेगी जिससे यह कला नई ऊंचाइयों को छू पाएगी। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कारों से सम्मानित चार और राज्य-स्तरीय सम्मान से नवाजे गए पांच कलाकार मौजूद हैं। कलाकारों की नई पौध इस कला को जिन्दा रखने एवं आसमान की नई बुलन्दियों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। वर्तमान में तकरीबन 30 स्वयंसहायता समूह टेराकोटा के माध्यम से जीवनयापन कर रहे हैं।

टेराकोटा एक ऐसा कुटीर उद्योग है, जिसमें शिल्पी की कला का ही महत्व है। इसमें लागत कम है, लेकिन शारीरिक श्रम अधिक है। आधुनिक तकनीक और कौशल के सामंजस्य से यह कला हजारों लोगों को रोजगार के साधन मुहैया करा सकती है। टेराकोटा कला का अस्तित्व हमारे देश के अनेक भागों में मौजूद है जिनमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, असम के धुबरी, प. बंगाल के कुछ जिले, छत्तीसगढ़ का बस्तर, गुजरात, तमिलनाडु, ओडीशा एवं हरियाणा प्रमुख हैं। इन सभी स्थानों में टेराकोटा कला पर स्थानिकता की छाप महसूस की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रचलित टेराकोटा कला अपनी विविधता के लिए

जानी जाती है। बदलते समय के थपेड़े सहने के बावजूद यहां के टेराकोटा कलाकारों ने परंपरागत रचनात्मकता एवं अभिनव प्रयोगों से इस कला को एक नया जीवन देकर अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया है।

टेराकोटा की उत्पत्ति और विकास

'टेराकोटा' का शाब्दिक अर्थ है — आग में पकी मिट्टी। व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का अर्थ है—पक्की मिट्टी से बने बर्तन। लेकिन बेहतर समझ के लिए टेराकोटा की श्रेणी में आग में पकाए गए मिट्टी के वैसे समस्त छिद्रयुक्त बर्तन, वस्तुएं शामिल हैं जो आग में पक जाने पर प्राकृतिक भूरे-नारंगी रंग के हो जाते हों या उन्हें बाद में रंगा जाए। मौजूदा समय में टेराकोटा की शृंखला में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं, सजावटी सामानों से लेकर गुलदानों के असंख्य रूप मौजूद हैं।

प्रख्यात उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी और बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर को टेराकोटा के महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्र के रूप में भी जाना जाता है। गोरखपुर के ग्रामीण अंचल में बसे कलाकारों के लिए टेराकोटा जीविका का एक साधन मात्र ही नहीं है, इस कला को कलाकारों की पीढ़ियां जी-जान से सींचती आ रही हैं। बारीकी वाले काम से सुसज्जित टेराकोटा की कलाकृतियां कारीगरी का बेहतरीन नमूना हैं। इस क्षेत्र में टेराकोटा की एक धार्मिक परम्परा भी है। मनौतियां पूरी होने पर टेराकोटा के हाथी व घोड़े देवी-देवताओं को चढ़ाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। टेराकोटा के भगवान गणेश, गोरखपुर





बौद्धकाल में इस कला ने खूब उन्नति की। विडंबना ही है कि आज भारत में केवल कुछ ही गिने-चुने स्थान हैं, जहां टेराकोटा शिल्पकला आज भी जीवित है। बुद्धिस्ट सर्किट के निकट पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला इसका प्रमुख केन्द्र है, जहां सरकार के प्रयासों से यह कला एक बार फिर फल-फूल रही है। समय की मांग के अनुरूप यह कला परंपरा व आधुनिकता के अनोखे मेल के रूप में उभरी है। जिले के एक छोटे से गांव औरंगाबाद में तो टेराकोटा कलाकारों की पांच पीढ़िया बसती हैं। औरंगाबाद के कलाकारों ने इस स्थानीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के अलावा अनेक राज्य व राष्ट्रीय-स्तर के पुरस्कार जीतने तक की उपलब्धियां हासिल की हैं। टेराकोटा के हस्तशिल्प को आज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टिके रहने के लिए संरक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अब जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने “भारत को कौशल की वैश्विक राजधानी” बनाने का दृष्टांत प्रस्तुत किया है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी कई योजनाओं की घोषणा की है, टेराकोटा की ओर भी पर्याप्त ध्यान देने और इसको संरक्षण देने तथा इसके पुनरुद्धार की आवश्यकता है।

व आसपास के क्षेत्रों के लगभग सभी हिन्दू परिवारों में मौजूद होते हैं। यह कला समय के साथ परिपक्व हुई है। समय के अनुरूप इसमें नये आयाम जुड़े हैं और आधुनिक डिजाइनों के समन्वय ने इसे और भी ज्यादा लोकप्रिय एवं आकर्षक बना दिया है। डिजाइनर लालटेन, बिजली के लैम्प, सजीले हुक्के, कॉफी मग आदि कुछ ऐसे ही प्रयोग हैं, जिन्होंने इस कला को प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार में बनाए रखा है।

गोरखपुर के शटहट विकासखंड का एक छोटा-सा गांव औरंगाबाद भले ही कोई मशहूर गांव न हो, लेकिन इसकी गोद में टेराकोटा की कला पली-बढ़ी और परिपक्व हुई है। गोरखपुर शहर से 19 किलोमीटर दूर, गोरखपुर-महराजगंज मार्ग पर स्थित इस गांव में ‘गुदई मिट्टी’ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो कि टेराकोटा का आधारभूत कच्चा माल है। यह गांव टेराकोटा कलाकारों की पांच पीढ़ियों के लिए भी जाना जाता है। इस गांव के टेराकोटा कलाकार गुलाबचन्द ने अपने गांव को उस समय गौरवान्वित किया जब वर्ष 1979 में उनकी कलाकृति ‘महाभारत रथ’ के लिए उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। वर्ष 1980 में इसी गांव के भयामदेव

प्रजापति को ‘सिद्धहस्त शिल्पी’ सम्मान से नवाज़ा गया। लेकिन उसके अनेक वर्षों पूर्व ही उनकी कला को पहचान व सम्मान मिला, जब वर्ष 1966 में उनकी बनाई एक प्रतिमा पर डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया। वर्ष 1966 में इस गांव को एक और सम्मान मिला था जब इसी गांव की श्रीमती सुखराज को उनकी उत्कृष्ट कला के लिए राष्ट्र-स्तरीय सम्मान से नवाज़ा गया। **सम्मान व पहचान की यह परंपरा और आगे बढ़ी जब वर्ष 1982 में गुलाबचन्द को लंदन में आयोजित ‘भारत महोत्सव’ में अपना हुनर प्रदर्शित करने का अवसर मिला। मजे की बात तो यह थी कि इस कार्य के लिए गुलाबचन्द के साथ औरंगाबाद की गुदई मिट्टी के नौ बोरे भी विशेष विमान से लंदन भेजे गए थे।** वर्ष 1983 में औरंगाबाद के एक अन्य कलाकार गब्बूलाल को उनकी कलाकृति ‘सूर्यरथ’ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

इस गांव से सम्मानित हुए कलाकारों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती। शिवशंकर, शिवनन्दन और दीपचन्द जैसे अनेक कलाकार हैं, जिन्हें समय-समय पर राष्ट्र, राज्य व जिला-स्तर के सम्मान मिलते रहे हैं। यही नहीं, ऐसे अनेक अनाम कलाकार भी हैं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से टेराकोटा की कला को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित किया और इसे निर्यात गुणवत्ता वाला बनाया। जिला प्रशासन और अनेक सरकारी संगठनों ने समय-समय पर इस कला को संरक्षण दिया है। हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड, नई दिल्ली की वाराणसी शाखा द्वारा मास्टर ट्रेनरों का एक दल बनाया गया है ताकि इस कला का प्रचार-प्रसार किया जा सके। इन ट्रेनरों ने भटहट विकासखंड के ही सरैया, भरवलिया, गुलरिहा बाज़ार, हसनगंज व हाफिज़नगर जैसे गांवों के अनेक इच्छुक लोगों को इस कला का प्रशिक्षण दिया है। जिला प्रशासन द्वारा





गांव में बारह कक्षों वाली एक कार्यशाला का निर्माण किया गया है जिन्हें गांव के कारीगरों को आवंटित किया गया है ताकि वे अपनी कला को प्रदर्शित करने के साथ-साथ उनका विपणन भी कर सकें।

अनेक सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के माध्यम से भी इस कला को निखरने के पर्याप्त अवसर दिए जाते रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं—राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय का हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2007 में आयोजित जिला-स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में पुरस्कृत दीपचन्द कहते हैं, “हमें अपने काम के लिए बैंकों से ऋण लेने में कोई कठिनाई नहीं होती...। सदियों पुरानी इस कला ने कलाकारों की अनेक पीढ़ियों को रोटी-रोजी देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया है। टेराकोटा उत्पादों की बढ़ती मांग के मद्देनजर ‘सरस’ शोरूमों की स्थापना की जा रही है। हाल ही में औरंगाबाद ग्राम में सौर ऊर्जा से चलने वाले जेनरेटर लगाए गए हैं जिससे कि इस काम में बिजली की कमी से उत्पन्न बाधा को दूर किया जा सके। गोरखपुर जिले के शटहट एवं चरगावा विकासखंडों के लगभग दस गांवों के अधिकांश ग्रामीणजन टेराकोटा आधारित व्यवसाय से जुड़े हैं जबकि इसी क्षेत्र के उच्च शिक्षा प्राप्त अनेक युवक टेराकोटा उत्पादों के निर्यात एवं भारतीय बाजार में उनके विपणन को संभाल रहे हैं।

वर्ष 1982 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित गुलाबचन्द कहते हैं “हमारे बच्चे स्कूलों-कॉलेजों में भी पढ़ते हैं और अपने खाली समय में इस कला को सीखते और हमारा हाथ बंटाते हैं। यह पढ़े-लिखे बच्चे जब पूरी तरह जुड़ेंगे तो इस कला का एक दूसरा ही रूप सामने आएगा...” गुलाबचन्द के पुत्र समरेन्द्र कुमार ने तो इस कला को एक नया ही आयाम दिया है। वे देहरादून के एक विद्यालय में टेराकोटा का प्रशिक्षण देते हैं। उनका कहना है, “हमारे उत्पादों की स्थानीय बाजार में कोई विशेष खपत नहीं है मगर इनकी भारत के अन्य भागों और दूसरे देशों में काफी मांग है...।” केन्द्र और राज्य सरकारों के संरक्षण से इस क्षेत्र में लगे कारीगरों की संख्या और इस शिल्प से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। ‘एसोचेम’ के आकलन के अनुसार भारत से होने वाला कुल शिल्प निर्यात चालू वित्तवर्ष के 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग दुगुना होकर वित्तवर्ष 2020-21 में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। टेराकोटा वस्तुओं का निर्यात भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। फिर भी, कुल हस्तशिल्प निर्यात में इसका हिस्सा अभी काफी कम है।

गोरखपुर के टेराकोटा कलाकारों ने अपनी मेहनत, सृजनशीलता और लगन से आज तक इस कला को आधुनिकता

इतिहास में टेराकोटा



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हाल ही में अपनी चीन यात्रा के दौरान झियान में ‘टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम’ गए। इस संग्रहालय में चीन के प्रथम सम्राट की सेना के सैनिकों, उनके रथ, घोड़ों, साजो-सामान और अनुचरों की टेराकोटा प्रतिमाएं हैं, जिन्हें 209-210 ई.पू. में इस सम्राट के साथ दफना दिया गया था। उनका विश्वास था कि ये मृत्यु के बाद परलोक में सम्राट की रक्षा और सेवा करेंगे।

टेराकोटा के कुछ नमूने ईसा से 10000 वर्ष पूर्व नील नदी के किनारे पाए गए थे। अचम्भित कर देने वाली कुछ टेराकोटा कलाकृतियां मिस्र में 5000 ई. पू. में पायी गयी हैं। काठमांडू घाटी से मिले टेराकोटा के नमूनों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि नेपाल में अब से दो हजार वर्ष पूर्व से ही इसका प्रयोग होता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन स्थलों से बड़ी संख्या में टेराकोटा कलाकृतियां मिली हैं।

मोहनजोदड़ों के उत्खनन में एक वृहद आकार की टेराकोटा की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे अब तक की एक महान खोज माना जाता है।

के थपेड़ों से बचाकर रखा है। कलाकारों की बुजुर्ग पीढ़ी ने आस लगा रखी है कि उनके बच्चे पढ़-लिख कर इस विरासत को बेहतर तरीके से संभालेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित कौशल विकास योजना और ऐसी अन्य केन्द्रीय योजनाओं का लाभ इन मिट्टी के कारीगरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि टेराकोटा का यह शिल्प हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संदेशवाहक बनकर पूरी दुनिया में फैल सके।

(पीटीआई, गोरखपुर में अंशकालिक संवाददाता;
विकास के मुद्दों पर विगत ग्यारह वर्षों से लेखन कार्य)
ई-मेल: hena.nagvipti@gmail.com

ग्रामीण रोजगार और स्वदेशी की प्रतीक खादी

—सुभाष सेतिया

भारत जैसे देश में, जहां परंपरागत कौशल एवं उद्योगों का अथाह भंडार है, खादी जैसे उद्योग के विकास एवं उपयोग की काफी संभावनाएं हैं। खादी की पूरी प्रक्रिया ऐसी है जो बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती है। भारत सरकार ने 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत परंपरागत कौशल को आधुनिक ज्ञान की सहायता से विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है। खादी क्षेत्र 'स्किल इंडिया' योजना से पर्याप्त लाभ उठा सकता है। खादी उद्योग के विस्तार तथा सशक्तीकरण में मुद्रा बैंक भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

गांधी जी कहते थे कि “यदि खादी देश के लाखों लोगों को उपयोगी रोजगार नहीं दे पाएगी तो मेरी नज़र में इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी।” महात्मा गांधी के शब्दों में “खादी मेरे लिए भारत की मानवीय एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता की प्रतीक है।”

गांधीजी खादी को कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी उद्योग मानते थे। वे न केवल अपनी निजी और अपने दल कांग्रेस के लिए बल्कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समानता, आर्थिक उत्थान एवं स्वावलंबन और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी खादी को

प्रासंगिक मानते थे। उन्होंने खादी को देश में, विशेषकर ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन और स्वदेशी धारणा के विस्तार का सुदृढ़ औजार बनाकर इसे आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बना दिया। खादी के इस देशव्यापी महत्व को पहचानते हुए स्वतंत्रता के पश्चात बनी सरकारों ने खादी के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग को बढ़ावा देने के कार्यक्रम तैयार किए। इसी सिलसिले में 1956 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार अगले वर्ष 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया।

1987 तथा फिर 2006 में इस अधिनियम में संशोधन करके आयोग की गतिविधियों का विस्तार किया गया। आयोग बनने से पहले देश में खादी से संबंधित गतिविधियों में समन्वय एवं संचालन का दायित्व अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मंडल संभालता था।

आयोग को ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाएं बनाने तथा उन्हें विकसित व संगठित करने का दायित्व सौंपा गया। आयोग को ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत अन्य एजेंसियों से तालमेल करके खादी के प्रयोग को प्रोत्साहन की दिशा में प्रयास करने का भी काम दिया गया। आयोग खादी के उत्पादन तथा विकास के लिए समर्पित लघु तथा सूक्ष्म या कुटीर उद्योग इकाइयों को वित्तीय सहायता भी देता है। आयोग इन इकाइयों को डिज़ाइन तैयार करने, उत्पादन





एवं बिक्री की नई तकनीकें अपनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय करने जैसी गतिविधियों में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। यह खादी को अधिक आकर्षक तथा टिकाऊ बनाने की दिशा में शोध कार्य भी करता है और शोध के परिणामों को खादी उत्पादन करने वाली इकाइयों तक पहुंचाता है। इस समूचे कार्य व्यापार में इस बात पर बराबर बल दिया जाता है कि गांवों में उपलब्ध स्थानीय एवं परंपरागत कौशल और संसाधनों का इस्तेमाल करके ग्रामीण जनता के लिए अधिकाधिक रोजगार जुटाया जाए तथा उन्हें कम से कम कीमत पर खादी उत्पाद मुहैया कराए जाएं।

इस समय खादी उद्योग तथा उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों में 10 लाख से अधिक ग्रामीण कामगारों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें बुनकर तथा अन्य कारीगर शामिल हैं। आयोग की इकाइयों में 2013-14 के दौरान 811.08 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 2013-14 में इस क्षेत्र में 3.79 लाख लोगों को रोजगार मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों से खादी के वस्त्र पहनने की अपील की। इसके बाद खादी वस्त्रों की बिक्री में वृद्धि होने की खबर है। खादी उत्पादन की इकाइयों को बैंक भी सस्ती ब्याज दरों पर ऋण देते हैं जिसके लिए आयोग सब्सिडी प्रदान करता है। इस प्रकार खादी गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण विकास में भी उपयोगी भूमिका निभाती है।

रोजगार किसी भी देश के आर्थिक विकास का अनिवार्य कारक है। यही कारण है कि पिछली सरकारों की तरह मौजूदा

केंद्र सरकार भी रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर सबसे अधिक बल दे रही है। सच्चाई यह है कि रोजगार की सबसे अधिक आवश्यकता गांवों में है, जहां दो तिहाई आबादी बसती है। हालांकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, किंतु कृषि के मशीनीकरण तथा अन्य अनेक कारणों से कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं निरंतर घटती जा रही हैं। इसलिए रोजगार के लिए लोग गैर-कृषि क्षेत्रों की शरण में जा रहे हैं। गैर-कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 9 प्रतिशत तक पहुंच गया है। देश में कुल श्रमबल का 18 प्रतिशत तथा ग्रामीण श्रम बल का 25 प्रतिशत हिस्सा गैर-कृषि क्षेत्र में है। इस प्रकार गांवों में कुल परिवारों में से एक तिहाई घरों को आमदनी गैर-कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होती है। कृषि के बाद गैर-कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम एवं लघु तथा सूक्ष्म यानी कुटीर उद्योग की इकाइयां ही गांवों में रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। कुल उत्पादन का 45 प्रतिशत मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्योग की इकाइयों में होता है। निर्यात में भी इन इकाइयों का हिस्सा लगभग इतना ही है। इनमें सबसे बड़ा भाग खादी इकाइयों का है। ये सभी तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि गांवों में रोजगार जुटाने में खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है।

असल में गांधीजी ने जब खादी की अवधारणा को एक आदर्श के रूप में लोगों के सामने रखा तो उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि यह देश के अपने संसाधनों तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कौशल के उपयोग से तैयार की जा सकती

है। इसी आधार पर इसे स्वदेशी तथा आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बना कर इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ दिया गया। एक ओर खादी गांवों में लोगों को घर बैठे अर्थोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने लगी तो दूसरी ओर खादी तैयार करना और खादी के वस्त्र पहनना देशभक्ति की पहचान बन गया। यानी 'एक पंथ दो काज'। खादी की तर्ज पर स्वदेशी की परिभाषा हो गई : "उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन एवं इस्तेमाल की दिशा में सतत प्रयास करना।" गांधीजी मानते थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था से भिन्न है। लेकिन वे नई टेक्नोलॉजी अपनाने के खिलाफ नहीं थे। आवश्यकता इस बात की है कि संशोधित और नई टेक्नोलॉजी अपना कर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाए। इसलिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग पिछले 60 वर्षों से स्थायी विकास की राष्ट्रीय नीति तथा समय-समय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास के संबंध में बनाई गई नीतियों के साथ तालमेल बैठाने हुए खादी तथा संबंधित उद्योगों के माध्यम से गांवों में रोजगार जुटाने और उसके जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है।

खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने और इसे नई पीढ़ी की रुचि के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से इस उद्योग से जुड़े कारीगरों में नई सोच और नए डिज़ाइन तैयार करने की क्षमता विकसित करने के लिए आयोग वस्त्र उद्योग क्षेत्र की अन्य पेशेवर संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बुनकरों को परंपरागत डिज़ाइनों में नई रुचियों के अनुरूप संशोधन करने के उपाय बताए जाते हैं और उन्हें खादी उत्पादों की स्वीकार्यता तथा बिक्री बढ़ाने की विधियां समझाई जाती हैं। इस काम के लिए खादी और ग्रामोद्योग ने 76 क्लस्टर विकसित किए हैं जिनमें से 29 खादी के अंतर्गत तथा 47 अन्य ग्रामोद्योगों के अंतर्गत हैं। इन्हें स्फूर्ति क्लस्टर नाम दिया गया है। इन उपायों से बुनकरों को अपनी आय बढ़ाने में भी मदद मिलती है। वर्ष 2013-14 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं तथा अन्य संगठनों के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 92,000 कारीगरों तथा उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया। ज़ाहिर है खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाए बिना इस उद्योग की गतिविधियों तथा रोजगार जुटाने की इसकी क्षमताओं का विस्तार संभव नहीं है। इस उद्देश्य से सभी राज्यों में अधिक से अधिक बिक्री केंद्र खोले जाते हैं और विपणन विशेषज्ञों के परामर्श से बिक्री बढ़ाने के विविध कदम उठाए जाते हैं। इनमें विज्ञापन, विचार गोष्ठियां, सेमिनार,

सरकार ने समावेशी विकास की दिशा में अनेक नई नीतियां व कार्यक्रम घोषित किए हैं। समावेशी विकास का उद्देश्य समाज के उपेक्षित, निर्धन तथा पिछड़े वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाकर उन्हें मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाना है। इसी नीति के अंतर्गत किए गए उपायों में 'मुद्रा बैंक भी शामिल है जो उन संस्थाओं के लिए पुर्नवित्त की व्यवस्था करेगा जो लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों को वित्तीय सहायता या ऋण उपलब्ध कराती है। मुद्रा बैंक से खादी और ग्रामोद्योग भी सहायता ले सकता है। इस प्रकार खादी उद्योग के विस्तार तथा सशक्तीकरण में मुद्रा बैंक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

प्रदर्शनियां तथा फैशन शो शामिल हैं। बिक्री बढ़ाने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विशेष मेले और प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं ताकि खादी उत्पाद लोगों को अपने निकटतम स्थानों पर उपलब्ध हो सकें। ऐसे आयोजनों में तथा दीपावली, नववर्ष या अन्य स्थानीय पर्व-त्योहारों के मौकों पर खादी उत्पादों के मूल्य में विशेष छूट भी दी जाती है।

खादी गांवों के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, यह अब शहरी युवा वर्ग के आकर्षण का केंद्र भी बन रही है। सिल्क खादी तथा पोलिएस्टर खादी जैसे नए रूपों में खादी युवाओं की भी पसंद बनती जा रही है। जैसाकि पहले भी कहा गया है अब खादी के वस्त्र फैशन शो में भी गरिमा के साथ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। गांवों, कस्बों, शहरों तथा महानगरों सब स्थानों पर खादी के वस्त्रों का वर्चस्व बढ़ रहा है। यहां तक कि विदेशों में भी खद्दर के बने परिधानों की मांग बढ़ रही है। इसी के अनुरूप खादी तथा ग्रामोद्योग के अन्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हो रही है।

केंद्र में मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्योगों के लिए अलग मंत्रालय बन जाने से इस क्षेत्र विशेषकर खादी उद्योग के प्रोत्साहन को विशेष गति मिली है। यह मंत्रालय इन उद्योगों से जुड़ी इकाइयों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने के साथ-साथ उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है जिसके फलस्वरूप उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इस मंत्रालय के समर्थन से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग निरंतर अपने कार्यक्षेत्र में विविधता लाकर गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है।

गांधीजी की इस उक्ति से ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में खादी के योगदान का उनका सपना झलकता है : **"खादी की अवधारणा और भी बड़े उद्देश्य के साथ विकसित की गई थी और वह है अपने गांवों को भूख से मुक्त करना।"**

(लेखक भारतीय सूचना सेवा से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं।)

ई-मेल : setia_subhash@yahoo.co.in

ग्रामीण कुटीर उद्योग : बाजार और रोजगार

—शिवानन्द द्विवेदी

ग्रामीण कुटीर उद्योग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके स्थापन के लिए पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं होती अथवा बेहद कम आवश्यकता होती है जो इसकी ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार के अत्यंत व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापना करती है। अगर देखा जाए तो इसके अलावा बड़ी बात ये भी है कि खादी के विकास में ही ग्रामीण समाज के स्वालम्बन की संभावना भी निहित है। अब बड़ा सवाल ये है कि खादी के क्षेत्र में कुटीर उद्योग से रोजगार सृजन एवं ग्रामीण समाज में स्वावलम्बन आदि उपर्युक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किन उपायों पर अमल किया जाना चाहिए एवं इस दिशा में किन-किन स्तरों पर कार्य चल रहे हैं

खादी वस्त्र नहीं विचार है! यह उक्ति खादी के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रचलित रही है। इस उक्ति में दो शब्द प्रमुखता से एवं व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। ये दो शब्द हैं—वस्त्र एवं विचार। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन दोनों ही शब्दों की व्यापक सन्दर्भों में व्याख्या की जा सकती है। चूंकि वस्त्र मानव की भौतिक जरूरत है तो वहीं विचार उसकी सामाजिकता का मूल है। उसके विचार ही उसकी सामाजिक पहचान को स्थापित करते हैं। ऐसे में विचार के स्तर पर खादी

की अवधारणा समाज में जितनी मजबूती से स्थापित होगी, समाज में स्वदेशी भावना का विकास भी उतनी ही मजबूती से होगा। आज के संदर्भ में खादी का दायरा महज वस्त्र अर्थात् तन ढकने वाले एक लिबास तक सीमित है, ऐसा कहना गलत प्रतीत होता है। उपयोग के स्तर पर देखा जाए तो खादी हमारे सामाजिक परिवेश में घरेलू —स्तर की तमाम जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक सम्भावित उद्योग है। मसलन, सूत से निर्मित कपड़ा, फलों से बने पेय उत्पाद, माचिस, चमड़ा उत्पाद, मिट्टी के बर्तन,

हस्तकला के नमूने इत्यादि। उपभोग की प्रवृत्ति से इतर अगर उपयोग के स्तर पर खादी का मूल्यांकन करें तो खादी के क्षेत्र में ऐसी तमाम सम्भावनाएं नजर आएंगी जो लघु अर्थात् कुटीर उद्योग के रूप में खादी को एक बेहतर विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकती हैं। इसमें बाजार की सम्भावना है तो रोजगार की भी भरपूर गुंजाइश है। खादी और ग्रामीण कुटीर उद्योग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके स्थापन के लिए पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं होती अथवा बेहद कम आवश्यकता होती है जो इसकी ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार के अत्यंत व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापना करती है। अगर देखा जाए तो इसके अलावा बड़ी बात ये भी है कि खादी के विकास में ही ग्रामीण समाज के स्वालम्बन की संभावना भी निहित है। अब बड़ा सवाल ये है कि



खादी के क्षेत्र में कुटीर-उद्योग से रोजगार सृजन एवं ग्रामीण समाज में स्वावलम्बन आदि उपर्युक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किन उपायों पर अमल किया जाना चाहिए एवं इस दिशा में किन-किन स्तरों पर कार्य चल रहे हैं ? इस संदर्भ में इस बात पर भी गौर किया जाना जरूरी है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किन पक्षों पर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है ? मूलतः जब बात रोजगार सृजन और उद्योग स्थापन की हो तो सरकार एवं बाजार दोनों का ही दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। खादी के क्षेत्र में कुटीर उद्योगों की बात करते समय सरकार के प्रयासों एवं बाजार की संभावना को चर्चा के केंद्र में लाना ही होगा। चूंकि रोजगार बाजार आश्रित होता है जबकि बाजार की निर्भरता उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र पर होती है। वहीं उत्पाद अथवा सेवा क्षेत्र के लिए कौशल का होना पहली जरूरत है। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि उत्पादन अथवा सेवा क्षेत्र कौशल पर निर्भर है। अतः व्यावहारिक तौर पर एक बात स्पष्ट है बाजार, उत्पादन और कौशल के बीच परस्पर निर्भरता की स्थिति है। इस दिशा में पहला दायित्व सरकार का आता है कि वो खादी क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों के विस्तार की दिशा में क्या प्रयास कर रही है।

खादी क्षेत्र में सरकार के प्रयास

खादी उद्योग के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रयास रहे हैं। सबसे पहला प्रयास इस दिशा में सन् 1956 में हुआ था। खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम-1956 के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी) की स्थापना हुई। ठीक अगले ही वर्ष 1957 में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को इस आयोग के तहत ला दिया गया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह स्वतंत्र भारत का खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में पहला आधिकारिक एवं सरकारी प्रयास था जो आज भी संचालित है। हालांकि समय और जरूरत के अनुरूप सन 1987 एवं 2006 में इसमें संशोधन भी किए जा चुके हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के तीन उद्देश्य निर्धारित हैं जिनमें प्रथम उद्देश्य खादी उद्योगों को कुटीर उद्योग के तौर पर स्थापित करके रोजगार के अवसर पैदा करना है। दूसरा उद्देश्य, ऐसे उत्पाद तैयार करवाना जिनके विक्रय के लिए बाजार में संभावनाएं हो और तीसरा उद्देश्य, खादी ग्रामोद्योग के जरिए अधिकाधिक ग्रामीण लोगों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। आयोग अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रशासनिक व आर्थिक रूप से संचालन करता है।

अब चूंकि, भारतीय लोकतंत्र संघीय ढांचे पर आधारित है। लिहाजा इस कुटीर खादी ग्रामोद्योगों के प्रोत्साहन की दिशा में

भी केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर योजनाओं, कार्यक्रमों आदि का संचालन होता है। केन्द्रीय योजनाओं की बात करें तो इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ब्याज अनुवृत्ति पात्रता प्रमाणपत्र योजना आदि प्रमुख हैं। 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' का प्रमुख उद्देश्य सभी तरह के ग्रामोद्योगों जिनमें कुटीर खादी ग्रामोद्योग भी आते हैं, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें स्थापित करवाना है। इसके तहत व्यक्ति को परियोजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत पहले स्वयं निवेश करना होता है, इसके बाद शेष 90 प्रतिशत की सहायता ऋण के रूप में भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत चिन्हित बैंकों में से किसी के द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना का प्रमुख रूप से संचालन खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है।

इसके बाद ब्याज अनुवृत्ति पात्रता प्रमाणपत्र योजना की बात करें तो यह समग्र खादी उद्योग के लिए धन का प्रमुख स्रोत है। इसका आरम्भ सन 1988 में तब किया गया जब खादी ग्रामोद्योग के लिए निर्धारित बजट के तहत प्राप्त धन और व्यय के बीच अंतर बढ़ने लगा। इसके तहत बैंक द्वारा व्यक्ति को उसकी कार्यात्मक राशि की पूर्ती हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायती दर से ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये खादी से सम्बंधित उद्योगों के लिए ही ऋण प्रदान करती है। खादी निर्माण करने वाले व्यक्ति ही इस योजना के तहत ऋण पाने के अधिकारी होते हैं। खादी ग्रामोद्योग से सम्बंधित इन केन्द्रीय योजनाओं के अतिरिक्त राज्य-स्तर पर भी खादी को लेकर तमाम योजनाएं व कार्यक्रम संचालित हैं। इस संदर्भ में देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उल्लेख करें तो इन दोनों राज्यों में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार की उपर्युक्त योजनाओं के साथ-साथ राज्य-स्तर पर क्रमशः मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना आदि का भी संचालन किया जा रहा है। इसी तरह से देश के लगभग हर राज्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मौजूद हैं जिसके तहत उस राज्य की खादी ग्रामोद्योग से सम्बंधित योजनाओं का क्रियान्वयन आदि हो रहा है।

उपर्युक्त सरकारी योजनाएं खादी ग्रामोद्योग के स्थापन के लिए ऋण व अनुदान के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं। पर सिर्फ धन के निवेश से यह ग्रामोद्योग स्थापित हो जाएंगे, यह नहीं कहा जा सकता। दरअसल किसी भी उद्योग के लगने के बाद उसके चलने के लिए दो चीजों की क्रमशः आवश्यकता होती है – पहली, कुशल कारीगरों की और दूसरी, उत्पादित माल के लिए लाभकारी बाजार की। इन दोनों चीजों

की दिशा में सरकार क्या कर रही है और इनमें क्या समस्याएं हैं, यह समझना भी बेहद जरूरी है।

कुटीर ग्रामोद्योग के लिए कौशल प्रशिक्षण

कुटीर खादी ग्रामोद्योग जिसके अंतर्गत कपड़े से लेकर माचिस बनाने तक का काम होता है, के लिए कुशल कामगार तैयार करने की दिशा में भी केंद्र व राज्य स्तर पर कुछ योजनाएं अवश्य संचालित हैं। कौशल प्रशिक्षण से सम्बंधित ऐसी ही कुछ योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है—

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) : यह सूक्ष्म एवं मझोले उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके तहत लघु उद्योगों जिनके अंतर्गत कुटीर खादी ग्रामोद्योग भी आता है, से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारीयों से युवाओं को अवगत कराने व इस दिशा में उनके कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से देश भर में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनका आयोजन प्रायः आईटीआई आदि तकनीकी संस्थानों में किया जाता है, क्योंकि इन संस्थानों के शिक्षकों—छात्रों में नए लोगों को प्रेरित करने वाला उद्यमिता कौशल उपलब्ध होता है।

उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) : इस कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म उद्योगों से सम्बद्ध उद्यमियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए व्यापक और वृहद् स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम लगभग 60 विधाओं में प्रशिक्षण कार्य आयोजित करता है।

व्यवसाय कौशल विकास कार्यक्रम (बीएसडीपी) : यह कौशल विकास उन नए सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के उद्यमियों के लिए है, जिनमें व्यावसायिक समझ का अभाव है। उनमें व्यावसायिक समझ का विकास करने के लिए बिजनेस कौशल विकास नामक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

इनके अतिरिक्त कौशल विकास से सम्बद्ध और भी कई योजनाएं व कार्यक्रम केंद्र तथा राज्य-स्तर पर संचालित हैं। हालांकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अपने अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्किल इंडिया का आरम्भ किया गया। लेकिन इसमें खादी ग्रामोद्योग को लेकर सीधे तौर पर कोई विशेष प्रावधान नहीं दिखता, जबकि उचित होता कि कुटीर खादी ग्रामोद्योग को विशेष रूप से स्किल इंडिया के तहत लाया जाता। खादी ग्रामोद्योग कौशल प्रशिक्षण से सम्बंधित सभी छोटी-बड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों को स्किल इंडिया के तहत लाया जाता जिससे उन्हें एक राष्ट्रीय स्वरूप मिल पाता। इससे दो फायदे होते—पहला कि लोगों में खादी ग्रामोद्योग के कौशल विकास को लेकर और जागरुकता आती तथा स्किल इंडिया के तहत आ जाने से इस

सम्बन्ध में प्रशासनिक स्तर पर और भी गंभीर ढंग से प्रयास होते।

कुटीर ग्रामोद्योग के लिए बाजार सृजन

कुशल कारीगर तैयार करने तथा उद्योग स्थापन और उत्पादन आरम्भ हो जाने के बाद प्रश्न यह आता है कि उद्यमियों को बाजार कैसा मिल रहा है ? क्योंकि सहज और लाभकारी बाजार की अनुपलब्धता होने की स्थिति में खादी ग्रामोद्योग हो या अन्य कोई भी उद्योग, उसका अधिक समय तक बने रहना मुश्किल है। लिहाजा देखना होगा कि सरकार खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कर रही है ? इस दिशा में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग को खादी ग्रामोद्योग के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद के रूप में मानद दर्जा दिया गया है। इस रूप में आयोग के कार्य ब्रैंड प्रोत्साहन, उत्पाद विकास, विभागीय बिक्री केंद्रों की सुव्यवस्था, सरकारी आपूर्तियों और निर्यात के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और क्रय-विक्रय मेलों में सहभागिता के द्वारा निर्यात बाजार को प्रोत्साहन देना तथा खादी ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के जरिए निर्यात बाजार को प्रोत्साहित करना भी आयोग के कार्यों में शामिल है। अब चूंकि ये प्रयास अधिकाधिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर हैं, ये उद्यमियों के लिए एक अप्रत्यक्ष बाजार हो जाता है। लिहाजा सरकार को यह भी चाहिए कि वो खादी ग्रामोद्योग उद्यमियों के आसपास प्रत्यक्ष लाभकारी बाजार के निर्माण की दिशा में कोशिश करे। इससे न केवल इन उद्यमियों को अपने कार्य की सार्थकता व महत्व का अनुभव होगा, वरन अपने उत्पाद के लिए आसपास बाजार होने से उनका उत्साह भी बढ़ेगा जोकि इस खादी ग्रामोद्योग के उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

देश में खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में सरकारी स्तर पर काफी प्रयास हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, मगर बावजूद उन सबके इसकी मौजूदा स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, जितनी होनी चाहिए। खादी सिर्फ एक वस्तु या उद्योग साधन नहीं, ये तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पावन स्मृति तथा भारतीय ग्रामीण संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। अतः इसकी औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अभी केंद्र और राज्यों को ओर प्रयास करने की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र प्रत्रकार हैं।)

ई-मेल : saharkuvti111@gmail.com

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना - रोजगार को नई दिशा

—ललन कुमार महतो

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख उपलब्धि आधारित कौशल प्रशिक्षण योजना है। कौशल प्रमाणीकरण एवं प्रोत्साहन की इस योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उपलब्धि-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार पाने तथा अपनी आजीविका अर्जित करने योग्य बनाना है। इस योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने वाले प्रशिक्षुओं को मौद्रिक प्रोत्साहन तथा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की अपनी तरह की एक अनूठी संस्था है। इसका लक्ष्य विशाल, गुणवत्तापूर्ण, लाभ के लिए व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण के उत्प्रेरण के द्वारा कौशल विकास को बढ़ावा देना है। एनएसडीसी व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य समर्थन प्रणाली जैसे गुणवत्ता आश्वासन, सूचना प्रणाली और या तो प्रत्यक्ष या भागीदारी के माध्यम से संस्थाओं के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के योग्य बनाना है। एनएसडीसी उद्यमों, कंपनियों और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों को धन उपलब्ध कराने के माध्यम से कौशल विकास में एक उत्प्रेरण के रूप में कार्य करता है। निजी क्षेत्र की पहल को

बढ़ाने, सहयोग प्रदान करने और उनके मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए यह उपयुक्त मॉडल का विकास भी करेगी। एनएसडीसी के दायरे और व्यवहार्यता की अपनी समझ के अंतर्गत 21 क्षेत्रों के लिए विभेदित फोकस हर क्षेत्र को निजी निवेश के लिए आकर्षक बना देगा।

विज़न

एनएसडीसी की स्थापना एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के हिस्से के रूप में भारत के सभी क्षेत्रों में कुशल श्रमशक्ति की मांग को पूरा करने और कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच मौजूदा खाई को दूर करने के उद्देश्य से की गई है। तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण (2008-09) में राष्ट्रीय

कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के गठन की घोषणा की “एक मिशन के रूप में एक विश्वस्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है जो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कौशल प्रदान करने की चुनौती से निपटने का कार्य करेगा। इस मिशन की संरचना और नेतृत्व इस प्रकार का होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने हेतु सम्पूर्ण देश में फैलाया जा सके।”

मिशन

- महत्वपूर्ण उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से कौशल को





अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाना और मानकों, पाठ्यक्रमों और गुणवत्ता आश्वासन के लिए आवश्यक ढांचे का विकास करना।

- उपयुक्त सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल से कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहल को उन्नत करना, सहयोग देना और समन्वय स्थापित करना और निजी क्षेत्र से महत्वपूर्ण परिचालन और वित्तीय भागीदारी के लिए प्रयास करना।
- समाज के वंचित वर्गों और देश के पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना, ताकि उन्हें गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकाला जा सके। इसी तरह से, असंगति या अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर पर्याप्त ध्यान देना।
- वित्तपोषण प्रदान कर एक “बाजार निर्माता” की भूमिका निभाना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बाजार तंत्र अप्रभावी या गायब है।
- एक बंद प्रभाव के विरुद्ध एक बहुसंख्यक या उत्प्रेरण प्रभाव प्रदान करने वाली पहलों को प्राथमिकता देना।

उद्देश्य

मुख्य रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ावा देने के माध्यम से, वर्ष 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों के स्किलिंग/अप-स्किलिंग के समय लक्ष्य (30 प्रतिशत) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देना और धन उपलब्ध कराना है।

एनएसडीसी का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा एक गैर-लाभ वाली कंपनी के रूप में किया गया है। इसका इक्विटी आधार 10 करोड़ रुपये का है, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 49 प्रतिशत है और शेष 51 प्रतिशत निजी क्षेत्र का भाग है।

बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, एनएसडीसी को एक संरचना और प्रशासन मॉडल की आवश्यकता है जो इसे स्वायत्तता, एक निश्चित आकार और निरंतरता प्रदान करें। इस प्रकार इस संस्था में एक स्तरीय निर्णय लेने की संरचना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :-

राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ)

- निदेशक मंडल
- बोर्ड उप समितियां
- कार्यकारी परिषद्

एनएसडीसी के परिचालन कार्यों और रणनीतियों में प्रत्येक स्तर की अपनी एक स्पष्ट भूमिका है और उन सभी का लक्ष्य

बढ़ी हुई लचीलता और प्रभावशीलता के साथ, संस्था का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कौशल विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना और उन्हें उत्प्रेरित करना है।

इस 15 सदस्यीय बोर्ड में 6 सदस्य सरकार द्वारा नामांकित हैं, जिसमें से एक निगम का अध्यक्ष (निजी क्षेत्र से) और 9 अन्य निजी क्षेत्र के सदस्य हैं। एनएसडीएफ एक 100 प्रतिशत सरकारी ट्रस्ट है जो एनएसडीसी में निवेश करती है और पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

एनएसडीसी वैसे कार्यों को शुरू करती है या उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है जिसका बहुगुणित प्रभाव होता है, हालांकि यह क्षेत्र में वास्तविक संचालक के रूप में प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करती है। ऐसा करते हुए यह कौशल विकास में उद्योग के सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करती है।

प्रत्यक्ष रूप से अनेक कार्यों का शामिल होना या वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की मात्रा अनुकृति करने के बजाय, इस विचारधारा का उद्देश्य बहुसंख्यक हितधारकों के साथ साझेदारी स्थापित करना और वर्तमान प्रयासों को आगे बढ़ाना है। लगभग 150 मिलियन लोगों को कुशल और अधिक कुशल बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनएसडीसी ने निम्नलिखित उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया है :-

- बहुत कम कीमत, उच्च गुणवत्ता के आधुनिक व्यावसायिक मॉडल का विकास करना।
- पर्याप्त निजी निवेश को आकर्षित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि इसकी निधि वृहद् रूप से चक्रित होती रहे, जैसे-ऋण या इक्विटी, बजाय अनुदान प्रदान करने के।
- अपने लिए लाभ स्थिति का निर्माण करना।
- एक मजबूत कोष का निर्माण करना।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, एनएसडीसी तीन महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह कर रही है।

अनुदान और प्रोत्साहन

सटीक अर्थों में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें या तो ऋण या इक्विटी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, अनुदान प्रदान करना और चयनित निजी कार्यों (उपक्रमों) को वित्तीय इंसेंटिव के द्वारा सहयोग प्रदान करना, कर में छूट आदि के द्वारा उनकी वित्तीय क्षमता को सशक्त बनाना है। वित्तीय सहयोग की यथार्थ प्रकृति (इक्विटी, ऋण और अनुदान) क्षेत्र (सेगमेंट) की सुदृढ़ता या आकर्षण (उपयोगिता) या कुछ हद तक संस्था (लाभ अर्जित करने के लिए निजी, गैर-लाभ के लिए उद्योग एसोसिएशन या गैर-लाभ वाली एनजीओ) के प्रकार पर

निर्भर करता है। समय बीतने के साथ, एनएसडीसी का उद्देश्य मजबूत स्थायी बिजनेस मॉडल का निर्माण कर अपने अनुदान प्रदान करने की भूमिका को कम करना है।

सहयोग सेवा को लागू करते हुए

एक कौशल विकास संस्था को अनेक इनपुट और आउटपुट सेवाओं जैसे पाठ्यक्रम, फौकल्टी और उनका प्रशिक्षण, मानक और गुणवत्ता का वादा, तकनीकी प्लेटफार्म, छात्रों के प्लेसमेंट की कार्यप्रणाली आदि की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ सहयोग सेवा को लागू करने में एनएसडीसी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और ऐसा करने के लिए वह उद्योग एसोसिएशन के साथ मानक और प्रमाणन प्रणालियों की स्थापना कर रही है।

आकार देना/निर्माण करना

निकट अर्थों में, एनएसडीसी सक्रिय रूप में कौशल विकास में निजी क्षेत्र की वृहद स्तर पर भागीदारी के लिए सहयोग प्रदान करेगी। एनएसडीसी महत्वपूर्ण कौशल समूहों की पहचान करेगी, कौशल के विकास के लिए मॉडल का विकास करेगी और इन प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए संभावित निजी क्षेत्रों को आकर्षित करेगी।

कौशल विकास

वर्ष 2022 तक 150 करोड़ लोगों को कौशल/कौशल उन्नयन प्रदान करने की चुनौती से निपटने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक सुधार के साथ अनुपूरक कौशल विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि, दोनों की आवश्यकता है। एनएसडीसी मुख्य रूप से अनुपूरक कौशल के विकास पर ध्यान केन्द्रित करती है और शिक्षा प्रणाली के भीतर निर्बाध मार्ग के निर्माण के लिए प्रयास करती है।

निजी क्षेत्र की पहल को प्रोत्साहित करना

अनुपूरक कौशल विकास को मजबूत बनाने के लिए एनएसडीसी निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले प्रयासों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करती है, जिसमें गैर-लाभ और लाभयुक्त दोनों प्रकार का प्रयास शामिल है और इसका लक्ष्य ऐसे मॉडल का निर्माण करना है, जिसे प्राप्त करना संभव हो।

एनएसडीसी ने लक्षित क्षेत्र के आधार पर निजी क्षेत्र की पहल का समर्थन करने के लिए एक विभेदित दृष्टिकोण अपनाया गया है। कौशल समूह की मार्केटिंग और छात्र जनसंख्या की आय के स्तर के आधार पर तीन ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर एनएसडीसी ने ध्यान केन्द्रित किया है :-

आकर्षक क्षेत्र (खण्ड) : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाजार स्वतः कार्य करता है, एनएसडीसी मात्र प्रतिक्रियाशील

भूमिका निभाता है और विभिन्न साझेदारों की भागीदारी को बढ़ाता है। यह निकट भविष्य में एनएसडीसी का मुख्य ध्यान केन्द्रित क्षेत्र है और इसका लक्ष्य इस क्षेत्र को निजी निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।

पूर्णतः अनाकर्षक क्षेत्र : समय बीतने के साथ, एनएसडीसी सरकारी विभागों के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए कार्य करने का इच्छुक है और इस प्रकार यह ऐसे बिजनेस मॉडल का विकास करना चाहती है जो इस क्षेत्र के उद्यमियों को आकर्षित क्षेत्र में ले जा सकें।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रमुख तत्व निम्न हैं:

- **मानक :** उद्योगों द्वारा संचालित क्षेत्रक कौशल परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों (राष्ट्रीय वृत्तिक मानक-NSO) एवं विशिष्ट रोजगारों हेतु अर्हता मानक को अपनाते हुए प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रशिक्षण का मूल्यांकन राष्ट्रीय एवं वैश्विक मानकों के आधार पर तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों को लक्ष्यों से जोड़ना :** कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य केन्द्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसा कि – स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आदि से विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों की सृजित मांग के साथ जोड़ दिए जाएंगे।
- **प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण :** सरकारी योजनाओं में आवंटित धनराशि के लाभार्थियों तक पहुंचने से पहले ही हो जाने वाली बंदर-बांट को रोकने के लिए इस योजना में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा कर लेने के उपरान्त पारितोषक राशि का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाएगा। प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली इकाई के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होगा। निधियों का हस्तांतरण पूरी तरह से पारदर्शी होगा। डेबिट कार्ड एवं दुर्घटना बीमा से सम्बद्ध विशिष्ट सुविधा के प्रावधान के साथ यह योजना वित्तीय समावेशन भी सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी की विशिष्ट पहचान हेतु आधार कार्ड को प्रयुक्त किया जाएगा। इससे कोई भी व्यक्ति केवल प्रोत्साहन राशि पाने के लालच में एक से अधिक ट्रेडों में प्रशिक्षण नहीं ले सकेगा। अपात्र लोगों के प्रवेश को भी रोका जा सकेगा।
- **मांग-आधारित लक्ष्य :** कौशल अंतराल अध्ययनों एवं कौशल मांग के मूल्यांकन पर आधारित कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्षेत्रक विशिष्ट कौशल परिषदों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों तथा प्रशिक्षण के लक्ष्यों का आवंटन यथासंभव जिला/शहरवार किया जाएगा। इस कार्य को प्रधानमंत्री कौशल विकास



योजना की संचालन समिति अपनी देखरेख में पूरा कराएगी।

- **युवाओं पर लक्षित प्रशिक्षण :** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण मुख्य रूप से 10वीं एवं 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर श्रम बाजार का हिस्सा बन चुके युवाओं पर लक्षित होगा। इसलिए प्रशिक्षण के राज्यवार/जिलावार लक्ष्य निर्धारित करते समय उस राज्य/जनपद के 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। वामपंथी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर के युवाओं के कौशल विकास हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिलाना इस योजना की प्राथमिकताओं में से एक है।
- **पूर्व ज्ञान की पहचान करना :** इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रशिक्षणार्थियों के कौशल, पूर्व कार्यानुभव, दक्षता एवं क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान भी चयनित अभ्यर्थियों को मौद्रिक पारितोषिक दिया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि अनौपचारिक क्षेत्रों में पहले से ही रोजगाररत श्रमिकों के कौशल, दक्षता तथा क्षमता के स्तर की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे इन श्रमिकों के कौशल प्रोन्नयन तथा पुनःकौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। पूर्व ज्ञान की पहचान प्रक्रिया में सर्वाधिक ध्यान उन कार्यों/रोजगार अवसरों/क्षेत्रों पर केन्द्रित होगा जहां कार्यरत श्रमिकों के कौशल उन्नयन की सर्वाधिक आवश्यकता है। सघन प्रचार-प्रसार द्वारा श्रमिकों को यह आभास कराए जाने का प्रयास किया जाएगा कि वर्तमान अध्यवसाय/वृत्ति में भी उनके कौशल

विकास की आवश्यकता है तथा यह उनके लिए सर्वहितकारी है। इसका उद्देश्य श्रम बाजार में कौशल प्रशिक्षण को मानक आकांक्षापूर्ण बनाना है।

• **मौद्रिक पारितोषिक राशि में विभिन्नता :** एक ही क्षेत्रक के भीतर विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं वाले कार्यों/पदों के लिए मौद्रिक पारितोषिक में भी भिन्नता होगी। पारितोषिक राशि का निर्धारण प्रशिक्षण की लागत, प्रशिक्षणार्थियों की वेतन/मजदूरी प्राप्त करने की इच्छा तथा अन्य उपादेय कारकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। विनिर्माण, निर्माण क्षेत्रक में प्रशिक्षण लेने वालों के लिए पारितोषिक राशि/प्रोत्साहन अधिक होगा।

प्रशिक्षण प्रदानकर्ताओं के पंजीयन हेतु व्यवस्था

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रशिक्षण साझेदारों को पंजीयन से पूर्व यथोचित परिश्रमशीलता से गुजरना होगा। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आधार पर सरकारी तथा निजी प्रशिक्षण साझेदारों का क्षेत्रक कौशल परिषदों द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत राजकीय सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदानकर्ताओं को भी प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार परिश्रमशीलता से गुजरना होगा। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रत्येक निकाय अपने सम्पूर्ण फ्रैन्चाइजी नेटवर्क तथा तत्संबंधित अधोरचना के लिए उत्तरदायी होंगे। यही बात अनुश्रवण प्रक्रिया पर भी लागू होगी। केवल प्रथम-स्तरीय फ्रैन्चाइजी ही अनुमान्य होंगे बशर्ते कि उनकी घोषणा पहले से की गई हो तथा निर्धारित प्रक्रिया निर्देशिका के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो जिनकी पुष्टि कर दी गई हो।

• **संकेन्द्रित जागरुकता निर्माण एवं संग्रहणीय क्रियाएं :** इस योजना की अधिकाधिक पहुंच एवं स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारों/राज्य सरकारों/जिला पंचायतों/जिला प्रशासन तथा संसद सदस्यों के लिए जागरुकता निर्माण एवं संग्रहणीय क्रियाएं चलाई जाएंगी। प्रत्येक जनपद में कौशल मेले आयोजित किए जाएंगे, जहां विभिन्न प्रकार की वृत्तियों, रोजगार अवसरों, संभावित भविष्य निर्माण पथ, आयसृजन सम्भाव्यता आदि के बारे में सूचना प्रचारित की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल प्रोन्नयन से जुड़ी क्रियाओं एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र तक पहुंचना सुनिश्चित किया जायेगा। दूरदराज के क्षेत्रों तक प्रशिक्षण सुविधाओं, इसकी उपयोगिता आदि का प्रचार करने के लिए कौशल यात्राएं

निकाली जाएगी। बसों में कौशल उन्नयन से संबंधित जीवंत प्रदर्शन भी कराए जाएंगे। कार्यक्रम को अधिकतम संभव क्षेत्रों तक पहुंचाने तथा सारे देश में कौशल उन्नयन हेतु एक वातावरण का सृजन करने के लिए गैर-सरकारी तथा समुदाय आधारित संगठनों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। जनसंचार माध्यमों से फेसबुक, ट्वीटर, लिंकडइन जैसे सामाजिक मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की विशिष्टकृत तथा मानवीकृत ब्रांडिंग की जाएगी तथा संचार पैकेज क्रियान्वित किया जाएगा। सतत् प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों की समय-समय पर जांच एवं समीक्षा भी की जाएगी।

बेहतर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित अनुदेशक : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सफलता काफी बड़ी सीमा तक प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाए जाने वाले विषयों, सिद्धान्तों/पुस्तकीय ज्ञान को व्यावहारिक धरातल पर प्रयुक्त करने के लिए प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं में 'करो और सीखो' की व्यवस्था तथा सिखाने वाले अनुदेशकों के स्वयं के ज्ञान व अनुभव पर निर्भर करेगी। प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन/प्रमाणीकरण भी तीसरे पक्ष द्वारा कराया जाएगा। लेकिन इन सबके बावजूद देश में उच्च गुणवत्तायुक्त कौशल प्रशिक्षण हेतु एक सुसंस्थापित तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है जो उद्योगों/अध्यवसायों की मांग के अनुरूप समुन्नत पाठ्यक्रमों, बेहतर प्रौद्योगिकी प्रदत्त शिक्षण-प्रशिक्षण अनुदेशकों की समुन्नत प्रशिक्षण क्षमता से युक्त हो। सभी कौशल प्रशिक्षणों में सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण वैयक्तिक तैयारी, स्वच्छता हेतु व्यवहारवादी परिवर्तन तथा अच्छी कार्य-संस्कृति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंग होंगे।

उच्चीकृत अनुश्रवण : प्रशिक्षण प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतु क्षेत्रक कौशल परिषद कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली संबंधित सभी प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तृत विवरण रखेगी तथा मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रमाणीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा प्रशिक्षण-स्थलों तथा पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन कराएंगी। प्रशिक्षणार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति तथा वीडियो रिकॉर्डिंग की संभावना भी तलाशी जाएगी। क्षेत्रक कौशल परिषदें प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रमाणीकरण के लिए भी उत्तरदायी होंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उद्योगों/अध्यवसायों के कार्यों के गुणवत्ता पैक के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त क्षेत्रक कौशल परिषदें प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अनुदेशकों का भी प्रमाणिकरण करेंगी। उच्चीकृत अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की समय-समय पर समीक्षा तथा औचक निरीक्षण भी कराया जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक प्रौद्योगिकी-जनित

हो सकती है तथा इसे सीसीटीवी वातावरण में भी संचालित कराया जा सकता है।

संरक्षण सहायता : सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके तथा इस योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर खोज रहे व्यक्तियों की सहायतार्थ एवं मार्गदर्शन एक संरक्षण कार्यक्रम भी सृजित किया जाएगा। संरक्षकों को चिन्हित करने का दायित्व प्रशिक्षण प्रदान करने वाले निकायों का होगा। ऐसे संरक्षक प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षणोपरान्त सहायता करेंगे। ये संरक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने वालों के बारे में ये जानकारी रखेंगे कि प्रशिक्षणोपरान्त वे क्या कर रहे हैं? उन्हें उपयुक्त रोजगार मिला या नहीं तथा प्राप्त प्रशिक्षण उन्हें किस सीमा तक आय सृजनकारी रोजगार प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

मूल्यांकन : विधिमान्य प्रमाणीकृत प्रपत्र पर आधारित प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदत्त जानकारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रभावकारिता के मूल्यांकन का वास्तविक आधार होगी।

शिकायत निवारण : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक यथोचित शिकायत निवारण प्रणाली भी होगी। योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन नागरिक पोर्टल की भी स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। यही पोर्टल वस्तुतः शिकायत निवारण का प्लेटफॉर्म होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के सम्पूर्ण आंकड़े भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां

भारत द्वारा इसे प्राप्त जनांकिकीय लाभों का भुनाने के लिए कार्यशील जनसंख्या की कार्य करने की योग्यता, क्षमता तथा दक्षता को बढ़ाया जाना परमावश्यक है। यह उसी दशा में संभव है जब कार्यशील जनसंख्या के कौशल में इस सीमा तक और इस प्रकार वृद्धि कर दी जाए कि वह रोजगार पाने लायक स्थिति में न केवल पहुंच जाए, वरन् अपनी सार्थकता को भी सिद्ध करें। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक आदर्श योजना के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी सफलता इससे पूर्व चलाई गई इसी प्रकार की अन्य योजनाओं जैसे कि ट्रायसम (ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण), स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना की आंशिक सफलता के संदर्भ में संदिग्ध प्रतीत होती है।

उम्मीद है कि अगर सरकार बाधाओं को दूर करने के लिए कसर कस ले तो यह योजना देश में बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो सकती है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार व अधिवक्ता हैं।)

ई-मेल: lalan_kumar@yahoo.com

अम्बपाली स्वयंसहायता समूह ने दिखाई राह

—संदीप कुमार

ईमानदारी और पूरी लगन से किया गया काम जरूर सफल होता है। वैजयंती देवी की कहानी ऐसी ही है। 10 साल पहले उन्होंने काम करना शुरू किया था। उसका सुखद परिणाम अब सामने आ रहा है। मेहनत के दम पर उन्होंने यहां तक का सफर तय किया है। अभी बहुत कुछ करना है। एक वक्त था कि उनके हाथ में पांच रुपये भी नहीं रहते थे। आज वह अपने ग्रुप की 15 औरतों को सिखाती हैं।

टेबल क्लॉथ, चादर, ऐप्लिक का काम—वैजयंती को इन तीनों पर काम करने में महारत हासिल हो चुकी है। कैसे शुरू किया काम? वैजयंती देवी बताती हैं कि लगभग 10 साल पहले उन्हें काम की तलाश थी तब पटना के अम्बपाली स्वयंसहायता समूह से जुड़ी। अम्बपाली महिला समूह की प्रमुख अर्चना सिंह ने उनको काम पर रख लिया। वैजयंती का काम ऑफिस की सफाई, पोंछा करने का था। वह कहती हैं, ऑफिस में चादर, ऐप्लिक का काम होता था। दिन में अपने काम को करते रहने के दौरान मेरी नजर उन महिलाओं पर भी रहती थी, जो वहां चादर पर काम करती रहती थी। इन सब काम में मेरी रुचि पहले से थी। मैं भी इन सब काम को करना चाहती थी लेकिन संकोच और डर के मारे बोल नहीं पाती थी। मैंने हिम्मत करके उन

महिलाओं से संपर्क बनाना शुरू कर दिया। मैं अपने काम को करने के साथ धीरे-धीरे उन महिलाओं के पास बैठने लगी। अपने विचार भी बताने लगी। इसमें मुझे डर भी लगता था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं भी यह काम करूंगी। उन महिलाओं ने मेरे काम को सराहा और यह बात अर्चना सिंह तक पहुंची। उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा। फिर उनकी सहमति मुझे मिली।

कपड़ों पर देती हैं कल्पना को आकार

कपड़ों पर ऐप्लिक काम, टेबल क्लॉथ, चादर, तकिया का कवर। इन सबके ऊपर डिजाइन बनाने में वैजयंती को विशेष योग्यता हासिल है। वैजयंती कहती हैं, ऑफिस में अपना काम कर लेने के बाद मैं वहां काम कर रही दूसरी औरतों को जब अपने मन की बात बताती थी तो वह सब मेरी सोच की तारीफ करती थी। उन महिलाओं ने भी अर्चना सिंह को यह बताया कि कपड़ों पर डिजाइन बनाने को लेकर मेरी सोच क्या-क्या रहती है? शुरू में मुझे यह कहा गया कि मैं अपने काम को करने के बाद ही इस काम को कर सकती हूँ। मैं समय निकाल कर रोज शाम को उन महिलाओं के साथ काम करती थी। मुझे कपड़ों पर डिजाइन सोचने का जिम्मा दिया गया। मेरे द्वारा सोचे गए डिजाइन की सब प्रशंसा करते थे।

मिली नई जिम्मेदारी

मैडम ने एक दिन पूछा कि क्या मैं दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण दे सकती हूँ?





क्योंकि उस समय तक करीब पंद्रह और महिलाएं इस काम को सीखने के लिए संपर्क कर चुकी थी। इनमें से कुछ महिलाएं मेरे गांव के आसपास के क्षेत्र और कुछ शहर की रहने वाली थी। इन महिलाओं का एक ग्रुप बनाकर काम बताने की जिम्मेदारी मुझे मिली। मैंने पूरी ईमानदारी से यह काम किया। वह बताती हैं कि इन सब चीज के लिए संस्था ही पूरी मदद करती थी। हमारे ग्रुप की महिलाओं का काम लोगों को पसंद आ रहा है तो इन सामानों की बिक्री से ही सारी जरूरतें पूरी हो जा रही हैं। वह बताती हैं कि चादर, कैंशमेट के कपड़े से बनती है। उस पर सूती के पॉपलिन को जोड़कर ऐप्लिक का काम होता है। कच्चे सामानों को संस्था ही उपलब्ध कराती है। मेरा मुख्य काम डिजाइन को तैयार करना है। बाकी का काम महिलाओं का होता है।



पहले ताने सुने, अब होती है प्रशंसा

वैजयंती बताती हैं कि यहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत कुछ सुनना, सहना पड़ा है। मेरा घर पटना से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर है। जब भी मैं घर से काम करने के लिए निकलती थी। गांव के लोग ताने मारना शुरू कर देते थे। मैं सब कुछ सहती थी और क्योंकि मेरे घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी घर से निकलना मेरे लिए मजबूरी थी। पति एक प्राइवेट एजेंसी में नौकरी करते थे। उनको पैसा भी बहुत कम मिलता था। एक कमाने वाले के ऊपर सात लोगों का जिम्मा। वह आगे बताती हैं कि उनके चार बच्चे हैं जिसमें से एक जन्म से ही दृष्टिहीन है। बड़ी बेटी और बेटे की पढ़ाई पैसे की कमी होने से प्रभावित हो रही थी। घर में एक ननद भी है जो विकलांग है। उसकी भी परवरिश मेरे ही जिम्मे है। भोजन से लेकर

रहन-सहन, हर बात की परेशानी थी। जो भी पैसा मेरे पति कमाते थे, उसमें से एक बड़ा हिस्सा इन लोगों के इलाज पर खर्च हो जाता था। घर में कुछ पैसों की आमदनी और हो, इसके लिए ही मैंने घर से निकलने का फैसला किया था। मेरे इस फैसले में मेरे पति ने मेरा होंसला बढ़ाया। अब जब मेरे काम की पहचान बनी है और लोगों ने मेरी मेहनत को देखा तो ताना मारने की जगह मेरी तारीफ करते हैं।

रंगों का तालमेल करता है लोगों को आकर्षित

वह कहती हैं अभी तक प्रदेश भर में ही अपने स्टॉल को लगाने का मौका मिला है। नेचर बाजार, सरस मेला, बिहार दिवस, क्रॉफ्ट बाजार की प्रदर्शनी में स्टॉल लगा चुकी हूं। ग्रुप के द्वारा बनाए गए चादर, तकिया कवर की मांग इसलिए ज्यादा रहती है क्योंकि इनमें कम कीमत में रंग और नये डिजाइन का बेहतर तालमेल रहता है। इनकी कीमत आठ सौ रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक है। जितना अच्छा डिजाइन होता है, उतनी अच्छी कीमत मिल जाती है। एक हजार से बारह सौ के बीच वाली चादरों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तकिये के कवर भी बहुत बढ़िया बिक जाते हैं। उसकी कीमत दो सौ से पांच सौ के बीच रहती है। बिहार से बाहर क्यों नहीं प्रदर्शनी लगाती हैं? इसके लिए वह कहती हैं कि हमारे काम में बहुत समय लगता है। बहुत बारिकी से काम करना पड़ता है। राज्य में जहां भी स्टॉल लगाती हूं वहां सब बिक जाता है। इसलिए बाहर के बारे में सोच नहीं पाती हूं। मौका मिलेगा तो बाहर भी अपनी कला का प्रदर्शन करूंगी। अपनी दुकान के बारे में भी सोच रही हूं। चादरों और बाकी अन्य सामानों की मांग लगातार बढ़ रही है। पैसों की आवश्यकता है। अम्बपाली संस्था लोन दिलाने में मदद कर रही है।



(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल: sanoo7th@gmail.com

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से हासिल की मंजिल

—बलवंत सिंह मौर्य

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तमाम लोगों के जीवनयापन का साधन बना हुआ है। इस कार्यक्रम में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार तो मिल ही रहा है। साथ ही वे प्रशिक्षण के जरिए कुशल कामगार और व्यवसायी भी बन रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सुनीता के साथ, जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के जरिए अपना खुद का कारोबार शुरू किया। आज वह न सिर्फ पूरे परिवार का खर्च उठा रही हैं बल्कि अपने इलाके की प्रगतिशील महिलाओं में गिनी जाती हैं।

किसी दार्शनिक ने कहा है कि जिस नाविक को यह मालूम ही न हो कि उसे किस दिशा में जाना है, उसके लिए हवा का कोई रुख सटीक नहीं है। निश्चित तौर पर अगर हमें अपना लक्ष्य ही नहीं पता हो, तो स्थितियां कितनी भी मुफीद क्यों न हों, हम उनका लाभ नहीं उठा पाते। लक्ष्य निर्धारित करना इसलिए भी जरूरी बन जाता है, ताकि हम अपनी ऊर्जा-शक्ति और समय का सही उपयोग कर पाएं। लक्ष्य निर्धारित हो, तो हम उस तक पहुंचने की दिशा भी अपने आप समझ जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि जिस क्षण हम अपनी मंजिल निश्चित करते हैं, उसी क्षण हम उस तक पहुंचने का आधा सफर तय कर लेते हैं। लेकिन यह सफर बुलंद हौसले से ही पूरा हो सकता है। क्योंकि जब हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल आसान लगती है।

बुलंद हौसले के साथ जो लोग आगे बढ़ते हैं, देर-सबेर उन्हें मंजिल मिल ही जाती है। कुछ ऐसी ही मंशा लेकर आगे बढ़ी और कामयाबी हासिल की सुनीता ने। आज स्थिति यह है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हैं। उन्हें पैसे के लिए किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ता है। अपनी कहानी बताते हुए सुनीता की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन अपनी कामयाबी पर उन्हें गर्व भी है।

राजधानी रायपुर के सेजबहार में रहने वाली श्रीमती सुनीता अपने अतीत के बारे में बताती हैं कि बचपन में घर की माली हालत ठीक नहीं थी। किसी तरह आठवीं तक पढ़ाई की और फिर पढ़ने के बजाय कामधंधे में जुट गईं। शादी-विवाह हुआ। ससुराल में घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी उठा ली। मध्यवर्गीय

परिवार में आने के बाद उनकी जिंदगी घिसटते हुए चलने लगी। पति एक प्राइवेट नौकरी करते थे। उनकी मेहनत से जो कमाई होती थी, उसी से पूरे परिवार का खर्च चलता था। अक्सर आर्थिक तंगी रहती थी। ऐसे में कई बार घर से बाहर निकल कर काम करने का मन हुआ, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार का होने की वजह से परिवार के लोगों ने बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं दी। सुनीता बताती हैं कि जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने से मना कर दिया तो बहुत तकलीफ हुई। उसके सामने दो राहें थी। एक तो यह थी कि परिवार के लोगों की बात माने और दूसरी यह कि आखिर कब



तक वह आर्थिक तंगी झेलती रहेंगी। परिवार की मुश्कालफत करने की हिम्मत नहीं थी। कई दिनों तक उहापोह में रहने के बाद तय किया कि देर-सबेर अपना खुद का कोई-न-कोई काम शुरू करेंगी। इसी सपने को लेकर पल-पल काटने लगी। हर पल मन में यही रहता कि आखिर कौन-सा काम शुरू किया जाए, जिसमें लागत कम आए और काम भी शुरू हो जाए। सुनीता बताती हैं कि यदि मैं कोई दुकान अथवा कारोबार करती तो यह सोचकर पैर पीछे खींच लेती कि आखिर पैसा कहां से आएगा। इस उधेड़बुन में कई माह निकल गए। करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार परिवार के लोगों से बात की। उन्हें काफी प्रयास के बाद मना लिया और एक प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी, लेकिन परिवार का लगातार विरोध होता रहा। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि मैं प्राइवेट नौकरी करूं। कुछ दिनों के बाद ही तमाम दिक्कतों को देखते हुए नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद घर में आर्थिक दिक्कतें बढ़ने लगी। कई परिचितों से बात करती रही। आखिरकार एक दिन रास्ता मिल गया और अपना कारोबार शुरू करने की योजना बना डाली।

शुरू से रही मेधावी

सुनीता बताती हैं कि वह शुरू से ही मेधावी रही। हमेशा कोशिश रहती थी कि क्लास में अव्वल रहे हो। यही वजह है कि क्लास के अध्यापक उन्हें हमेशा दुलार देते थे। पांचवीं में अपनी क्लास में अच्छे अंक आए। इसके बाद आठवीं में भी अच्छे अंक से पास किया। हाईस्कूल की परीक्षा की तैयारी के वक्त कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन हाईस्कूल में भी बेहतर अंक मिले। इसके बाद पालिटेक्नीक करने का मन बनाया। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इस वजह से कई बार हिम्मत नहीं जुटा पाती, लेकिन कभी हौंसला नहीं हारा। दसवीं की परीक्षा पास करने के बाद महिला पालिटेक्नीक कालेज से एक वर्ष का टेलरिंग में डिप्लोमा लिया। इस दौरान काफी कुछ सीखने का मौका मिला। पालिटेक्नीक में रहने वाली दूसरी छात्राओं के साथ रहते हुए हमेशा कुछ न कुछ करने की योजना बनाती रही। डिप्लोमा का कोर्स पूरा होने के बाद घर आ गई। फिर घर-परिवार में उलझती रहीं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से शुरू किया काम

सुनीता बताती हैं कि अपना काम शुरू करने की योजना बनाने के बाद खादी और ग्रामोद्योग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से ऋण लेने का प्रोजेक्ट तैयार किया। उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर में लगने वाले स्वदेशी मेले में उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी मिली। विभाग में जाकर फार्म भरा। बाकायदा प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी

की। इसके बाद ग्रामोद्योग विभाग के जरिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में रेडीमेड व्यवसाय के लिए उन्हें पांच लाख रुपये का ऋण बैंक आफ इंडिया की शाखा से स्वीकृत हुआ। सुनीता बताती हैं कि यह उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी और आगे किसी तरह का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। जब उनका ऋण स्वीकृत हुआ तो एक बार मन में कुछ हलचल हुई। यह डर था कि कहीं कारोबार फेल हो गया तो इतनी बड़ी पूंजी की वापसी कहां से करेंगी, लेकिन फिर अगले ही पल में अपने आप पर भरोसा हुआ। सोचा, जब काम शुरू कर दिया है तो आगे ही बढ़ना है। और फिर क्या था, जो एक बार आगे बढ़ी तो बढ़ती ही गई। ऋण से टेलरिंग की मशीनों के अलावा कढ़ाई और बुनाई की मशीनें क्रय की और रेडीमेड का व्यवसाय प्रारंभ किया।

रेडीमेड में आजमायी किस्मत

सुनीता बताती हैं कि जब वह महिला पालिटेक्नीक कालेज में टेलरिंग का प्रशिक्षण ले रही थी, उस समय बताया गया था कि ग्रामोद्योग विभाग की मदद से बैंक ऋण लेकर रेडीमेड का व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता था। नौकरी छोड़ने के बाद जब वह खाली रही तो ग्रामोद्योग की याद आई और यही से अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई। श्रीमती सुनीता बताती हैं कि शुरू से ही उसकी रुचि सिलाई-कढ़ाई में थी। उसने इस रुचि को परिवार की आमदनी बढ़ाने का जरिया बनाना तय किया। एक बार कारोबार शुरू हुआ तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

व्यवसाय के साथ शुरू किया स्कूल

रेडीमेड व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसने स्कूलों से संपर्क कर स्कूल ड्रेस सिलाई का आर्डर लिया। शुरू में आर्डर मिलने में दिक्कत हुई लेकिन लगातार स्कूलों से सम्पर्क करने पर उन्हें भरपूर आर्डर मिलता गया। सुनीता बताती हैं कि वह बाजार से सस्ते रेट पर कपड़े खरीदतीं और फिर उसकी सिलाई करती। ऐसे में स्कूल ड्रेस तैयार हो जाती। स्कूल ड्रेस तैयार करने के साथ ही वह दूसरे ड्रेस भी तैयार करने लगी। इसमें उन्हें दोहरा मुनाफा मिलने लगा। एक तरफ सिलाई का मेहनताना मिलता है और दूसरी तरफ कपड़े एक साथ खरीदने पर वह काफी सस्ता मिलता और ऐसे में उसमें भी लाभ होने लगा। सुनीता बताती हैं कि जब उनके पास काम बढ़ा तो तमाम कपड़े का कारोबार करने वाले लोग खुद संपर्क करने लगे। कई लोग तो सेंपल के नाम पर बड़ा गहुर भेजते, लेकिन क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। जिस स्कूल की ओर से जितनी लागत में ड्रेस तैयार करने को कहा, उसी हिसाब से तैयार किया। इसी तरह दूसरी ड्रेस में भी सिर्फ मुनाफे की तरफ ध्यान नहीं दिया



बल्कि इस तरफ ध्यान दिया कि हमारा कारोबार कैसे आगे बढ़े।

मुनाफे से ज्यादा कारोबार पर दें ध्यान

नए कारोबारियों को सीख देने के सवाल पर सुनीता कहती हैं कि आमतौर पर अपना कारोबार शुरू करने वाले लोग मुनाफे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मुनाफे से ज्यादा ध्यान क्वालिटी पर देना चाहिए। एक बार क्वालिटी को लेकर इमेज बन गई तो कभी नुकसान नहीं होता है। माना कि मुनाफा हर व्यक्ति का ध्येय होता है फिर भी विश्वास जमाना भी जरूरी है। खासतौर से व्यवसाय में विश्वास बेहद जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं जमता है तब तक कारोबार नहीं चलता है। कारोबार का गुरुमंत्र देते हुए सुनीता बताती हैं कि यदि आपने एक ड्रेस पर दो रुपया मुनाफा रखा और दिनभर में सौ ड्रेस बिक गए तो दौ सौ रुपये का फायदा होता है। इसी तरह यदि आपने 10 रुपया मुनाफा रखा और महंगाई की बात ग्राहकों तक पहुंच गई और सिर्फ तीन ड्रेस ही बेच पाए तो सिर्फ 30 रुपये का फायदा हुआ। ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा माल बिक्री का लक्ष्य रखना चाहिए। ज्यादा माल बिकने पर ज्यादा मुनाफा होना स्वाभाविक है।

कारोबार से चल रहा है पूरा परिवार

सुनीता बताती हैं कि वह रेडिमेड व्यवसाय के जरिए अपने पूरे परिवार का खर्च उठा रही हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार में खुशहाली है। मेहनत के दम पर अपना सपना खुद साकार कर रही हैं। वह बताती हैं कि इस व्यवसाय से आराम से 10 से 15 हजार रुपये से अधिक की आमदनी हो जाती है। इससे उनका खर्चा चल जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जरिए उनका सपना साकार हो रहा है और पूरा परिवार खुशहाल हुआ है।

सिलाई-कढ़ाई की ट्रेनिंग भी

इस व्यवसाय को शुरू करने के बाद सुनीता ने सिलाई-कढ़ाई सीखने का ट्रेनिंग स्कूल भी खोल रखा है। वह इस सेंटर पर इच्छुक महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण भी देती हैं। ऐसी स्थिति में उनके केंद्र पर दिनभर महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। सुनीता बताती हैं कि वह खुद की तरह ही दूसरी तमाम महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाना चाहती हैं। इस वजह से उन्हें सिलाई-कढ़ाई सिखा रही हैं। जब महिलाएं सिलाई-कढ़ाई सीखकर आगे बढ़ेंगी और अपना कारोबार शुरू करेंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वह बताती हैं कि अभी तक जिन महिलाओं ने उनके यहां से निःशुल्क ट्रेनिंग ली है वह उनके कारोबार में सहयोग करने लगी हैं। ऐसे में उनकी कमाई का एक हिस्सा उन महिलाओं को भी जाता है, जो उनके साथ कारोबार में जुटी हुई हैं। सुनीता कहती हैं कि अब उन्हें कमाई से ज्यादा जरूरी उन महिलाओं की मोहब्बत लगती है, जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसी महिलाओं की तरक्की के लिए वह हर संघर्ष के लिए तैयार हैं।

देश-प्रदेश में मिला सम्मान

सुनीता बताती हैं कि अपने कारोबार के जरिए उन्हें कई पुरस्कार भी हासिल हुए हैं। पहले तो जिला-स्तर पर प्रगतिशील महिला के रूप में सम्मानित किया गया। इसके बाद वह राज्योत्सव और अन्य अवसरों पर लगायी जाने वाली प्रदर्शनी में भाग लेकर रेडीमेड वस्त्रों का भी विक्रय करने लगी। इस तरह प्रदेश-स्तर पर भी उन्हें कई अहम पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वह कहती हैं कि जब वह इन पुरस्कारों को देखती हैं तो उनका सारा दर्द दूर हो जाता है। लगता है कि इन पुरस्कारों के आगे उन्होंने जो संघर्ष किया, वह काफी कम है। इन सबके बावजूद वह इस पूरी कामयाबी का श्रेय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को देती हैं। कहती हैं कि सरकार की यह योजना न होती तो उनके कदम यहां तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए वह सहयोग करने वाले हर अधिकारी-कर्मचारी के साथ ही परिवार के लोगों और शुभचिंतकों का आभार जताती हैं। कहती हैं कि सभी के सहयोग से ही वह अपनी मंजिल हासिल कर सकीं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ई-मेल: balwant957@yahoo.in

आगामी अंक

नवम्बर, 2015 – पंचायती राज सशक्तीकरण

भारतीय हथकरघा ब्रांड

हथकरघा उद्योग को तेजी से बढ़ते आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के द्वारा उत्पन्न की जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को नई दिशा देने की आवश्यकता है। स्थायी आधार पर इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर यह भी अत्यंत आवश्यक है कि उपभोक्ताओं के विश्वास को जीतने के लिए नए डिजाइन के साथ गुणवत्तायुक्त कपड़ों का उत्पादन किया जाए। इसी के मद्देनजर “भारत हथकरघा ब्रांड” की शुरुआत की गई है जोकि कच्चे माल, प्रसंस्करण, अलंकरण, बुनकर डिजाइन और अन्य मानदंडों के अलावा उपभोक्ताओं के विश्वास को हासिल करने के लिए सामाजिक और पर्यावरण के अनुकूल हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि कर सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में चेन्नई में भारतीय हथकरघा ब्रांड का शुभारंभ किया।

हथकरघा उद्योग को तेजी से बढ़ते आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के द्वारा उत्पन्न की जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को नई दिशा देने की आवश्यकता है। समकालीन उपभोक्ता संदर्भों के अनुसार दोषमुक्त उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन के साथ-साथ उचित मजदूरी को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी इस व्यवसाय को चुने। स्थायी आधार पर इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर यह भी अत्यंत आवश्यक है कि उपभोक्ताओं के विश्वास को जीतने के लिए नए डिजाइन के साथ गुणवत्तायुक्त कपड़ों का उत्पादन किया जाए। इसमें उल्लेखित बातों पर विशेष ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित करना है—

- उच्च गुणवत्ता युक्त, हाथ से बुने हुए, प्रामाणिक “उत्तम किस्म” के उत्पादों का उत्पादन, पूर्ण दोषमुक्त, प्रामाणिक पारंपरिक डिजाइन, पर्यावरण पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं, सामाजिक अनुपालन इत्यादि।

लाभ

- ग्राहक को विशिष्टता के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता का आश्वासन दिया जाएगा।
- भारत के हाथ से बने प्रामाणिक कपड़ों के लिए एक अलग बाजार स्थापित करने और स्त्री/पुरुष के डिजाइन उत्पादों के अनुसार थोक खरीदारों और निर्यातकों को स्रोत गुणवत्ता वस्त्रों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा।
- बुनकर सीधे बाजार के साथ वार्तालाप के द्वारा थोक आदेश और अधिक मजदूरी प्राप्त करने में सक्षम होगा।
- यह महिलाओं और वंचित वर्गों को भी सशक्त बनाएगा।

ब्रांडिंग के लिए चिन्हित उत्पाद

साड़ी

सूती : जमदानी, तांगेल, शांतिपीरी, धनियाखाली, विचित्रपुरी, बोम्केइ, कोटपाद, पोचमपल्ली, वेंकटगिरि, उप्पडा, सिद्धिपेट, नारायणपेट, मंगलागिरि, चेतिलाद, बलरामपुरम, केसरगौड़, कुथमपल्ली, चेंदमंगलम, धोती।

रेशम : बलूचारी, मूंगा सिल्क, सल्कच सिल्क, खांडुआ, बेरहमपुरी, बोमकेई सिल्क, बनारस ब्रोकेड, तनचोई, बनारसी, बूटीदार, जंगला, बनारसी कटवर्क, कोचमपल्ली, धर्मावरम, कांचीपुरम, अरनी सिल्क, मोलकामुरु, पेशानी, पटोला, चंपा सिल्क, आशावल्ली सिल्क, सेलम सिल्क (धोती), उप्पडा, जमदानी।

सूती रेशम साड़ी : चंदेरी, महेश्वरी, कोटा दोरिया, इलकाल, गदवल, कोवड़ कोरा, कॉटन।

परिधान सामग्री

कपास : ओडिशा इकाट, पोचमपल्ली

रेशम : तंचोई, बनारसी, कटवर्क, ओडिशा इकाट, पोचमपल्ली इकाट, टस्सर फैब्रिक।

बैडशीट

ओडिशा इकाट, पोचमपल्ली इकाट

- **स्कॉर्फ/शॉल/चादर:** कनी शॉल, किन्नोरी शॉल, कुलु शॉल, तंगालिया शॉल, कुटच शॉल, वंगखेइ फी।

ब्रांडिंग प्रक्रिया

निम्नलिखित संस्थान “भारत हथकरघा” ब्रांड पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे:

- हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली ईमानदार कंपनियां/संस्थान, जिनमें शामिल हैं—
- प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियां
- स्वसहायता (एसएचजी), भागीदारी, निर्माता कंपनियां, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)
- बुनकर उद्यमी
- कपड़ों और अन्य वस्तुओं के निर्माता इस शर्त के साथ कि वे ‘भारतीय हथकरघा’ ब्रांडेड कपड़ों का उपयोग करेंगे और सिलाई, मानक आकारों आदि के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अतिरिक्त गुणवत्ता का अनुपालन करेंगे।

इस संबंध में आवेदनों को बुनकर सेवा केंद्र अथवा वस्त्र समिति के कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में जमा कराया जा सकता है। आवेदन में प्रस्तुत किए गए तथ्यों की जांच के बाद 30 दिनों के भीतर लोगो (Logo) के साथ ब्रांड प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। वस्त्र नमूनों की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच की जाएगी। आवेदन भरने के 30 दिनों के भीतर यदि कोई कमी है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। ब्रांडिंग आमतौर पर नियम और शर्तों के अधीन 3 वर्षों के लिए वैध होगी और इसके पश्चात इसका पुनः नवीनीकरण कराया जाएगा। ब्रांडिंग प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ब्रिकी के लिए प्रत्येक मद पर लोगो (Logo) और लेबल्स (स्टीकर्स) लगाए जाएंगे।

(पसूका से साभार)

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2015-17

आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2015-17

1 अक्टूबर 2015 को प्रकाशित एवं 5-6 अक्टूबर 2015 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17

to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

